CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH,JODHPUR

ORIGINAL APPLICATION/290/00 330 /2015

.........Naje Khan..........APPLICANT[S]

Vs.

Union of India & Ors. .... RESPONDENT[S]

This application has been submitted to the Tribunal by the applicant

Shri/~~Smt~~...Nage Khan S/o Shri Satey Khan..............

under Section 19 of the Administrative Tribunal Act.,1985 against the Order No......6-1/09-10 दिनांक -06-15 .... and same has been scrutinised with reference to the points mentioned in the Administrative Tribunal Act.,1985 and pertains to the jurisdiction of Jodhpur Bench. It is a D.B./~~S.B.~~Cases.

(A) I.P.O's given to the casheir. Yes/~~No~~

(B) The applicant has also filed a separate Misc. application for condonation of delay. ~~Yes~~/No

(C) Wherther the M.A. for joining together is required or not ~~Yes~~/No

(D) Whether the prayer for joining together has been made in the facts and relief para in OA as per Full Bench order dated 22-04-2009 passed in MA No.11/2008 in OA No.19/2008. ~~Yes~~/No

N/A

On scrutiny it has ~~no defect~~/ defect, pointed ~~out~~ in scrutiny Form No.2. at Sl. No. 1ST

All defects removed

24-8-15

Sign.Of Scrutiny Clerk

Section Officer(Judl.)

25/8/2015

DY.REGISTRAR

28/8

See Rule 11(b)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

Diary.No........605......./.20 15

Report on the Scrutiny of Application

Date of presentation 24-8-20 15

Presented by Shri....S.P. Singh.... Advocate

Applicant[s]......Naje Khan........

Respondent[s]..........U O I & Or...

Nature of Grivance D.B./~~S.M.C~~.

No. of applicants.......One.................... No. of Respondents.......Four.......................

CLASSIFICATION

Subject........Disciplinary........[No.] Department ...of Posts.........No (11)
M/o Communications

....

1.	Is the application in the proper prescribed form? (Three complete sets in paper books from in Two compilations)	Yes/~~No~~(An under One set. yes
2.	Whether name description and address of all the Parties been furnished in the cause title ?	Yes/~~No~~.
3.	[a] Has the application been duly signed and verified?	Yes/~~No~~.
	[b] Have the copies been duly signed?	Yes/~~No~~.
	[c] Have sufficient number of copies of the application been filed?	Yes/~~No~~.
4.	Whether all the necessary parties are impeaded?	Yes/~~No~~.
5.	Whether English translation of documents in a language other English Or Hindi been filed ? # But all Hindi documents English translation not filed point to be considered by the Hon'ble Court.	Yes/~~No~~#
6.	Is the application in time ? (See Section 21)	Yes/~~No~~.
7.	Has the Vakalatnama /Memo of appearance/ autorisation been filed?	Yes/~~No~~.

Contd............2/-

8.	Is the application maintainable ? (U/s 2,14,18 or uR6 of procedure Rule/etc.)	Yes/~~No.~~
9.	It is the application accompained by (I.P.O./D.D for Rs.50/-)	Yes/~~No.~~
10.	Has the impugned order original/duly Attested legible copy been filed.	Yes/~~No.~~
11.	Have legible copies of the annexures duly attested been filed ? A/2 to A/4,	Yes/~~No.~~ Type copy of Annexure A/7 to A/9, A/11 not filed but undertaking given, consider by the Hon'ble Court
12.	Has the Index of documents been filed and pagination Done properly?	Yes/~~No.~~
13.	Has the applicant exhausted all available remedies ?	Yes/~~No.~~
14.	Has the declaration as required by item 7 of from I been made ?	Yes/~~No.~~
15.	Have required number of envelopes(file size) bearing full address of the respodents been filed ? undertaking given	~~Yes~~/No. Undertaking given
16.	(a) Whether the relief sought for, arise out of single cause of action ?	Yes/~~No.~~
	(b) Whether any interim relief is prayed for ?	Yes/~~No.~~
17.	In case an MA for condonation of delay is filed,is it supported by an affidavit ?	~~Yes~~/No.(separate MA Filed] N/A
18.	Whether this case can be heard by Single Bench ?	Yes/~~No.~~
19.	Any other point P.F.Deposited	Synopsis/filed N/A
20.	Result of the scruitinay with intial of Scruitinay Clerk	It has ~~no defect~~/ defect at 15

All defects removed

24-8-15

SI[illegible]ION OFFICER[J] 25/8/2015

25-08-2015
Mr. S.P. Singh, Advocate for applicant.

DEPUTY REGISTRAR

Register. Put up in Court for admission on 25-08-2015 for I-R-
as per Court Permission

REGISTRAR
C.A.T. JODHPUR

M

Annexure Type Copy

Recd 28/8/15

Desh Notice No
1674 to 1677
25/8/15

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

APPLICATION No. of

Applicant(s):
Advocate for Applicant(s) :

Respondent(s) :

Respondent (s) :

Notes of the registry	Orders of the Tribunal
	O.A. No. 290/00330/15 **Date of Order : 25/08/2015** Mr S.P. Singh present for applicant. D.B. not formed. Matter relates to rejection of engaging defence assistant in Deptt. of Posts. Issue notices 'Dasti'. Heard on I.R. I.R. will be considered after service of notices. Mr Nimesh Suthar, C.G.S.C. submits that he will accept notices on behalf of respondents. Further, counsel for applicant is directed to provide additional copy of OA to Mr Suthar, C.G.S.C. Put up the matter for reply/short reply and consideration of I.R. on 10/09/2015. **[Meenakshi Hooja]** **Administrative Member** ss

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

APPLICATION No. of

Applicant(s):
Advocate for
Applicant(s) :

Respondent(s) :

Respondent (s) :

Notes of the registry	Orders of the Tribunal
	O.A. No. 290/00330/15 **Date of Order : 10/09/2015**

Mr S.P. Singh present for applicant.
Mr Nimesh Suthar proxy counsel present for
Mr K.S. Yadav, counsel for respondents.

Heard on I.R. Counsel for applicant submitted that the applicant's request for engagement of Shri Bhura Ram Chaudhary, Sub Postmaster as Defence Assistant in disciplinary proceeding has been rejected vide communication dated 03.06.2015 (Annex. A/1). Therefore, he prays that the respondents may be directed to provide him reasonable opportunity to engage another person as Defence Assistant and further that the inquiry may also be stayed in view of the biases as brought out in the OA.

Per contra, counsel for respondents opposed the prayer for interim relief and submitted that application of the applicant for appointing Shri Bhura Ram Chaudhary as Defence Assistant was rejected on 03.06.2015 and thereafter he has not taken any steps to appoint new Defence Assistant and he has rather straightaway preferred the OA against the said order as well as the inquiring in the disciplinary proceedings.

Considered the aforesaid contentions and perused the

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

APPLICATION No. of

Applicant(s): Respondent(s) :
Advocate for
Applicant(s) : Respondent (s) :

the post office of Bayatu where Shri Bhura Ram is working as SPM receives approx 25,000 Pension Moneyorder Booking per month which need to be disposed of in time. Further, Shri Bhura Ram Chaudhary is already Defence Assistant in two other matters. Though as per rules, Defence Assistant can be engaged in five cases but the aforesaid order on the given grounds seems justified and reasonable more so when the Defence Assistant being sought from is from a station other than the place of inquiry.

In view of above position, there appears no ground to stay the inquiry at this stage but it is considered just and proper to grant the applicant reasonable time for engaging a new Defence Assistant. Therefore, a maximum of 2 weeks' time from today is given to the applicant to finalize the name of his new Defence Assistant and inform the same to respondents and respondents may proceed with the inquiry accordingly.

Put up the matter on 24/09/2015.

[Meenakshi Hooja]
Administrative Member

ss

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

Original APPLICATION NO......330.....OF 15

Applicant(s) Naja Khan Respondent(s) M/o Communication

Advocate for Applicant(s) Advocate for Respondent(s)

Notes of the Registry	Orders of the Tribunal
20/5/15 Mr./Ms. S. Rizvi Counsel for Applicant. Mr./Ms. K.S. Yadav Counsel for Respondents. Date: ... As proposed, List on 01/12/12 By Order Court Officer Mr K.S. Yadav, Dw Vakalatnama & Mr Nimesh Suthar ... memo of appearance filed. 9/10	

01/12/15

Mr./Ms. S.P. Singh,
Counsel for Applicant.
Mr./Ms. Nimesh Suttar,
Counsel for Respondents.
Division Bench not formed.
As prayed,
List on 28/01/2016.

By Order

Court Officer

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH , JODHPUR.

MISC.APPLICATION NO.290/...267.........OF 2015 IN O.A. Nos.290/00330/2015

Applicant(s) Naje Khan **Respondent(s)** U.O.I. & Ors

Advocate for Applicant(s) Mr. S.P. Singh **Advocate for Rspondent(s)** Mr. Nimesh Suthar

This is Misc. Application filed by the Applicant/~~Respondent~~ through cousel under Section/ Under Rule .....22.........of AT Act, 1985/ AT (Procedure) Rules , 1987 for Grant of interim relief as appointment of Defence Assistand and taking documents on record.

....

....

It is a DB/~~SB~~ case pertains to the jurisdiction of Jodhpur Bench.

Copy of MA already given to the oppsite counsel. Yes/~~No~~ But Extra Sets of MA for Respondents already filed with envelopes

On Scrutiny it has ~~following defect~~/ no defects.

03-12-15

S.O.(J)
03/12/15

03-12-2015
Mr. S. P. Singh, Advocate for applicant.
Put up in Court for order direction on 04-12-2015 alongwith O.A.

03/12/15
REGISTRAR
C.A.T., JODHPUR

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

APPLICATION No. of

Applicant(s): Respondent(s) :
Advocate for
Applicant(s) : Respondent (s) :

Notes of the registry	Orders of the Tribunal
	M.A. No. 290/00267/15 in O.A. No. 290/00330/15 **Date of Order : 04/12/2015** Mr S.P. Singh, Counsel for applicant. Mr Nimesh Suthar, Counsel for non-applicants (respondents in OA). D.B. not formed. Heard on MA No. 290/00267/15. Counsel for applicant submits that there was only some delay in finalizing the name of the defence assistant with reference to direction given in order sheet dated 10.09.2015 in OA No. 290/00330/15, therefore, directions may be given to the respondents to accept the new defence assistant, a retired employee, proposed by the applicant, who has also given his consent, so that inquiry can be proceeded further with.
Mr Nimesh Suthar vakalatnama filed on behalf of Respondents 01/12/15 [illegible] 01/12	Counsel for non-applicants submits that he wants to file reply to the MA. Counsel for non-applicant is directed to file reply to MA at the earliest and provide a copy of the same to counsel for applicant. Put up the M.A. on 16/12/2015.
Reply on [illegible] 01/12/15 [illegible] 01/12/12	[Meenakshi Hooja] Member (A) ss

Mr./Ms. S.P. Singh
Counsel
Mr./Ms. K.S. Yadav, Adv.
Nimesh Sharma
Case
As
List on 20/1/16

By Order

Court Officer

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

APPLICATION No. of

Applicant(s): Respondent(s) :
Advocate for
Applicant(s) : Respondent (s) :

Notes of the registry	Orders of the Tribunal
	MA No.290/00267/2015 in OA No.290/00330/2015 Date of Order : 16.12.2015 Mr. S.P. Singh, present, for the applicant. Mr. K.S. Yadav, present, on behalf of Mr. Nimesh Suthar, counsel for the respondents. DB not formed. As agreed by both the parties, the matter may be listed tomorrow i.e. on 17.12.2015 for consideration of MA No.290/00267/2015. **[Meenakshi Hooja]** **Administrative Member** Rss

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

APPLICATION No. of

Applicant(s): Respondent(s) :
Advocate for
Applicant(s) : Respondent (s) :

Notes of the registry	Orders of the Tribunal
	M.A. No. 290/00267/15 in O.A. No. 290/00330/15 **Date of Order : 17/12/2015** Mr S.P. Singh, Counsel for applicant. Mr Nimesh Suthar, Counsel for respondents. Counsel for respondents submits that he has filed reply to the MA No. 290/00267/15. Matter may be placed before D.B. for consideration of aforesaid MA and grant of I.R. Put up the matter on 20/01/2016. **[Meenakshi Hooja]** **Member (A)** ss
Reply in MA Filed on 17/12/15 17/12	

20/01/16

Mr./Ms. ~~I.K. Mishra~~ S.P. Singh

Counsel for Applicant.

Mr./Ms. Nimesh Sethai

Counsel for Respondents.

~~Division~~ Bench not formed.

As prayed.

List on. ~~04/02/16~~ 28/1/16 with its OA

330/15

By Order

Court Officer

Reply not
Filed in MA

21/1/16

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

ORDER SHEET

APPLICATION No. of

Applicant(s): Respondent(s) :
Advocate for
Applicant(s) : Respondent (s) :

Notes of the registry	Orders of the Tribunal
	O.A. No. 290/00330/15 with MA 290/00267/15 **Date of Order : 28/01/2016** Mr S.P. Singh, Counsel for applicant. Mr Nimesh Suthar, Counsel for respondents. OA is allowed. See separate order. **[Praveen Mahajan]** **[Dr K.B. Suresh]** **Administrative Member** **Judicial Member** ss

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR

O.A. No. 290/00330/2015 with MA 290/00267/2015

Jodhpur this the 28th January, 2016

CORAM

Hon'ble Dr K.B. Suresh, Judl. Member
Hon'ble Ms Praveen Mahajan, Admv. Member

Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, aged about 55 years, by case Muslim, R/o Vill + PO – Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District- Barmer (Office Address :- Worked as GDS BPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.)

............Applicant

(By advocate : Mr S.P. Singh)

Versus

1. Union of India through the Secretary, Government of India, Ministry of Communication, Department of Posts, Dak Tar Bhawan, New Delhi.
2. Chief Postmaster General, Rajasthan Circle, Jaipur.
3. Postmaster General, Rajasthan Circle, Jaipur.
4. Superintendent of Post Offices, Barmer Division, Barmer.

(By Advocate : Mr Nimesh Suthar)

...........Respondents

ORDER (Oral)

Per Dr K.B. Suresh

Heard the matter, in which the employee is chargesheeted. He has challenged the bias of the Inquiry Officer at on earlier stage. Apparently, it was not attended to at the respondent side on the ground that he is not biased. Now, the bias is a thing which lies in the breast of a person, it can

applicant and not to the respondents. Adding to this, apparently two of the witnesses have given written complaints that they are being threatened by the respondents, therefore, the applicant has alleged that the entire process has become vitiated.

2. Apparently, here is a case that some of the witnesses who were to be examined were given up with a deliberate attempt but then whom to examine on whose side is for him to decide. Whether it is applicant or the respondents. The applicant has one more case that an appropriate person was not given him as Defence Assistant on a frivolous ground of hearing more cases. By the time he could gather assistance of another Defence Assistant the respondents says that the matter is concluded. Needless to say, the inquiry and the whole process is vitiated and we hereby quash it.

3. But at the same time allegations is that the Rs 21,000/- has been misappropriated even though the applicant would now claim that it can now be called as temporary misappropriation. Whether it is temporary or permanent, it has to be looked into. In view of the facts of the case and after discussions with both the counsels, we now pass the following order.

(i) There will be an immediate de novo inquiry with a new Inquiry Officer. The inquiry will commence on 11.02.2016 and the applicant will fully cooperate for evidence to be taken on a day-to-day basis. The evidence must be completed upto to 18.02.2016 even if the inquiry is to be completed on a holiday. The applicant will be questioned on the basis of evidences tendered against him on the 19/02/2016, if the applicant has witnesses, he shall give list of such witnesses on

on21.02.2016. Examination of the witnesses will be completed on 25.02.2016.

(ii) Both side will be given 02 days time to furnish any written statement they want to furnish on the evidence tendered and before 5th of March, 2016, the inquiry report will be filed and a copy would be served on the applicant. The applicant will be granted one week's time to reply to finding of the inquiry report and within another one week the Disciplinary Authority will take appropriate action as available with the records.

(iii) The choice of Defence Assistant is left to the applicant alone, it has nothing to do with the respondents even if he has more cases with him. It is the constitutional right of every citizen to choose his own legal counsel. We make it clear that the Defence Assistant must give consent for the dates we have mentioned above, only such person can be appointed by the applicant or he can conduct the inquiry himself.

4. In terms of above direction, OA as well as MA is disposed of with no order as to costs.

[Praveen Mahajan]
Administrative Member

[Dr K.B. Suresh]
Judicial Member

ss/

Copy Recd

R/C

3/12/16

FORM NO.1
[See Rule4(a)]FORM OF INDEX
IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH, JODHPUR.

OA/290/00 330 / 2015

Naje Khan .... : Applicant.Petitioner

....

By Legal Practitioner Mr.~~Ms~~ S. P. Singh ....

UOI & on .... Respondents

....

Legal practitioner / Government pleader Mr./Ms...

I N D E X

Sr.No.	*Brief description of proceedings / documents*	*Page No.*	
		From	*To*
1.	**Original Application**	1	8
2.	**Annexures A1to A/13**	9	31
3.	Reply to OA	32	20
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Section Officer(J) **Judicial Clerk**

605/15
24/8/15

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BENCH AT JODHPUR

ORIGINAL APPLICATION 0290/00......./2015

APPLICANT V/S RESPONDENTS

Naje Khan Union of India & Ors

SYNOPSIS

That the applicant while posted as GDSBPM at Singhsawa Harniyan(Gudamalani) post office under Barmer HO, a false case was lodged agasint him u/s 376, 306 & 120B of IPC and he is acquitted free vide order dated 27-3-2010 vide District & Session Judge Barmer order dated 27-3-2010.

2. That the respondent in pursuance of Rule-12 of GDS (Conduct and Engagemetn) Rules 2001, placed the applicant under put off duty vide order dated 14-10-2009. The inquiry officer Deva Ram Suthar appointed. The applicant alleged the charge of bias against the applicant because he did not recorded the statement of 3 state witnesses and dropped.

3. That the defence assistant of the applicant namely Shanker Lal Khatri submitted his application to remove his name from defence assistant because he is very old aged person and presently he is fallen sick frequently and he could not come so long distance..

4. That the applicant submitted his representation to competent authority to appoint Bhura Ram as defence assistant in accordance with Rule-14(d) but the same is rejected. Presently the applicant has no defence assistant and the respondent is determined to decide the case without defence assistant.

5. That the respondent did not appoint the new inquiry officer nor appointed new defence assistant in place of Shanker Lal Khatri. There is chances that the applicant will be deprived to keep his position in proper way which is violation of the principle of natural justice.

6. The respondent did not take into consideration that Rle-14 says about the appointment of defence assistant and there is clear provision that the defence assistant has if not more than 5 cases, he can be appointed. Bhura Ram has only two cases in hand even then he is not permitted to be appointed as defence assistant in the case of the applicant. The allegation of bias alleged against the

Date of Presentation 24.8.15
Receipt by By Hand
S.P. Singh Adv
24.8.15

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BENCH AT JODHPUR

ORIGINAL APPLICATION 0290/00339/2015

APPLICANT	V/S	RESPONDENTS
Naje Khan		Union of India & Ors

INDEX TO OA

S.No	PARTICULARS		PAGE
1.	Original Application		1-8
2.	Annexure A/1.	Copy of Order 3-6-2015.	9
3.	Annexure A/2.	Copy of Complain by SW.	10
4.	Annexure A/3.	Copy of Complain by SW.	11
5.	Annexure A/4.	Copy of Representation dt. ~~24-7-2014~~ 26.9.2014 & 10-8-2015	12-15
6.	Annexure A/5.	Copy of Appeal	16-17
7.	Annexure A/6.	Copy of Letter dt. 18-5-2015.	18
8.	Annexure-A/7.	Copy of Representation dt. 1-7-2015.	19
9.	Annexure-A/8.	Copy of Letter dt.12-8-2015.	20
10.	Annexure-A/9.	Copy of Letter dt. 29-5-2015.	21
11.	Annexure-A/10.	Copy of Letter dt.25-3-2015.	22
12.	Annexure-A/11	Copy of Inquiry Proceedings	23-25
13.	Annexure-A/12	Copy of Rule-14(d)	26
14.	Annexure-A/13	Copy of Relevant Rule to Change IO	27-31

C.A.T. Jodhpur ... Received ... 24 AUG 2015 ... Filing No. 605 ... By Registrar

Note : One extra set of paper book shall be submitted as and when required by court.
T/C of Annexures will be submitted as and when required.

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BENCH AT JODHPUR

ORIGINAL APPLICATION 0290/00...../2015

Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, Aged about 55 years, b/c- Muslim R/o- Vill + Po - Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District-Barmer (Office Address:- Worked as GDSBPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.)

----- Applicant

VERSUS

1. Union of India, through
   the Secretary, Government of India,
   Ministry of Communication, Department of Post.
   Dak Tar Bhawn, New Delhi.
2. Chief Postmaster General
   Rajasthan Circle Jaipur.
3. Postmaster General,
   Western Region, Jodhpur.
4. Superintendent of Post Offices
   Barmer Division, Barmer.

------Respondents

DETAILS OF APPLICATION

1. Particulars of orders against which this original application is made:

The hostile and discriminatory action of the respondent has compelled to file this OA, because the respondent did not change the inquiry officer despite of clear evidence produced bias of inquiry officer and there is provision that the inquiry officer shall be replaced on allegation of bias by virtue of Rule-14(8) of CCS (CCA) 1965. The applicant submitted his request to appoint Defence Assistant but the same is also rejected vide order dated 3-6-2015. The copy of letter dated 3-6-2015 is produced herewith and marked as **Annexure-A/1.**

24 AUG 2015 605

Subject in brief:- DISCIPLINARY INQUIRY

2. **JURISDICTION**:

The applicant declares that the subject matter of the order against which she seeks redressal is within the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

3. **LIMITATION**:

This Applicant declares that the application of the humble applicant is within the limitation period u/s 21 of the Administrative Tribunal Act, 1985.

4. **FACTS OF THE CASE**:

The Original Application of humble applicant is most respectfully submitted as under :-

(1) That the applicant was appointed as GDSBPM and while working as GDSBPM in the year 2009, a false case u/s 376, 306 & 120B of IPC was lodged against the applicant and the applicant is acquitted by District & Session Judge Barmer vide order dated 27-3-2010. The respondent placed the applicant under Put Off vide order dated 14-10-2009 which was effective w.e.f 12-9-2009. The inquiry officer dropped the names of the witnesses who wanted to give their statement and while they deny to give the statement in accordance to will, wish and desire of the inquiry officer the presenting officer dropped the name of the witnesses. It is also evident on record that the inquiry officer wanted the statement according to own language and while the witnesses refused to do so, their names are dropped. The witnesses have given statement and clearly apprised that the real reason for dropping them. All the witnesses are of the State and the inquiry officer does not want to record their statement. The copy of complain submitted by the State Witnesses are produced herewith and marked as **Annexure-A/2** & **Annexure-A/3** respectively.

(2) That the applicant presented representation to the competent authority and apprised that the inquiry officer is bias and he is intending to take statement in accordance with his own will, wish and desire and threatening the State Witnesses. The applicant preferred appeal to the CPMG dated 20-4-2015 and the CPMG authority directed the disciplinary authority to take necessary action but no heed is paid. The copy of representation dated 26-9-

Annexure-A/5 and letter dated 18-5-2015 is enclosed herewith and marked as **Annexure-A/6**.

(3) That the applicant submitted his application for change of defence assistant to the inquiry officer and apprised the reason as he is very old aged person and he fallen sick frequently and he has given his consent to change the defence assistant but the inquiry officer did not take any action. The applicant approached before the disciplinary authority and apprised the circumstances and requested to appoint Bhura Ram Sub Postmaster for his defence assistant but the same is denied. Rule-14(8) clearly says about appointing defence assistant. The denial will cause the violation of aforesaid rule as well violation of the principle of natural justice and the Hon'ble Apex Court has propounded in several judgements that denial of defence assistant is violation of Art 311(2) of the Constitution of India. The applicant submitted his representation dated 1-7-2015 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/7**, The defence Assistant namely Shankar Lal Khatri who refused to be further defence Assistant due to health problem is produced herewith and marked as **Annexure-A/8** and Bhura Ram who has given his consent to be appointed as Defence Assistant is enclosed herewith and marked as **Annexure-A/9**.

(4) That the inquiry officer has fixed the next date 25-8-2015 and the applicant has neither defence assistant early appointed nor appointed later Bhura Ram. The TRCA is decreased by 12.5% and there is no source of income. The applicant has filed OA No.386/2014 for enhancement of TRCA from 25% to 50% during put off period which is pending but the respondent decreased by12.5% despite knowing the fact the case of the applicant for enhancement of TRCA is pending before this Hon'ble Court. Therefore the action of the respondent is nothing but mocking the judiciary system and showing glaring example of arbitrariness. The amount which is decreased by 12.5% from 25% vide letter dated 25-3-2015 is produced herewith and marked as **Annexure-A/10**. The next date indicates 25-8-2015 fixed by inquiry officer is produced herewith and marked as **Annexure-A/11**. Copy of Rule-14(8) is produced herewith and marked as

5. **GROUNDS OF APPLICATION:**

This application is preferred on the following amongst the other grounds:-

(A) That at the very outset, it is respectfully submitted that the order passed by the respondent No.4 on 3-6-2015 is perse illegal as the same have been passed without application of mind and appreciation of correct factual and legal aspects of the matter in its true spirit.

(B) That the applicant was placed under Put off duty vide order dated 14-10-2009. The applicant has legal right to take assistance of his defence assistant in accordance with Rule-14(d) which allows the employee to take help of defence assistant. The applicant can take help of his defence assistant who has not more than five cases in hand. The applicant presented his representation to appoint Bhura Ram who has given his consent and he has not more than 5 cases in hand but his representation is rejected on concocted ground.

(C) That the inquiry officer dropped the names of the witnesses who wanted to give their statement and while they deny to give the statement in accordance to will, wish and desire of the inquiry officer the presenting officer dropped the name of the witnesses. It is also evident on record that the inquiry officer wanted the statement according to own language and while the witnesses refused to do so, their names are dropped. The witnesses have given statement and clearly apprised that the real reason for dropping them. All the witnesses are of the State Witnesses and the inquiry officer does not want to record their statement.

(D) That the applicant presented representation to the competent authority and apprised that the inquiry officer is bias and he is intending to take statement in accordance with his own will, wish and desire and threatening the State Witnesses. The applicant preferred appeal to the CPMG dated 20-4-2015 and the CPMG authority directed the disciplinary authority to take necessary

24

605

(E) That the applicant submitted his application for change of defence assistant to the inquiry officer and apprised the reason as he is very old aged person and he fallen sick frequently and he has given his consent to change the defence assistant but the inquiry officer did not take any action. The applicant approached before the disciplinary authority and apprised the circumstances and requested to appoint Bhura Ram Sub Postmaster for his defence assistant but the same is denied. Rule-14(8) clearly says about appointing defence assistant. The denial will cause the violation of aforesaid rule as well violation of the principle of natural justice and the Hon'ble Apex Court has propounded in several judgements that denial of defence assistant is violation of Art 311(2) of the Constitution of India.

(F) That the discipline is maintained by the control on the Civil Services which is exercised through the Rules & Regulations, therefore the respondent can not deviate from the direction and procedure as established under law therefore the respondent can not deviate from the direction and procedure as established under law. The respondent did not comply with the provision as established under law and there is clear violation of mandatory provision of law.

(G) That the inquiry officer has fixed the next date 25-8-2015 and the applicant has neither defence assistant early appointed nor appointed later Bhura Ram. The TRCA is decreased by 12.5% and there is no source of income. The applicant has filed OA No.386/2014 for enhancement of TRCA from 25% to 50% during put off period which is pending but the respondent decreased by 12.5% despite knowing the fact the case of the applicant for enhancement of TRCA is pending before this Hon'ble Court. Therefore the action of the respondent is nothing but mocking the judiciary system and showing glaring example of arbitrariness.

C.A.T. Filed to day
24 AUG 2015

(H) That the applicant craves leave of this Hon'ble Tribunal to urge ... of argument in support of his case

6

6. DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED

The applicant has already exhausted all the remedies available under statutory service rules. He does not have any other equally efficacious, speedy and adequate remedy except to invoke the extraordinary jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

7. MATTERS NOT PREVIOUSLY PROVIDED OR PENDING MADE ANY OTHER COURT:-

The applicant declares that he had not previously filed any application, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this Application is made before any other court or authority or any other branch of the tribunal and no any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

8. RELIEF SOUGHT:-

In view of the facts and grounds mentioned in para 4 and 5, above the application prays for the following relief:-

a. That by writ order or direction the respondent may kindly be directed to appoint new inquiry officer in place of Deva Ram Suthar in the case of Naje Khan GDSBPM (Put Off)
b. That by writ order or direction the impugned order F-6-1/09-10 dated 3-6-2015 deserves to be quashed and set aside.
c. That any other direction or orders may be passed in favour of the applicant, which may be deemed just and proper under the facts and circumstances of this case in the interest justice.
d. That the costs of this application may be awarded to the applicant.

9. INTERIM ORDER PRAYED FOR:-

Pending final decision of this Original Application, applicant seeks the following interim relief:-

(a) That the respondent may kindly be directed to stay the disciplinary proceeding till appointment of new inquiry officer in place of Deva Ram Suthar.

(b) That the respondent may kindly be directed to appoint Bhrra Ram as defence assistant in the case of Naje Khan the applicant.

C.A.T. 24 AUG 2015

(b) Any other order or direction may be passed in favour of the applicant, which may be deemed just and proper under the facts and circumstances of this case in the interest of justice.

-: : GROUNDS FOR INTERIM RELIEF: :-

(a) The facts and circumstances mentioned in the original application shows that there is good prima-facie case in his favour as mentioned in para-4 above and its sub paras and there is every likelihood of the same being allowed in his favour.

(b) The balance of convenience also lies in his favour. If the operation of impugned order is not stayed then he would suffer irreparable loss which can not be compensated in terms of money. Therefore interim relief is liable to be granted in favour of the applicant.

10. This application is being filed through his counsel.

S.P. Singh, Advocate

11. PARTICULARS OF IPO SUBMITTED TOWARDS FEES.

Postal Order No. 89G 494607 of Rs. 50/-

Date of Issue: 24-8-2015 Issued by : Jodhpur.

Payable at Jodhpur.

12. LIST OF ENCLOSURES : As per index to this OA.

(S.P. Singh/Shanno Rizvi)Adv.

HUMBLE APPLICANT THROUGH HIS COUNSEL

C.A.T.
24 AUG 2015
605

VERIFICATION:-

I, Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, Aged about 55 years, b/c- Muslim R/o- Vill + Po - Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District- Barmer (Office Address:- Worked as GDSBPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.), do hereby verify the contents of para 1 to 4 and 6-12 as true to our personal knowledge and para 5 and it's sub-para are believed to be true on the legal advice and nothing has been concealed or suppressed.

Place : Jodhpur

Date : 24-8-2015.

Identified by

(S.P. Singh)Adv.

Naje khan solely affirm before me on 24/8/15

नजे खां

(DEPONENT)

24 ... 605

9 Annex- A11

भारतीय डाक विभाग

Regd. AD

कार्यालय अधीक्षक डाकघर, बाड़मेर खंड, बाड़मेर-344001

प्रेषित-

श्री नजे खान

ग्रामीण डाक सेवक शाखाडाकपाल (पुट ऑफ ड्यूटी)

सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी)

पत्रांक- एफ 6-1/09-10

बाड़मेर दिनांक 03-06-2015

विषय- GDS नियम-10 के तहत जांच कार्यवाही में बचाव सहायक बदलने बाबत |

सन्दर्भ- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 29-05-2015

***

उक्त विषय में आपसे प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया | आपने श्री भूराराम चौधरी उपडाकपाल बायतु को अपना बचाव सहायक रखने की स्वीकृति चाही हैं | बायतु तहसील मुख्यालय हैं तथा उप कोष कार्यालय से प्रतिमाह लगभग 25000 पेन्सन धनादेश बुकिंग के लिए बायतु उपडाकघर में प्राप्त होते हैं जिनका समय पर निपटान करना जरूरी हैं | इसके अलावा बायतु उपडाकघर निकट भविष्य में CBS में माइग्रेट होना प्रस्तावित हैं, जिसकी भी तैयारी समय रहते करनी आवश्यक हैं |

श्री भूराराम चौधरी उपडाकपाल बायतु दो अन्य मामलों में भी बचाव सहायक हैं, उनकी जांच बैठकों हेतु भी उन्हें कार्यमुक्त करवाना पड़ता हैं | इन सभी स्थतियों के मध्य नजर श्री भूराराम चौधरी को बार बार कार्यमुक्त करवाना संभव नहीं हैं | अतः प्रशासनिक कारणों से आपका प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर स्वीकार करना संभव नहीं हैं |

अधीक्षक डाकघर

बाड़मेर खंड, बाड़मेर-344001

प्रतिलिपि-

श्री देवाराम सुथार, जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक, मध्य उपखण्ड, बाड़मेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं |

अधीक्षक डाकघर

बाड़मेर खंड, बाड़मेर-344001

PIC Attested

सेवामें 10 Annex- A/2

श्रीमान पोस्टमास्टर जनरल
पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर (राज)

दिनांक 16/7/15

विषय : जाँच अधिकारी एवंम जाँच बैठक स्थान बदलने बाबत्

मान्यवरजी

नम्र निवेदन है कि शाखा डाकपाल नेतरवा के विरुध में चल रही जाँच में जाँच अधिकारी श्री देवाराम जी सुपार जो कि जाँच अधिकारी के ~~स्थान~~ पद पर जाँच कर रहे है जो कि जाँच अपनी मन मर्जी से जाँच कर रहे है और सरकारी गवाहो को अपने फोन धमका रहे है कि आप मैं कहू वैसा बयान देना? और हम तीनो सरकारी गवाह के बयान बाकी है जो कि करीबन 8 वर्ष हो चुका है मगर कभी बाडमेर बुलवाते है कि कभी सिन्धासवा हरनियान बैठके रखते है और वहाँ उपस्थित होते तब कहते है आज अफसर नही आये और कोरम पुरा नही हो सका। इसलिए फिर वापिस आते है और कभी बाडमेर बैठक रखते है उसका किराया भाडा भुगत कर परेशान हो गये सो श्रीमानजी से निवेदन है कि देवाराम जी जाँच अधिकारी के पद पर दूसरा जाँच अधिकारी नियुक्त करवाने की कृपा करावे जी

भवदीय
हम तीन सरकारी गवाह
(1) प्रभुराम S/o मांगारामजी ✓ जाँच सिन्धासवा हरनियान
(2) बाबुलाल S/o साबुरामजी ✓ गुडामालानी
(3) अनाराम S/o लालारामजी बाडमेर

प्रभुराम

प्रतिलिपि

P/C AD/PTR
[illegible]

10 T/C. Annex- A12

सेवामें,

श्रीमान पोस्टमास्टर जनरल,

पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर (राज.)

दिनांक 16.07.2015

विषयः– जांच अधिकारी एंवम जांच बैठक स्थान बदलने बाबत्।

मान्यवरजी,

नम्र निवेदन है कि शाखा डाकपाल नजेर खां के विरूद्ध में चल रही जांच में जांच अधिकारी श्री देवाराम जी सुथार जो कि जांच अधिकारी के पद पर जांच कर रह है जो कि जांच अपनी मन मर्जी से कर रहे है ओर सरकारी गवाहो को अपने फोन धमका रहे है कि आप मैं कहू वैसा बयान देना? ओर हम तीनो सरकारी गवाह के बयान बाकी है, जो कि करीबन 5 वर्ष हो चुका है मगर कभी बाडमेर बुलवाते है कि कभी सिन्धासबा अपठित बैठके रखते है ओर वहॉ उपस्थित होते तब कहते है आज अफसर नही आये और फोरम पुरा नही हो सका। इसलिए फिर वापिस आते है और कभी बाडमेर बैठक रखते है उसका किराया भाड़ा भुगतकर परेशान हो गये सो श्रीमानजी से निवेदन है कि देवाराम जी जांच अधिकारी के पद पर दूसरा जांच अधिकारी नियुक्त करवाने की कृपा करावे जी।

भवदीय
हम तीन सरकारी गवाह
जांच सिन्धासन हरमिषा
गुडामालानी
बाडमेर

1. प्रभूराम पुत्र मोगाराम जी
2. बाबूलाल पुत्र सालूराम जी
3. अनाराम पुत्र लालाराम जी

सेवामें 11 Annex-A/3

श्रीमान पोस्टमास्टर जनरल

पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर (राज.)

दिनांक 26/7/15

विषय : जाँच अधिकारी एवं जाँच बैठक स्थान बदलने बाबत्

मान्यवरजी

नम्र निवेदन है कि शाखा डाकपाल नगेर
के विरुध में चल रही जाँच में जाँच अधिकारी श्री देवारा
सुथार जो कि जाँच अधिकारी के ~~स्थान~~ पद पर जाँच कर रहे हैं
जो कि जाँच अपनी मन मर्जी से जाँच कर रहे है और सरक
गवाहो को अपने फोन धमका रहे है कि आप मे कहू वैस
बयान देना? और हम ~~तीनो~~ दो सरकारी गवाह के बयान बाकी
जो कि करीबन 5 वर्ष हो चुका है मगर कभी बाड़मेर बुल
है कि कभी सिन्धासवा हरीयान बैठके रखते है और वहाँ उप
होते तब कहते है आज अफसर नही आये और कोरम पुरा न
हो सका। इसलिए फिर वापिस आते है और कभी बाड़मेर बैठक
रखते है उसका किराया भाड़ा भुगत कर परेशान हो गये सो
श्रीमानजी से निवेदन है कि देवाराम जी जाँच अधिकारी के पद
पर दुसरा जाँच अधिकारी नियुक्त करवाने की कृपा करावे जी

भवदीय

हम तीन सरकारी गवाह

(1) प्रभुराम S/o मोगारामजी (signature) जाँच सिन्धासवा हर

(2) बाबुलाल S/o साद्दरामजी (signature) गुजमालानी

~~[struck]~~ बाड़मेर

PU Admitted (signature)

प्रतिलिपि

11 TC Annex A/3

सेवामें,

श्रीमान पोस्टमास्टर जनरल,

पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर (राज.)

दिनांक 24.07.2015

विषयः— जांच अधिकारी एंवम जांच बैठक स्थान बदलने बाबत्।

मान्यवरजी,

नम्र निवेदन है कि शाखा डाकपाल नजेर खां के विरूद्ध में चल रही जांच में जांच अधिकारी श्री देवाराम जी सुथार जो कि जांच अधिकारी के पद पर जांच कर रह है जो कि जांच अपनी मन मर्जी से कर रहे है ओर सरकारी गवाहो को अपने फोन धमका रहे है कि आप मैं कहू वैसा बयान देना? ओर हम तीनो सरकारी गवाह के बयान बाकी है, जो कि करीबन 5 वर्ष हो चुका है मगर कभी बाडमेर बुलवाते है कि कभी सिन्धासबा अपठित बैठके रखते है ओर वहॉ उपस्थित होते तब कहते है आज अफसर नही आये और फोरम पुरा नही हो सका। इसलिए फिर वापिस आते है और कभी बाडमेर बैठक रखते है उसका किराया भाड़ा भुगतकर परेशान हो गये सो श्रीमानजी से निवेदन है कि देवाराम जी जांच अधिकारी के पद पर दूसरा जांच अधिकारी नियुक्त करवाने की कृपा करावे जी।

भवदीय
हम तीन सरकारी गवाह
जांच सिन्धासन हरमिषा
गुडामालानी
बाडमेर

1. प्रभूराम पुत्र मोगाराम जी
2. बाबूलाल पुत्र सालूराम जी

Annex A14

12

दिनांक
26.9.2014

सेवा में,

श्रीमान अधीक्षक डाकघर
डाकखण्ड बाड़मेर

विषय:- मेरे विरुद्ध प्रस्तावित रूल दस 10 की कार्यवाही में जॉच अधिकारी श्री देवाराम जी सुथार निरीक्षक डाक घर मध्य बाडमेर को बदलने बाबत

महोदय जी, निवेदन है की श्री देवाराम जी मेरे प्रती पुर्वाग्रहो से ग्रेहस्त है वह बायस होकर जॉच कर रहे है।

2. अभियोजन के गवाह श्री चुन्नीलाल चोधरी SW3 को दिनॉक 14.9.2014 को फोन पर बात करके मेरे विरुद्ध गवाही देने का कहा और कहा की नजे खॉ को नौकरी से निकालना है वह मैं कहु वैसी ही गवाही देना तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी गवाहो को धमका रहा है वह अगली जॉच बैठक 29/30.9. को रखी है जिसमे कडे शब्दो मे निर्देश दिये है की हर हालत मे सभी उपस्थित रहे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही की जायेगी

3. श्री देवाराम जी मुझे स्वय को धमकी दे रहे है की मैं ऊँचे हुग का आदमी हूँ वह तुझे नोकरी से निकालकर रहुगॉ अत: निवेदन है की इन्हे जॉच अधिकारी पद से हटाकर मेरे साथ न्याय करावे

12 TC

Annex- A14

दिनांक 26.09.2014

सेवामें,

श्रीमान अधीक्षक डाकघर,

डाकखण्ड बाडमेर

विषयः– मेरे विरूद्ध प्रस्तावित रूल दस 10 की कार्यवाही में जाचं अधिकारी श्री देवाराम जी सुथार निरीक्षक डाकघर मध्य बाडमेर को बदलने बाबत्।

महोदयजी,

निवेदन है कि श्री देवारामजी मेरे प्रती पूर्वाग्रहो से ग्रस्त है वह बायस होकर जांच कर रहे है।

2– अभियोजन के गवाह श्री चुन्नीलाल चौधरी SW3 को दिनांक 14.09.2014 को फोन पर बात करके मेरे विरूद्ध गवाही देने का कहा ओर कहा की नजे खां को नौकरी से निकालना है वह मैं कहू वैसी ही गवाही देना तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी गवाहो को धमका रहा है वह अगली जांच बैठक 29/30.9 को रखी है जिसमें कडे शब्दो में निर्देश दिये है की हर हालत में सभी उपस्थित रहे अन्यथा एक तरफा कार्यवाही की जायेगी।

3– श्री देवाराम जी मुझे स्वंय को धमकी दे रहे है की मैं दूसरे ढंग का आदमी हूॅ वह तुझे नौकरी से निकालकर रहूंगा अतः निवेदन है की इन्हें जांच अधिकारी पद से हटाकर मेरे साथ न्याय करे।

P.T.O

प्रतिलिपी – निरीक्षक डाक घर मध्य बाडमेर।

भवदीय
नजेर खॉ 29.09.2014
पट ऑफ शाखा डाकपाल
सिघासवा हरणिया
गुडामालानी
बाडमेर

13

प्रतिलिपी- निरीक्षक डाक घर मध्य
बाड़मेर

भवदीय

नजेरवाँ 26-9-2014
पद आफ शाखा डाक पाल
सिधासवा हरणिया
गुड़ामालानी
बाड़मेर

14 Annex-

सेवामें

श्रीमान् पोस्टमास्टर जनरल
पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर

विषय:– जांच अधिकारी व जांच बैठक के स्थान बदलने बाबत् ।

सन्दर्भ– ज्ञापन संख्या बिन/MISC/2015 दिनांक 18.05.2015 जयपुर

महोदय जी,

उपरोक्त ज्ञापन के निर्णय से व्यर्यत होकर न्याय के लिए अपील श्री नसे खां पुत्र श्री सते खां जाति कोटवाल निवासी सिंधासवा हरनियान गुडामालानी जिला बाडमेर प्रस्तुत है कि--

1. मैने दिनांक 20.04.2015 को रजिस्ट्री नम्बर– ARR773& 732381 N के द्वारा आपकी सेवामें एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री द्वारा भेजा था जिसकी कार्यवाही आज दिनांक तक कोई ~~जांच~~ कार्यवाही नहीं हुई है ।
2. दिनांक 22.04.2015 को जांच अधिकारी श्री देवाराम जी द्वारा जांच बैठक बुलाई गई थी जिसमें चार सरकारी गवाहों के बयान करवाने थे मगर मेरी तबियत दिनांक 21.04.2015 को खराब होने के कारण उसी बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सका और मैने मेरे बच्चे द्वारा दिनांक 22.04.2015 को जांच अधिकारी जी को प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी तबियत एकदम खराब है और सरकारी हॉस्पीटल भाखरपुरा में मेरा ईलाज चल रहा है । और श्रीमान् जी से निवेदन किया कि आगे तारीख रखी जावे और दिनांक 21.04.2015 से 25.04.2015 तकतबियत खराब थी जिसका मेडिकल मैने जांच अधिकारी की सेवामें पेश किया गया । उसी दिन बचाव सहायक श्री शंकरलाल जी भी बीमार थे वह भी बैठक में उपस्थित नही हुऐ श्री शंकरलाल जी बहुत ही बुढे आदमी हैं सो आने जाने में इनको परेशानी होती है, इसलिए उनकी जगह मेरा दूसरा बचाव सहायक रखना चाहता हूं । जिसका प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2015 को श्रीमान् जी अधीक्षक महोदय जी बाड़मेर को श्रीमान् जी की सेवा में पेश किया गया । मगर दिनांक 03.06.2015 को श्रीमान् जी द्वारा प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया और श्रीमान् देवाराम जी जाचं अधिकारी ने दिनांक 22.04.2015 को सरकारी गवाह वीरसिंह पुत्र आसूसिंह के बयान उन्होने अपनी मरजी व दबाब से करवाया गया और गवाह के बयान लिखकर देते हैं और उनको कहते हैं कि ऐसा बयान दो जो मैने आपको लिखकर दिया है , वैसा बयान दे दो और वीरसिंह कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है ।
3. श्रीमान् जांच अधिकारी जी हमेशा आदेश हमको व हमारे बचाव सहायक को यह धमकी देते हैं कि हमने आपको कई बार मौका दिया मगर श्रीमान् जी जितनी मीटेगे दिनांक 11.01.2011 से आज दिन तक दो बार ही बीमार होने के कारण ~~एक~~ दो बार ही उपस्थित नहीं हो सका है ।

[signature]

15

4. दिनांक ***25.05.2015 व 26.05.2015*** को दिन को 12 बजे सिंधासवा हरनियान में बैठक रखी गई तथा दूसरी बैठक 26.05.2015 को निरीक्षक बाड़मेर द्वारा 10 बजे बैठक रखी गई । श्रीमान् जी इसमें भी टाईम अपनी मनमर्नी से रखा गया सिंधासवा हरनियान से बाड़मेर करीबन 120 किमी पड़ता है । तथा बस से जाने पर तीन से चार घण्टों में वहां पहुचा जाता है और न ही सिंधासवा से समय पर कोई साधन मिल पाता है मैं ऐसे समय पर कैसे उपस्थित हो सकता हूं । और मुझे यह धमकी देते हैं कि समय पर उपस्थित नहीं हुऐ तो एकतर्फा कार्यवाही की जाऐगी

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आप जांच अधिकारी देवाराम जी को बदलकर व किसी अन्य जांच अधिकारी को नियुक्त कर मुझे न्याय दिलावें ।

प्रतिलिपीः–

1. अधीक्षक महोदय बाड़मेर
2. श्री देवाराम जांच अधिकारी मध्य उपखण्ड बाड़मेर

दिनांक
10-8-2015

भवदीय
नजेखां
नजे खां/ सत्ते खां
फुट ऑफ डयूटी शाखा डाकपाल
सिंधासवा हरनियान
तहसील– गुड़ामालानी जिला– बाड़मेर

PC Attested

Annex-A15

सेवा में,

श्रीमान् चिफ पोस्टमास्टर जनरल

राजस्थान जयपुर।

विषय :– जॉच अधिकारी व जॉच बैठक के स्थान को बदलने बाबत्।

सन्दर्भ :– जापन संख्या : विज –डब्लूआर 14.03.2015/14 दिनांक/9 फरवरी 2015

महोदयजी,

उपरोक्त ज्ञापन के निर्णय से व्यर्भत होकर न्याय के लिए अपील श्री नजे खॉ पुत्र श्री सते खॉ जाति कोटवाल निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर की प्रस्तुत है कि :–

1. श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर ने अपने ज्ञापन संख्या एफ6–1/910 बाड़मेर दिनांक 25.03.2015 को मुझे मिलने वाले 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राशि को 50 प्रतिशत कम करने के आदेश दिये है। अर्थात् मुझे प्रतिमाह मुलभते के 12.50 के बराबर तथा मूलभत्ते के इस 12.50 प्रतिशत पर ग्राहय महगाई भत्ते सहित अनुग्रह भुगतान के रूप में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रतिपूर्ति राशि बढाई जाय इस महगाई के जमाने में मेरा जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है।
2. अनुशासनात्मक अधिकारी जी द्वारा 2009 में जारी (पुट ऑफ) मिमौं 15 दिन में कन्फर्म नहीं किया गया जो कि नियमानुसार प्रभावी नही रहा है। पुट ऑफ का मिमौं नियुक्ति प्राधिकारी एवं अनुशासत्मिक प्राधिकारी स्वयं द्वारा जारी होने पर भी 15 दिन में कन्फर्म नही किया जाने की स्थिति में अप्रभावी हो जाता है। पुट ऑफ रखने के बारे में निदेशालय व सुप्रिम कोर्ट विभिन्न मामलों के फैसलों की गाईड लाईन का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. कि मैने श्री देवाराम जी जॉच अधिकारी निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाड़मेर जो कि पूर्वाग्रह (BIAS) का प्रार्थना पत्र दिया था पर मेरी प्रार्थना को नहीं सुना गया श्री देवाराम जी मेरे विरूद्ध अभियोज के गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फोन करके धमका रहे है कि अप नजे खॉ के विरूद्ध में कहू वैसे बयान दें। अन्यथा आप लोगो को फसा दुंगा। अभियोजन के सभ्झी गवाहों के फोन नम्बर जॉच अधिकारी जी ने अपनी जॉच फाईल में लिख रखे है। वह उनको प्रभावित करने के लिए फोन किये जाते है। जिसकी कोल डिटेल निकलवाकर देखी जा सकती है। मुझे अपने बचाव प प्रतिरक्षा का पुरा मौका नही दिया जा रहा है। मैने देवाराम जी से कई बार निवेदन किया की जॉच बैठक सिन्धासवा हरनियान में नही रखी जाय जॉच बैठक गुड़ामालानी या बाड़मेर में

4. जॉच कार्यवाही में देरी का कारण बताकर श्री देवाराम जी मुझे अपनी प्रतिरक्षा का पुरा मौका नही दे रहे है। माना की जॉच प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न कराना जॉच अधिकारी का दायित्व बनता है। पर इस प्रकरण में मेरे कारण देरी नही हो रही है। मैं तो नियमानुसार कार्यवाही चाहता हूँ। लम्बे समय तक मुझे पुट ऑफ रखना मुझे मानसिक यातना देता है। श्रीमान् सर्वोच्छ न्यायालय में भी अभी एक मामले में निर्देशित किया है कि कर्मचारी को लम्बे समय तक निश्चित नही रखा जाय।
5. कि मेरे विरूद्ध 21,500/—रूपये गबन का (आर0 डी0) का आरोप है पर एस0 बी0 आर0 पी0 एल0 टी0 इत्यादि में सरकारी राशि कुल रूपये 99413/— का आंकड़ा बताया जा रहा है। व अपील अधिकारी को भ्रमित किया जा रहा है। अपील के साथ टिपण्णिया व सम्बन्धित दस्तावेज सही नहीं भेजे जाते है जिससे अपीलीय अपील को निर्णय करने में भ्रमित हो जाते है।
6. मेरे द्वारा बार—बार जॉच अधिकारी जी पर पूर्वाग्रहों से ग्रहस्ति होने का आरोप लगाया जाता है फिर भी उसी जॉच अधिकारी से जॉच करवाने पर जॉच दोषित हो जाती है।
7. श्रीमान् देवाराम जी ने ज्ञापन संख्या जॉच सिन्धासवा हरनियान 11—12दिनांक 11.04.2015 में नोट लिख कर मुझे व मेरे बचाव सहायक को धमकी भरी हिदायत दी है कि हर हालत में इस बैठक 22.04.2015 को उपस्थित होवे अन्यथा बैठक की कार्यवाही जारी रहेगी अर्थात् एक तरफा कार्यवाही की जायेगी इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि श्रीमान् निदेशक डाक सेवाए राजस्थान पश्चिम सेवा जोधपुर ने अपील का निस्तारण करते समय जॉच अधिकारी को ऐसा निर्देश नही दिया कि जॉच हर हालत में एक तरफा की जाय।
8. श्रीमान् जी से मेरा निवेदन है कि जॉच अधिकारी जी गवाहों को प्रभावित नही करे तथा मेरे साथ न्याय करने के लिए निष्पक्ष जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाय मैं अल्पसंख्यक वर्ग से (मुसलमान) हूँ तथा मुझे पूर्वाग्रहों से ग्रहसित कर डण्डित करना चाहते है। जॉच बैठक का स्थान सिन्धासवा हरनिया नहीं रखा जाय।
9. कि मैं शीघ्र ही सम्पर्क करने अपना बचाव सहायक भी बदलुंगा तब तक जॉच रोकी जाय मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जायेगा।

दिनांक 20-4-2015 —

भवदीय,
नजेखाँ / अन्सेखाँ
पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल
सिन्धासवा हरनियान

प्रतिलिपि :—

1. पोस्टमास्टर जनरल क्षैत्र जोधपुर।

18

Annex-A6

B/E

GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMUNICATION & IT,
DEPARTMENT OF POSTS,
O/O THE CHIEF POSTMASTER GENERAL, RAJASTHAN CIRCLE,
JAIPUR-302 007

To,

Ms. Sheuli Burman
Postmaster General
Western Region
Jodhpur-342001

No. Vig/Misc./2015

Dated at Jaipur, the 18 .05.2015

Sub: - Regarding representation dated 20.04.2015 preferred Sh. Naje Khan, GDSBPM (Put off Duty), Sindhaswa, Harniyan, Barmer for change of Inquiry Officer and place of hearing.

Madam,

In the above context, kindly find enclosed herewith copy of representation dated 20.04.2015 preferred Sh. Naje Khan, GDSBPM (Put off Duty), Sindhaswa, Harniyan, Barmer for change of Inquiry Officer and place of hearing for necessary action at your end.

Encl: - A/A

-Sd-

(P. L. Somwanshi)
Asstt. Postmaster General (PG,Inv&Vig)
O/o the Chief Postmaster General
Rajasthan Circle, Jaipur – 302007

Copy for information to: -

Sh. Naje Khan, GDSBPM (Put Off Duty), Sindhaswa, Harniyan, Barmer w.r.t. his representation dated 20.04.2015.

(P. L. Somwanshi)
Asstt. Postmaster General (PG,Inv&Vig)
O/o the Chief Postmaster General
Rajasthan Circle, Jaipur – 302007

19

सेवामें

दिनांक 1/7/15 Annex-A17

श्रीमान जाँच अधिकारी
एवं निरीक्षक डाकघर बालोतरा
हाल केम्प बाड़मेर

विषय : बचाव सहायक की अनुपस्थिती में अभियोजन के गवाहो की गवाही नही करवाने बाबत्

महोदयजी

निवेदन है कि मेरे बचाव सहायक श्री ओंकारलाल जी खत्री ने फोन पर सूचित किया कि उनकी तबीयत खराब है अत: जाँच बैठक में आज दिनाँक 1-7-2015 को हाजिर नही हो सकते है अत: मुझे नया बचाव सहायक नियुक्त करने हेतू स्वीकृति दी जाए तथा बिना बचाव सहायक के जाँच कार्यवाही रोकी जाए व बचाव सहायक की गैर हाजरी में गवाहो की गवाई नही लि जाए अगर गवाही लि गई तो गवाहो का प्रति परिक्षण नही हो सकेगा व सत्यता सामने नही आयेगी मेरे साथ अन्याय होगा कृपया मेरे साथ न्याय करावे जी

नेजरवाँ भवदीय
नजे खाँ S/o सोरवी
पुट आफ ड्यूटी शाखा डाकपाल
सिन्धरी तथा द्रतीपाक
उड़ामालानी

pl. Annex DR

19 TLC

Annex-A17

दिनांक 01.07.2015

सेवामें,

श्रीमान जांच अधिकारी,

एंव निरीक्षक डाकघर बालोतरा,

हाल केम्प बाडमेर

विषयः– बचाव सहायक की अनुपस्थिति में अभियोजन के गवाहों की गवाही नही करवाने बाबत्।

महोदयजी,

निवेदन है कि मेरे बचाव सहायक श्री शंकरलाल जी खत्री ने फोन पर सूचित किया की उनकी तबीयत खराब है अतः जांच बैठक में आज दिनांक 01.07.2015 को हाजिर नही हो सकते है अतः मुझे नया बचाव सहायक नियुक्त करने हेतू स्वीकृति दी जाए तथा बिना बचाव सहायक के जांच कार्यवाही रोकी जाए व बचाव सहायक की गैर हाजरी में गवाहो की गवाई नही लि जाए अगर गवाही लि गई तो गवाहो का प्रति परिक्षण नही हो सकेगा व सत्यता सामने नही आएगी मेंरे साथ अन्याय होगा कृपया मेरें साथ न्याय करावे जी।

भवदीय
नजेर खॉ पुत्र सते खॉ
पट ऑफ शाखा डाकपाल
सिघासवा .हरणिया
गुडामालानी

सेवामे 20

Anny- A/8

श्रीमान अधीक्षक महोदय,जी
अधीक्षक डाकघर बाड़मेर

विषय : नया बचाव सहायक रखने बाबत्

मान्यवर,जी

नम्र निवेदन है कि नजरको फुर आॅफ ड्युटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा-हरीयान के विरुद्ध चल कार्यवाही 10 के तहत में मैं उसका बचाव सहायक के पद पर कार्य कर रहा था परन्तु मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण बैठको में समय पर उपस्थिती नही हो सकता व वृद्ध आदमी होने के कारण समय पर पहुचना मुश्कील होता है इसलिए श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि मेरे पद पर दुसरा नया बचाव सहायक कि नियुक्ती दिलवाने की कृपा करावे जी

दिनांक 12/8/2015

भवदीय
शंकरलाल खत्री
सेवानिवृत पी.आर.आई बाड़मेर

प्रतिलिपि श्री द्वारका सुथार
जांच अधिकारी / निरीक्षक
बालोतरा सूचनार्थ

plc
Attd
Sd/-

20 T/C Annex-A/8

सेवामें,

श्रीमान अधीक्षक महोदयजी,

अधीक्षक डाकघर बाडमेर

विषयः— नया बचाव सहायक रखने बाबत्।

मान्यवरजी,

नम्र निवेदन है कि नजेर खॉ पुट ऑफ डयुटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणिया क विरूद्ध चल कार्यवाही 10के तहत में मैं उसका बचाव सहायक के पद पर कार्य कर रहा था परन्तु मेंरी तबीयत ठीक न होने के कारण बैठकों में समय पर उपस्थिती नही हो सकता व बूढा आदमी होने के कारण समय पर पहुंचना मुश्किल होता है इसलिए श्रीमान जी से निवेदन करता हूॅ कि मेरे पद पर दूसरा नया बचाव सहायक कि नियुक्ति दिलवाने की कृपा करावे जी।

दिनांक :— 12.08.2015

भवदीय
शंकरलाल खत्री
सेवानिवृत पी.आर.आई. बाडमेर

प्रतिलिपी श्री देवाराम सुथार
जांच अधिकारी/निरिक्षक
बालोतरा सूचनार्थ

श्रीमान अधीक्षक महोदयजी 21 Annex A/9
मुख्य डाकघर बाड़मेर

विषय :- बचाव सहायक बदलने बाबत्

मान्यवरजी

दिनांक 29.5.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन करता हूँ कि मैं नजेखाँ डी० सतेखाँ पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान मे जो मेरे विरुद्ध ग्रामीण डाक सेवक (आचार एवं नियोजन) 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जाँच कार्यवाही चली रही है उसमे मेरा बचाव सहायक श्री शंकरलाल स्वामी जी को रखा गया था परन्तु श्री शंकरलाल जी बैठको में उपस्थित कम ही होते है क्योंकि वह करीबन बीमार ही रहते हैं और बूढे आदमी है जो चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है और समय पर बैठक में हाजिर नही हो सकते है इसलिए श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि मेरा आगे बचाव सहायक श्री ऊराराम जी चौधरी बापडू उपडाकपाल को रखना चाहता हूँ जो श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि आगे ऊराराम जी के नाम का आदेश दिलवाने की कृपा करावे जी

मै ऊराराम उपडाकपाल
नजेखाँ का बचाव सहायक का कार्य करने को तैयार हूँ
मेरे पास दो अन्य मामले है
ऊराराम चौधरी
SPM Bapdu

प्रार्थी
भवदीय
नजेखाँ डी० सतेखाँ
पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल
सिन्धासवा हरनियान
वाया - गुड़ामालानी 344031
जिला बाड़मेर

[illegible]
4

21 T/C

Annex-A19

सेवामें,

श्रीमान अधीक्षक महोदयजी,

मुख्य डाकघर बाडमेर।

दिनांक - 29.5.15

विषयः— बचाव सहायक बदलने बाबत्।

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन करता हूँ कि मैं नजेर खॉ पुत्र श्री सतेर खॉ पुट ऑफ डयूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान में जो मेरे विरूद्ध ग्रामीण डाक सेवक आचार एंव नियोजन 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही चल रही है उसमें मेंरा बचाव सहायक श्री शंकरलाल खत्री जी को रखा गया था। परन्तु श्री शंकरलाल जी बैठको में उपस्थित कम ही होते थे कारण कि वह करीबन बीमार ही रहते है और बूढ़े आदमी है जो चलना फिरना बात मुश्किल हो गया है और समय पर बैठक में हाजिर नही हो सकते है, इसलिए श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि मेरा आगे बचाव सहायक श्री भुराराम जी चौधरी बायतू उप डाक पाल को रखना चाहता हूँ जो श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि आगे भुराराम जी के नाम का आदेश दिलवाने की कृपा करावे जी।

भवदीय
नजेखॉ पुत्र सते खॉ
पुट ऑफ डयूटी शाखा डाकपाल
सिन्धासवा हरणियान
वाया गुडामालानी 344031
जिला बाडमेर

मैं भूराराम उप डाकपाल नजे खां का बचाव सहायक का काम करने को तैयार हूँ मेरे पास दो अन्य मामले है।

हस्ताक्षर भूराराम चौधरी

22 ~~21~~ Annex A/10

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय अधीक्षक डाकघर, बाड़मेर खंड, बाड़मेर – 344001

ज्ञापन संख्या – एफ 6-1/09-10 बाड़मेर दिनांक 25-03-2015

यतः इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या एफ 6-1/09-10 दिनांक 14-10-09 के तहत श्री नजे खान ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल सिंधासवा हरनियान [गुडामालानी] को दिनांक 12-09-2009 से पुट ऑफ़ ड्यूटी किया गया था।

पुट ऑफ ड्यूटी एवं उन्हें देय प्रतिपूर्ती राशि का पुनरीक्षण किया गया। पुट ऑफ ड्यूटी को आगामी 180 दिनों के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हों) जारी रखा जाता हैं।

वर्तमान में उन्हें प्रतिमाह मूल भत्ते के 25 प्रतिशत के बराबर तथा मूल भत्ते के इस 25 प्रतिशत पर ग्राहय महंगाई भत्ते सहित अनुग्रह भुगतान के रूप में प्रतिपूर्ती राशि का भुगतान किया जा रहा हैं। उन्हें भुगतान की जा रही प्रतिपूर्ती राशि का पुनरीक्षण किया गया।

भारतीय डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक [आचरण व नियोजन] नियमावली 2011 के नियम 12 (3) (ii) के तहत उन्हें देय 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ती राशि को 50 प्रतिशत कम करने का आदेश दिया जाता हैं। अर्थात अब उन्हें प्रतिमाह मूल भत्ते के 12.50 प्रतिशत के बराबर तथा मूल भत्ते के इस 12.50 प्रतिशत पर ग्राह्य महंगाई भत्ते सहित अनुगृह भुगतान के रूप में प्रतिपूर्ती राशि का भुगतान किया जाएगा।

यह आदेश दिनांक 01-04-2015 से प्रभावी होंगे।

अधीक्षक डाकघर,
बाड़मेर खंड, बाड़मेर–344001

प्रतिलिपि-

01- पोस्टमास्टर बाड़मेर प्रधान डाकघर

02- निरीक्षक डाक, मध्य, बाड़मेर

03 [Regd A.D.] श्री नजे खान ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल [पुट ऑफ ड्यूटी] सिंधासवा हरनियान [गुडामालानी]

04- कार्यालय प्रति।

23 Annex- A11

डेली आर्डर शीट - 23

क्रमांक - जांच/सिन्धासवा हरखियान/11-12 बाड़मेर दि 11-08-15

प्रकरण - श्री नजेखां पुत्र ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरखियान (गुड़ामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

==XX==XX==

आज दि. 11.08.2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर मे बैठक रखी गई। सभी संबंधितों को समन भेजा जा चुका था। आज की बैठक मे निम्नलिखित उपस्थित हुए-

01. श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
02. श्री विनय कुमार खत्री ~~निरीक्षक~~ सहायक अधीक्षक डाक जोधपुर

आज निम्नांकित दस्तावेजों को मार्क कर रिकार्ड मे लिया गया -

1. SD-25 बयान श्री प्रभुराम
2. SD-26 बयान श्री बाबूलाल
3. SD-27 बयान श्री अनाराम
4. SD-28 बयान श्री नजेखां (8 कुल पृष्ठ)
5. SD-29/1 to 2 BO A/c जुलाई-08 to जुलाई-09 तथा अग-09 to सित-09
6. SD-30/1 to 2 RD जर्नल 21-06-91 to 30.09.08 व 11.10.08 से 31.07.09
7. SD-31 RD पासबुक खाता सं 506422
8. SD-32 —"— 506431
9. SD-33 —"— 506432

आज श्री विनयकुमार खत्री जिन्हें SW-7 मार्क किया गया है, को निम्नलिखित दस्तावेज दिखाते हुए अलग से बयान लिये गये -

(1) SD-1, (2) SD-3, (3) SD-5 (4) SD-7, (5) SD-25 (6) SD-26 (7) SD-27 (8) SD-28 (9) SD-29/1 to 2 (10) SD-30/1 to 2 (11) SD-31, (12) SD-32 (13) SD-33

Received copy with SW-7
[signature]

आज प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा लिखित मे निवेदन किया गया कि आरोप पत्र मे वर्णित निम्न गवाहों को बार-बार समन भेजने के बावजूद गवाही हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण मे अत्यधिक विलम्ब होने का कारण बताते हुए उन्हें छोड़ने (drop)

←अनुपस्थित→	←अनुपस्थित→	[signature]	[signature]
(नजेखां)	(शंकर लाल)	(वासुदेव सोनी)	(देवाराम गुर्जर)

PC Attested [signature]

का निवेदन किया -

01. श्री प्रभुराम पु. श्री मांगाराम नि. सिन्धासवा हरजियान

02. श्री बाबूलाल चौधरी पु. श्री सालूराम जाट नि.-पादरडी

03. श्री अनाराम पु. श्री लालाराम मेघवाल नि. पादरडी

प्रस्तुत अधिकारी का निवेदन स्वीकार कर लिया गया।

चूंकि दि. 24.7.15 द्वारा भेजे गये समन में बैठक का समय 11-08-15 को 1400 बजे रखा गया था। जांच की कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू हो गई थी। जो 1800 बजे पूर्ण हुई थी। इस बीच लगभग 1700 बजे श्री नजेखां आरोपी GDS उपस्थित हुए तथा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अपने बचाव सहायक श्री शंकरलाल की बीमारी का हवाला देते हुए नये बचाव सहायक की अनुमति का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा न तो प्रस्तावित बचाव सहायक का नाम सूचित किया व न ही उसका सहमति पत्र पेश किया। उसके नियोक्ता का भी नाम सूचित नहीं किया गया।

श्री नजेखां को कार्यवाही में बैठने हेतु कहा गया किन्तु वे बैठे नहीं तथा न ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मात्र प्रार्थना पत्र टेबल पर छोड़ कर चला गया।

अब इस प्रकरण में किसी सरकारी गवाह का परीक्षण बकाया नहीं है। अब तक की हुई जांच कार्यवाही बाबत आरोपित GDS अपने बचाव में अपना स्व परीक्षण लिखित में आगामी बैठक 25-8-2015 को प्रस्तुत करें।

अतः आगामी बैठक दि. 25-08-2015 को आरोपित GDS, उसका बचाव सहायक व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी स्थान कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर में समय 1200 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दस्तावेज क्रमांक SD-25 to SD-33 प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को सुपुर्द किये गये।

<-अनुपस्थित->	<-अनुपस्थित->	[signature]	[signature]
(नजेखां)	(शंकरलाल)	(वासुदेव सोनी)	(देवाराम कुमार)
आरोपित GDS	बचाव सहायक	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	जांच अधिकारी

P/C Attested
Sd/-

A

(SW-7)

बयान श्री विनय कुमार खत्री तत्कालीन निरीक्षक उप मुख्य उपखण्ड बाड़मेर हाल सहायक अधीक्षक डाक जोधपुर स्थान - डा. अधीक्षक डाकघर बाड़मेर

दिनांक 11-08-2015

मुख्य परीक्षण

मुझे दस्तावेज क्रमांक SD-1 दिखाया गया। इसमें मार्क E से F हस्ताक्षर मय पदनाम मुहर मेरे ही है। इसी प्रकार SD-3 में E से F, SD-5 में E से F SD-7 में C से D, SD-25 में E से F, SD-26 में E से F, ~~SD-27~~ E से F व SD-28 में I, to J, तथा I2 से J2, I3 से J3, I4 से J4, I5 से J5, I6 से J6, I7 से J7 तथा I8 से J8 तक किये गये हस्ताक्षर व पदनाम मुहर मेरी है। उक्त तमाम प्रदर्शों में SD-25 to 28 में A से B क्रमश: प्रभुराम, बाबूलाल, अन्नाराम, तथा नेत्रखान द्वारा दिये गये मूल बयान है जो मेरे द्वारा लिये गये हैं। इनमें से SD-25 से SD-28 में मार्क C से D क्रमश: प्रभुराम, बाबूलाल, अन्नाराम तथा नेत्रखान के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार SD-28 पर मार्क E से F गवाह रोशनी, G से H गवाह श्री रघुनाथ सुथार MO-[11] के हस्ताक्षर है। इसकी मैं पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार SD-29/1 to 2 दिखाया गया जो कि ~~शाखा डाकघर~~ सिन्धासवा हरनियान का माह जुलाई-08 से जुलाई-09 तथा अगस्त-09 to सित-09 तक के BO AO है। इन पर सत्यापन के फलस्वरूप डाक अधिदर्शक द्वारा विभिन्न तारीखों में जांच कर हस्ताक्षर किये गये हैं तथा तत्कालीन अधीक्षक डाकघर द्वारा भी सत्यापित कर हस्ताक्षर किये गये हैं। मैं इनकी पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार मुझे SD-30/1 to 2 दिखाये गये। ये शाखा डाकघर सिन्धासवा हरनियान के मूल RD जर्नल है 20.08.91 to 24.09.08 तथा 11.10.08 to 31.07.09 तक के है। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार मुझे RD खाता पासबुक संख्या 506422 (SD-31), 506431 (SD-32), तथा 506432 (SD-33) दिखाई गई जो कि क्रमश: श्री बिंजलाराम s/o प्रभुराम, बाबूलाल चौधरी, अन्नाराम s/o लालाराम के नाम डाकघर तथा सिन्धासवा हरनियान में खाते खुले हुए हैं। इनकी मैं पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार SD-1, SD-7, SD-3, SD-5 के बयान भी मेरे द्वारा प्राप्त किये गये थे। उन तमाम बयानों में हस्ताक्षर क्रमश: लिखमाराम, वीरसिंह, प्रेमसिंह एवं अणदाराम के हैं।

प्रति परीक्षण - शून्य

पुन: परीक्षण - शून्य

[signature] 11/8/15
(विनय कुमार खत्री)

Copy with SW-7

P.A. Attested
[signature]

[signature]

(अनुलिखित)	(अनुलिखित)	[signature]	[signature]
(नेत्रखां)	(शंकर लाल)	(वासुदेव सोनी)	(देवाराम कुमार)
आरोपी द.B.J	बचाव सहायक	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	जांच अधिकारी

27 ग/c

1 Annex A/11

डेली आर्डर शीट – 23

क्रमांक – जांच/सिन्धासवा हरणियान/11–12 बाडमेर दि0 11.08.2015

प्रकरण– श्री नजे खॉ पुट ऑफ डियूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुणामालानी) के विरूद्ध नियम – 10 के अन्तर्गत जांच।

आज दिनांक 11.08.2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाडमेर में बैठक रखी गई। सभी संबधितो को समन भेजा जा चुका था। आज की बैढक में निम्नलिखित उपस्थित हुये –

1– श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

2– श्री विनय कुमार खत्री, सहायक अधीक्षक डाक जोधपुर

आज निम्नाकित दस्तावेजों को मार्क कर रिकार्ड में लिया गया –

1. SD-25 बयान श्री प्रभुराम
2. SD-26 बयान श्री बाबूलाल
3. SD-27 बयान श्री अनाराम
4. SD-28 बयान श्री नजे खां (कुल 8 पृष्ठ)
5. SD-29/ 1 to 2 Bo A/c जुलाई 08 to जुलाई 09 तथा अग 09 to सित.09
6. SD-30/ 1 to 2 RD जर्नल 29-6 & 1 to 30-09-08 & 11.10.08 to 31.07.09
7. SD-31 RD पासबुक खाता सं. 506422
8. SD-32 RD पासबुक खाता सं. 506431
9. SD-33 RD पासबुक खाता सं. 506432

24

आज श्री विनयकुमार खत्री जिन्हे SW-7 मार्क किया गया है, को निम्नलिखित दस्तावेज दिखाते हुए अलग से बयान लिये गये –

1) SD-1, 2) SD-3, 3) SD-5, 4) SD- 7, 5) SD-25, 6) SD-26, 7) SD-27, 8) SD-28, 9) SD-29/ 1 TO 2, 10) SD-30/ 1 TO 2, 11) SD-31, 12) SD- 32, 13) SD-33

आज प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा लिखित में निवेदन किया गया कि आरोप पत्र में वर्णित निम्न गवाहों को बार–बार समन भेजने के बावजूद गवाही हेतु उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब होने का कारण बताते हुए उन्हें छोडने (drop)

–अनुपस्थित–	–अनुपस्थित–	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नजेखॉ)	(शंकरलाल)	(वासुदेव सोनी)	(देवाराम सुथार)

का निवेदन किया –

01– श्री प्रभुराम पुत्र श्री मांगाराम नि. सिन्धासवा हरणियान

02– श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, नि. पादरडी

03– श्री अनाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल, नि. पादरडी।

प्रस्तुत अधिकारी का निवेदन स्वीकार कर लिया गया।

चूंकि दि. 24.07.15 द्वारा भेजे गये समन में बैठक का समय 11.08.15 को 14:00 बजे रखा गया था। जांच की कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू हो गई थी। जो 18:00 बजे पूर्ण हुई थी। इस बीच लगभग 17:00 बजे श्री नजेखॉ आरोपी GDS उपस्थित हुए तथा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अपने बचाव सहायक श्री शंकरलाल की बीमारी का हवाला देते हुये नये बचाव सहायक की अनुमति का निवेदन किया। प्रार्थी

24 (a)

द्वारा न तो प्रस्तावित बचाव सहायक का नाम सूचित किया व न ही उसका सहमति पत्र पेश किया। उसके नियोक्ता का भी नाम सूचित नही किया गया।

श्री नजेखां को कार्यवाही में बेठने हेतु कहा गया किन्तु वे बैठें नही तथा न ही अपंनी उपस्थिति दर्ज कराई। मात्र प्रार्थना–पत्र टेबल पर छोड़ कर चला गया।

अब इस प्रकरण में किसी सरकारी गवाह का परीक्षण बकाया नही है। अब तक की हुई जांच कार्यवाही बाबत् आरोपित जीडीएस अपने बचाव में अपना स्व परीक्षण लिखित में आगामी बैठक 25.08.2015 को प्रस्तुत करें।

अतः आगामी बैठक दि. 25.08.2015 को आरोपित GDS, उसका बचाव सहायक व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी स्थान कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाडमेर में समय 13:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दस्तावेज क्रमांक SD-25 to SD-33 प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को सुपुर्द किये गये।

–अनुपस्थित–	–अनुपस्थित–	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नजेखॉ)	(शंकरलाल)	(वासुदेव सोनी)	(देवाराम सुथार)

बयान श्री विनय कुमार खत्री तत्कालीन, निरीक्षक डाक सहा उपखण्ड बाडमेर हाल सहायक अधीक्षक डाक जोधपुर स्थान का अधीक्षक डाकघर बाडमेंर

दिनांकः 11.08.2015

मुख्य परीक्षण

मुझे दस्तावेज क्रमांक SD- 3,दिखाया गया। इसमें मार्क ई से एफ हस्ताक्षर मय पदनाम मुहर मेंरे ही है। इसी प्रकार SD-3 में E से F, SD-5 में E से F, SD-7 में C से D, SD-25 में E से F, SD-26 में E से F, SD-27 में E से F, SD-28 में I to J, तथा I 2 से J 6, I 3 से J3, I 4 से J4, I 5 से J5, I 2 से J 6, I7 से J 8, तथा I 8 से J 8, तक किये गये हस्ताक्षर व पदनाम मुहर मेरी है। उक्त तमाम प्रदर्शो में SD-2 to 28 मे ए से बी क्रमशः प्रभुराम, बाबूलाल, अनाराम तथा नजेखान द्वारा दिये गये मूल बयान है जो मेंरे द्वारा लिये गये है। इनमें से SD-25 से SD-28 में मार्क सी से डी क्रमशः प्रभुराम बाबूलाल अनाराम, तथा नजेखान के हस्ताक्षर है।

इसी प्रकार SD-28 पर मार्क ई से एफ गवाह रोशनी जी से एच गवावह श्री रघुनाथ सुथार Mo-III के हस्ताक्षर है। इसकी मैं पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार SD-29/1 to 2 दिखाया गया जो कि शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान का माह जुलाई– 08 से जुलाई 09 तथा अगस्त 09 से सित 09 तक BD A/O ,है। इन पर सत्यापन के फलस्वरूप डाक संधिदर्शक द्वारा विभिन्न तारीखों मे जांच कर हस्ताक्षर किये गये है तथा तत्कालीन अधीक्षक डाकघर द्वारा भी सत्यापित कर हस्ताक्षर किये गये है। मैं इनकी पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार मुझे SD-30/1 to 2 दिखाये गये। ये शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान के मूल आरडी जर्नल दि. 29.06.91 to 20.09.08 तथा 11.10.08 to 21.07.09 तक के है। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार मुझे आर डी खाता पासबुक संख्या 506422 (SD-31) , 506434 (SD-22), तथा 506432 (SD-33) , दिखाई गई जो कि क्रमशः श्री बिंजलाराम पुत्र प्रभुराम, बाबूलाल चौधरी, अनाराम पुत्र लालाराम के नाम की है तथा सिन्धासवा हरणियान में खाते खुले हुए है। इनकी मैं पुष्टि करता हूँ।

इसी प्रकार SD-1, SD-7, SD-3, SD-5, के बयान भी मेरे द्वारा प्राप्त किये गये थे। इन तमाम बयानो में हस्ताक्षर क्रमशः लिखमाराम, वीरसिंह, प्रेमसिंह एंव अणदाराम के है।

प्रति परीक्षण शून्य पुनः परीक्षण शून्य	हस्ताक्षरित विनय कुमार खत्री

–अनुपस्थित–	–अनुपस्थित–	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नजेखॉ)	(शंकरलाल)	(वासुदेव सोनी)	(देवाराम सुथार)
आरोपी GDS	बचाव सहायक	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	जांच अधिकारी

26 Annex. A/12

(*ii*) a copy of the written statement of the defence, if any, submitted by the Government servant;

(*iii*) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3);

(*iv*) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the Government servant; and

(*v*) a copy of the order appointing the "Presenting Officer".

(7) The Government servant shall appear in person before the Inquiring Authority on such day and at such time within ten working days from the date of [1][receipt by the Inquiring Authority] of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the Inquiring Authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the Inquiring Authority may allow.

[2](8) (*a*) The Government servant may take the assistance of any other Government servant posted in any office either at his headquarters or at the place where the inquiry is held, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner, or, the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Provided that the Government servant may take the assistance of any other Government servant posted at any other station, if the Inquiring Authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing so permits.

[3]NOTE.— The Government servant shall not take the assistance of any other Government servant who has [4][three] pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

[5](*b*) The Government servant may also take the assistance of a retired Government servant to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the President from time to time by general or special order in this behalf.

---

1. Substituted *vide* G.I., Dept. of Per. & Trg., Notification No. 11012/8/94-Estt. (A), dated the 2nd January, 1996.

2. Substituted *vide* G.I., M.H.A., D.P. & A.R., Notification No. 11012/1/82-Estt. (A), dated the 2nd June, 1983.

3. Inserted *vide* G.I., C.S. (Dept. of Per.), Notification No. 7/4/69-Estt. (A), dated the 24th November, 1976.

4. Substituted *vide* G.I., Dept. of Per. & Trg., Notification No. 11012/6/92-Estt. (A), dated the 4th June, 1992.

5. Inserted, *vide* G.I., M.H.A. (Dept. of Per.), Notification No. 11012/21/77-Estt. (A), dated the 14th November, 1977.

27 Annex-A13

this will result in the avoidable delay in finalization of proceedings, which should be guarded against at all costs.

[D.G., P. & T., Letter No. 201/70/74-Disc. II, dated the 20th May, 1976.]

(6) Power of Inquiring Authority.— The position, as it emerges, is that, an Inquiring Authority is not competent to issue a formal charge-sheet to the charged officer, but is only competent to record its findings on any article of the charge different from the original articles of the charge, if the proceedings of the inquiry establish the same, provided that the findings on such article of charge are recorded by the Inquiring Authority only, if the Government servant has either admitted the facts on which such articles of charge are based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such articles of charge.

[D.G., P. & T., Letter No. 5/3/81-VT, dated the 14th December, 1981.]

(7) Witness cannot function as Inquiry Officer / Presenting Officer.— An official who may have to appear as a witness in a disciplinary case should not be appointed as the Presenting Officer or Inquiry Officer in that case.

[Para. 87, P. & T. Manual, Vol. III.]

(8) Inquiry to be stayed when application is made against the Inquiry Officer's appointment on ground of bias.— For the purpose of GID (12), the Reviewing Authority would normally be the Appellate Authority.

[D.G., P. & T., Letter No. 7/28/72-Disc. I, dated the 19th March, 1973.]

Obviously, any representation against the appointment of Inquiring Officer on grounds of bias should be made as soon as the Inquiring Authority has been appointed, but not after the proceedings have commenced and reached an advanced stage. No hard and fast rules can, however, be laid down and each case will have to be examined on merits on the facts and circumstances brought out by the concerned Government servant alleging bias on the part of Inquiring Authority. As the rules stand at present, it is not possible to deny to the Government servant the right to ask for review of any orders issued under CCS (CCA) Rules, 1965, at any time.

[D.G., P. & T., Letter No. 6/28/72-Disc. I, dated the 2nd August, 1973.]

DEFENCE ASSISTANT

(9) The rules do not vest any discretion in the Disciplinary Authority in regard to the nomination of a Government servant to present the case of the delinquent official. However, if for any compelling reasons it is not practicable for the Controlling Authority of the assisting Government servant to relieve him without undue delay or without serious detriment to the public interest to present the case of the delinquent official, he should inform the Inquiry Off...

(ii) There is considerable delay in framing the charges after information is received about the alleged irregularities. There are a number of instances where the Courts have set aside the order of penalty due to inordinate delay in initiating action. Specific accountability should be fixed on the officer/s responsible for framing the charges, for ensuring issuance of charge-sheet within a set time frame. Responsibility shall be fixed for inordinate delay in framing charges, in cases where there are no valid reasons such as a stay of the proceedings by Court.

(iii) There is undue delay because of repeated requests of the Charged Officer (CO) for time to give his written statement in reply to the charge-sheet. As per existing instructions, the CO is allowed 10 days to submit his written statement. The normal duties of the CO may not give him adequate time in preparing his written statement. He may be allowed three to four days' absence for preparing his written statement by the Controlling Officer and this period may be considered as duty, in which case no extension of time shall be allowed beyond the stipulated period of 10 days.

(iv) Wherever a Departmental Officer is appointed as the Inquiry Officer in Departmental Proceedings, the officer concerned shall be relieved from his normal duties for a period up to 20 days in two spells during which he should complete the inquiry and submit the report. During the period so allowed, he will attend to the inquiry on full-time basis.

It is requested that the above Guidelines may be followed in the conduct of disciplinary proceedings.

[G.I., Dept. of Per. & Trg., O.M. No. 142/5/2003-AVD. I, dated the 6th April, 2004.]

DEFENCE ASSISTANT

(16) Intimation to be given to the Controlling Authority of the Government servant assisting the accused.— Rule 14 (8) provides that the Government servant against whom disciplinary proceedings have been initiated may take the assistance of any other Government servant to present the case on his behalf. While no permission is needed by the official who is charge-sheeted to secure the assistance of any other Government servant, it is necessary for the latter to obtain the permission of his Controlling Authority to absent himself from office in order to assist the accused Government servant during the enquiry. It would avoid delay in granting such permission, if the Inquiry Officers take the initiative in the matter of informing the Controlling Authority in this regard. It is, therefore, suggested that as soon as the accused Government servant informs the Inquiry Officer of the name and other particulars of the Government servant who has been chosen by him to assist in the presentation of his case, the Inquiry Officer should intimate this fact to the Controlling Authority of the Government servant concerned. Further, the date and time of the hearing should be intimated to the

said Controlling Authority sufficiently in advance adding that if, for any compelling reason, it is not practicable to relieve the Government servant concerned on the due date or dates to attend the enquiry, the Inquiry Officer, the accused official and the Government servant chosen for assisting the accused official may be advised well in time.

[Letter No. 61/3/67-C, dated the 8th January, 1968, from the Central Vigilance Commission, New Delhi to the Chief Vigilance Officers of the Ministries / Departments, etc.]

(17) Engaging Defence Assistant posted in another station.— Sub-rule (8) of Rule 14 provides that a Government servant may take the assistance of any other Government servant posted at any other station on being permitted by the Inquiry Authority to do so. It does not totally prohibit having a Defence Assistant from any station other than the headquarters of the charged Government servant or the place of inquiry. It is open to the Inquiring Authority to permit the appointment of a Defence Assistant from any other station, having regard to the circumstances of each case. However, at present, there is no provision for appeal against the decision of the Inquiring Authority in the matter, should it decide to refuse permission.

2. It has been decided, that a Government servant should be allowed to make a representation to the Disciplinary Authority if the Inquiring Authority rejects a request for permission to take a Defence Assistant from a place other than the headquarters of the charged Government servant or the place of inquiry. Accordingly, in all cases where the Inquiring Authority rejects the request of the charged Government servant for engaging a Defence Assistant, from any station other than the headquarters of such Government servant or the place where the inquiry is conducted, it should record its reasons in writing and communicate the same to the charged Government servant to enable him to make a representation against the order, if he so desires, to the Disciplinary Authority. On receipt of the representation from the charged Government servant, the Disciplinary Authority, after applying its mind to all the relevant facts and circumstances of the case, shall pass a well-reasoned order either upholding the orders passed by the Inquiring Authority or acceding to the request made by the charged employees. Since such an order of the Disciplinary Authority will be in the nature of a step-in-aid of the inquiry, no appeal shall lie against that order.

[G.I., Dept. of Per. & Trg., O.M. No. 11012/3/86-Estt. (A), dated the 29th April, 1986.]

(18) Ceiling raised to seven cases for retired Government servants appearing as Defence Assistants.— Reference is invited to O.M. No. 11012/5/92-Estt. (A), dated 22-5-1992 (*not printed*) on the subject mentioned above and to say that the Staff Side in the National Council (JCM) had made a demand for enhancing the ceiling on the number of cases a retired Government servant can take up as Defence Assistant. In the light of the discussion in the meeting of the National Council in this regard, it has been decided to raise the limit of cases

this will result in the avoidable delay in finalization of proceedings, which should be guarded against at all costs.

[D.G., P. & T., Letter No. 201/70/74-Disc. II, dated the 20th May, 1976.]

(6) Power of Inquiring Authority.— The position, as it emerges, is that, an Inquiring Authority is not competent to issue a formal charge-sheet to the charged officer, but is only competent to record its findings on any article of the charge different from the original articles of the charge, if the proceedings of the inquiry establish the same, provided that the findings on such article of charge are recorded by the Inquiring Authority only, if the Government servant has either admitted the facts on which such articles of charge are based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such articles of charge.

[D.G., P. & T., Letter No. 5/3/81-VT, dated the 14th December, 1981.]

(7) Witness cannot function as Inquiry Officer / Presenting Officer.— An official who may have to appear as a witness in a disciplinary case should not be appointed as the Presenting Officer or Inquiry Officer in that case.

[Para. 87, P. & T. Manual, Vol. III.]

(8) Inquiry to be stayed when application is made against the Inquiry Officer's appointment on ground of bias.— For the purpose of GID (12), the Reviewing Authority would normally be the Appellate Authority.

[D.G., P. & T., Letter No. 7/28/72-Disc. I, dated the 19th March, 1973.]

Obviously, any representation against the appointment of Inquiring Officer on grounds of bias should be made as soon as the Inquiring Authority has been appointed, but not after the proceedings have commenced and reached an advanced stage. No hard and fast rules can, however, be laid down and each case will have to be examined on merits on the facts and circumstances brought out by the concerned Government servant alleging bias on the part of Inquiring Authority. As the rules stand at present, it is not possible to deny to the Government servant the right to ask for review of any orders issued under CCS (CCA) Rules, 1965, at any time.

[D.G., P. & T., Letter No. 6/28/72-Disc. I, dated the 2nd August, 1973.]

DEFENCE ASSISTANT

(9) The rules do not vest any discretion in the Disciplinary Authority in regard to the nomination of a Government servant to present the case of the delinquent official. However, if for any compelling reasons it is not practicable for the Controlling Authority of the assisting Government servant to relieve him without undue delay or without serious detriment to the public interest to present the case of the delinquent official, he should inform the Inquiry Officer about it

official could choose any other Government servant to assist him in the presentation of his case before the Inquiry Officer.

It has been held by the Ministries of Law and Home Affairs that refusal by superior officer to grant permission to nominated Government servant on reasonable grounds would not amount to denying the right of representation under CCS (CCA) Rules, as it would be open to the delinquent official to nominate another Government servant.

[D.G., P. & T., Letter No. 6/4/66-Disc., dated the 6th August, 1966 and Letter No. 10/1/68-Disc., dated the 23rd July, 1969.]

The correct position is that, no permission is needed by the accused Government servant to secure the assistance of any other Government servant. The latter also is not required to take the permission for assisting the accused Government servant. It will, however, be necessary for him to obtain the permission of his Controlling Authority to absent himself from office in order to assist the accused Government servant during the enquiry.

[D.G., P. & T.'s Letter No. 153/3/78-Disc. II, dated the 17th October, 1978.]

(10) Government servant under suspension eligible to function as Defence Counsel.— A question has been raised whether under the provisions of Rule 14 (8) of the CCS (CCA) Rules, 1965, a Government servant under suspension, is eligible to function as Defence Counsel, if his services are required by an accused official. The reply to the question is that, merely because an official is under suspension does not mean that he has ceased to be a Government servant, and as such, an official under suspension has full right to work as Defence Assistant. The question was recently examined by the Kerala High Court and it was opined that there is no rule that a person under suspension is not entitled to assist another Government servant in the enquiry proceedings.

2. The above ruling may be kept in view while deciding similar cases.

[D.G., P. & T.'s Letter No. 201/15/75-Disc. II, dated the 3rd July, 1975.]

(11) Assistance of legal practitioner to be decided on merits of each case.— The assistance of a legal practitioner should not be refused to the officer concerned if the Presenting Officer is a legal practitioner. The rule, however, vests discretion in the Disciplinary Authority to permit assistance of a legal practitioner having regard to the circumstances, that such assistance is justified. No orders exist laying down guidelines to the Disciplinary Authority as to in what circumstances such justification may be said to exist. The matter has been carefully considered and after taking into account the judgments delivered by some High Courts on this point, it has been decided that the Disciplinary Authority should bear, in each case, such circumstances in mind, as the status of the Presenting Officer, his experience in this type of job and the volume and nature of documentary evidence produced in the case before taking a decision as to whether or not the services of a legal practitioner should be made available to the officer concerned. It is reiterated that the discretion of the

Next dt. 28.1.16 / 4.12.15

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, JODHPUR BENCH, JODHPUR.

ORIGINAL APPLICATION NO. 330/2015

APPLICANT:

Naje Khan

VERSUS

RESPONDENTS:

Union of India & Ors.

I N D E X

S.No.	PARTICULARS	Page No.
1.	Reply to the Original Application on behalf of the respondents.	32-54
2.	**DOCUMENTS**	

R/C CSPS 4/12/15

Accepted by Shri Minesh Jethu on 4/12/15

Annexure R/2 Copy of the order dt. 24.02.14	56
Annexure R/3 Copy of the order dt.25.03.14	57
Annexure R/4 Copy of the order dt.06.05.14	58
Annexure R/5 Copy of the order dt.13.06.14	59
Annexure R/6 Copy of the order dt.31.07.14	60
Annexure R/7 Copy of the order dt.03.09.14	61
Annexure R/8 Copy of the order dt.11.04.15	62
Annexure R/9 Copy of the order dt.07.05.15	63
Annexure R/10 Copy of the order dt. 23.06.15	64
Annexure R/11 Copy of the order dt. 24.07.15	65
Annexure R/12 Copy of the order dt. 15.10.13	66
Annexure R/13 Copy of the order dt.11.03.14	67
Annexure R/14 Copy of the order dt. 10.04.14	68
Annexure R/15 Copy of the order dt. 20.05.14	69
Annexure R/16 Copy of the order dt. 24.06.14	70
Annexure R/17 Copy of the order dt. 12.08.14	71
Annexure R/18 Copy of the order dt. 16.09.14	72
Annexure R/19 Copy of the order dt. 22.04.15	73
Annexure R/20 Copy of the order dt. 25.05.15	74
Annexure R/21 Copy of the order dt. 01.07.15	75-76
Annexure R/22 Copy of the order dt. 11.08.15	77-78

PLACE : **Counsel for the respondents**

DATED : **(Nimesh Suthar)**

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE

TRIBUNAL, JODHPUR BENCH,

JODHPUR.

ORIGINAL APPLICATION NO. 330/2015

APPLICANT:

Naje Khan

VERSUS

RESPONDENTS:

Union of India & Ors.

INTERIM REPLY TO THE ORIGINAL

APPLICATION ON BEHALF OF THE

RESPONDENTS NO. 1 TO 4

MAY IT PLESE HON'BLE TRIBUNAL;

The answering respondents named above most humbly and respectfully submits as under: -

The applicant, sh. Naje Khan, was working as GDS BPM Sindhaswa Harniyan EDBO under Gudamalani SO. He was appointed as GDS BPM Sindhaswa Harniyan on dated 24-06-1985. The applicant while working as GDS BPM Sindhaswa Harniyan, misappropriated the amounts in saving schemes of the department. The fraud came to light on 24-09-2009 but the applicant had earlier unauthorized absent from duty and remained under police/judicial custody from 12-09-2009 to 27-03-2010 in connection with another personal case.

On detection of the fraud case and remaining unauthorized absent from duty the applicant was placed under put off duty w.e.f.12-09-2009 vide order dated 08-06-2010. Since then, the applicant is still under put off duty.

The applicant was paid an amount of compensation as ex gratia payment equal to 25% of his TRAC from 27-03-2010. First review of compensation (as ex gratia payment) was carried out on dated 28-06-2011.As prescribed in rule 12 (3) (ii) of GDS (C&E) Rules 2011, the reviews were carried out from time to time and amount of compensation as ex gratia payment was continued. The last review in the present case was carried out on 25/03/2015 and amount of compensation as ex gratia payment was decreased as per rule.

After completion of Department investigation, the disciplinary action under Rule 2011 was initiated against the applicant. Charge sheet under Rule 10 of GDS (C&E) Rules 2011 was issued to the applicant vide order dated 18-11-2010.

As prescribed in the rules, for detailed enquiry of the charges leveled against the applicant, Inquiry officer (IO) and presenting officer (PO) were appoint in the case vide order dated 06-12-2010.Enquiry under Rule 10 is still under process, but the applicant has been unnecessarily delaying the disciplinary proceeding.

The applicant had alleged baseless and false allegation of bias on the IO .but in absence of any evidence same were rejected by the disciplinary authority as well as appellate authority and now appeal of the applicant against rejection of disciplinary authority/appellate authority is under process before next appellate authority.

The applicant wants to change his defense assistant but he has not proposed/nominated name of anybody to

whom, he wants to appoint his defense assistant .Earlier the applicant was proposed/nominated Shri Bhoora Ram Chaudhry who have been working in this department ,but due to administrative reasons Shri Bhoora Ram Choudhry was not permitted to appoint his defense assistant and there after the applicant has not proposed/nominated another name and delayed the case unnecessarily, although the case has already been badly delayed on part of the applicant.

The applicant has filed this OA before the Hon'ble CAT for non appointing his defense assistant with allegation of bias on IO.

PARA-WISE REPLY

4(1) That the averments contained in para 1 of the Original Application are not admitted and hence

under section 376, 306 & 120-B of IPC, in which applicant was acquitted, is not relevant with this case, but applicant had remained unauthorized absent from duty from 12-09-2009 to 27-03-2013 and in between this period a fraud made by the applicant during April 2008 to august 2009 was come to notice of the department, so the applicant was placed under put off duty vide order dated 14-10-2009 w.e.f.12-09-2009.

After completion of the Departmental investigation of the fraud case, the disciplinary proceeding was initiated against the applicant and charge sheet under rule 10 of the GDS (Conduct & Employment) Rules, 2001 (now said as 2011) was issued to the applicant on 18.11.2010.

As the allegation of the applicant on IO mentioned in this Para as to get the statements of the state witnesses according to wish, will and desire of the IO, otherwise dropping their names, are totally false and baseless on basis of the following facts.

During the disciplinary proceeding as stage by stage to examine 3 state witnesses, whose complaints/applications attached to this O.A. as Annexures A/2 and A/3. Total 11 times hearings were fixed on dt. 15.10.13; 11.03.14; 10.04.14; 20.05.14; 24.06.14; 12.08.14; 16.09.14; 22.04.15; 25.05.15; 01.07.15; and 11.08.15 vide order dt. 30.09.13; 24.02.14; 25.03.14; 06.05.14; 13.06.14; 31.07.14; 03.09.14; 11.04.14; 07.05.15; 23.06.15 and

24.07.15. but the State witnesses had attended only 1 hearing dt. 15.10.13 in which they were refused to give their statements and told that they would consider about giving their statements in next hearing, thereafter the State Witnesses remained absent on all the other next hearings(till now).

The State witnesses among above said three, namely Sh. Prabhu Ram s/o Sh. Manga Ram who had also presented only two other hearings dt. 10.04.14 and 24.06.14, but in absence of the defence assistant and PO in both the hearings respectively, Sh. Prabhu Ram has not been examined. There after he had not attended in all the next hearings.

As above the State witnesses had been unnecessarily delaying the disciplinary proceeding

since long, in between 2 years period, they attended only 1 hearing among total 11 hearings, and in which they also refused to give their statements with their an excuse that they would consider about giving their statements in next hearings, but they never came back in any of the next hearings to give their statements. Although they were called again and again through written orders/notices. In this situation at the hearing on dt. 11.08.15 with keeping view on above facts and unnecessarily delay in disciplinary proceeding, due remaining absent by the State witnesses, the IO was requested by the PO to drop the name of the State witnesses and the same was accepted by the IO. It can be seen through the Annexure A/2 and A/3 of the O.A. that as the

State witnesses were earlier submitted their complaints/applications dt. 16.07.15 and 24.07.15 regarding dropping their names which shows that the complaints/applications were written in manuscript of the applicant himself and it was a tactic of the applicant to hostile the state witnesses and t delay in the proceeding. The Draft material of both the complaints/applications are completely same and only name of a state witness Sh. Anna Ram S/o Sh. Lala Ram was deleted in the complaint/application dt. 24.07.15 and the date of the complaint/application dt. 24.07.15 was also edited (inserted) by the applicant, which is also shown a tactic to hostile the state witnesses by the applicant himself.

Copy of order dt. 30.09.13, 24.02.,14; 25.03.14; 06.05.14; 13.06.14; 31.07.14; 03.09.14; 11.04.15; 07.05.15; 23.06.15; and 24.07.15 and copy of order sheets dt. 15.10.13; 11.03.14; 10.04.14; 20.05.14; 24.06.14; 12.08.14; 16.09.14; 22.04.15; 25.05.15; 01.07.15; and 11.08.15 are attached here with and marked as **Annexures R/1 to R/22 respectively.**

4(2) That the averments contained in para 4.2 of the Original Application are not admitted hence denied. As the IO against whom allegation of bias alleged was appointed on 05.02.13 but the applicant has submitted application of bias on dt. 26.09.14 when a period of about half an year has been elapsed and 7 hearings also took place between the period. As per rule 14 (8) "any representation

against the appointment of Inquiry officer on grounds of Bias should be made as soon as the enquiry authority has been appointed but not after the proceeding has commenced and reached an advanced stage. Although the allegation were examined on merits of the facts and circumstances brought out by the applicant, but no any merits were noticed and same was rejected. There after the applicant has submitted an appeal against the rejection before the next authority, which was also rejected. Now the appeal of the applicant against the rejection is under process at higher departmental administrative level and seems to be not considerable on basis of merits of the facts and circumstances mentioned in the appeal are baseless

and without any evidence. Copy of rule 14(8) is already annexed to the OA as (Annexure A/13)

4(3) That the averments contained in para 4.3 of the Original Application are not admitted hence denied. The contention made by the applicant are not accepted in the manner stated above and it is submitted that the copy of Annexure A/7, A/8 & A/9 of the OA were received and action as per rule were taken at once on all, the applicant was replied vide order dt. 03.06.2015 that due to administrative reasons, Shri Bhoora Ram Chaudhary was not permitted to appoint defense assistant of the applicant. There after the applicant has not been proposed/nominated name of any person to appoint defense assistant of the applicant till now ,

which is clear tactic of delay in proceeding against the applicant. Order dt 03.06.2015 is already annexed to the OA as (Annexure A/1).

4(4) That the averments contained in para 4.4 of the Original Application are not admitted in the manner as averred. The contention made by the applicant are not accepted in the manner stated above and it is submitted that the case was heard on 25.08.2015 and the applicant were attended in hearing but he was failed to submit name of his newly defense assistant and he had went away before the end of the hearing .

The competent authority had already reviewed the rate of ex-gratia payment from time to time and not found justification to increase the

amount of compensation as ex-gratia payable to the applicant. The payment of compensation as ex-gratia equal to 25% of TRCA together with admissible Dearness Allowance have continuously been paid to the applicant from 23.03.2010 to 31.03.2015, which was reviewed by the competent authority on time to time and during the review, competent authority has observed that the delay in disciplinary proceeding is on the part of the applicant, so the rate of ex-gratia payment was decreased and the reason for decreasing was written in the relevant record/order.

As per rule12 (3) (i) and (ii) of the GDS (C& E) rules, 2011 provide either to increase or to reduce by a suitable amount not exceeding to 50 % during

the first 90 days. In the present case, the competent authority is of the opinion to change the payment, as the period of put off duty has been prolonged due to reasons directly attributable to the applicant. Copy of the Rule 12 (3) (i) and (ii) will be produced at the time of arguments for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal.

5. PARAWISE REPLY TO THE GROUNDS

A- That the averments contained in ground (A) of the Original Application are not admitted. As discussed in the forgoing paras and as per rules, the appointment of Sh. Bhoora Ram Choudhary was not accepted as defense assistant of the applicant due to administrative reasons and order dt. 06.06.2015 passed on basis of merits of the factual

about 3 months period, the applicant has not proposed/nominated name of any person to whom he wants to appoint his defense assistant, resulting disciplinary proceeding delayed and because of that order dt. 06.06.2015 is legal.

B.- That the averments contained in ground (B) of the Original Application are not admitted in the manner as asserted. Sh. Bhoora Ram Choudhary is presently working at Baitu PO of Division and Baitu PO is going to migrate in Core Banking Solution. There are 25000 social security pension money orders booked per month, in addition to its various type of public dealing works are dealt there thus Sh. Bhoora Ram Choudhary was not

permitted to be appointed as defense assistant to the applicant.

C That the averments contained in ground (C) of the Original Application are not admitted. As discussed in the foregoing paras, the State witnesses had not attended hearings except 1 hearing during a period about 2 years, thus how the applicant can say that the IO wants to take statements of the state witnesses according to his will and desire. Besides above, the applicant had not submitted any evidence in support of allegations alleged on IO. The name of State witnesses were dropped by the IO due to non attending hearings by the state witnesses with

keeping in view the tactic of the applicant for delay in disciplinary proceeding.

D- That the averments contained in ground (D) of the Original Application are not admitted in the manner as averred. As discussed in the foregoing paras, the allegation of bias on the IO, is baseless and false. The appeal of the applicant is under process and will shortly be decided.

E- That the averments contained in ground (E) of the Original Application are not admitted in the manner as averred. The contents raised by the applicant in this para is denied as discussed in the foregoing paras, Sh. Bhoora Ram Choudhary was not permitted to be appointed as defense assistant of the applicant due to the administrative reasons.

There after no other name was proposed/nominated by the applicant to appoint his defense assistant. If the applicant is proposed/nominated any person, the department will take action as per law.

F- That the averments contained in ground (F) of the Original Application are not admitted in the manner as averred. As discussed in the foregoing paras, no any action on the part of the department is shown as violation of mandatory provision of law.

G- That the averments contained in ground (G) of the Original Application are not admitted in the manner as averred. As discussed in the foregoing para 4(4), the subject matter of OA 386/2014 is

being dealt separately and TRCA was decreased as per provision prescribed in the rules.

H- That the averments contained in the ground H of para 5 of the Original Application needs no comments.

It is also pertinent to mention here that enquiry under rule 10 of the GDS(C&E) rules 2011 is being under processing and will shortly be completed.

6. That the averments contained in the para 6 of the Original Application needs no comments.

7. That the averments contained in the para 7 of the Original Application needs no comments.

8. PRAYER: -

It is, therefore, most humbly and respectfully

the applicants may kindly be dismissed with exemplary costs.

9. Interim relief:-

In the facts and circumstances of the case, no interim relief can be granted to the applicant as prayed, hence be rejected.

COUNSEL FOR THE RESPONDENTS

(Nimesh Suthar)

Addl.Central Government Standing Counsel

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

VERIFICATION:-

I, Ramesh Kumar S/o Shri Kesaramji aged about 59 years at present working as Supdt. of Pos, Barmer,

do hereby verify that the contents of paras of the reply to the Original Application are true and correct to my personal knowledge and belief based on advice of my counsel. Nothing material has been concealed/suppressed therein and no part of it is false.

So help me God.

DEPONENT

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

PLACE :

DATE :

Arm R/1

58

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाड़मेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 30.09.2013

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरुद्ध ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावाली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठक दिनांक 15.10.2013 को स्थान शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) में समय 1100 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगो–

01 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आसुसिंह निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
02 श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, अध्यापक रा.उ.प्रा.वि.पादरड़ी पो. सिं.हरनियान
03 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
04 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
05 श्री बिंजलाराम चौधरी पुत्र श्री प्रभूराम चौधरी निवासी सिंधासवा हरनियान

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाड़मेर–344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेखा पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)
02 श्री जयगोपाल पाण्डेय, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा
03 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत्त पीआरआई, बाड़मेर
04 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर
05 सभी सम्बन्धित उपरोक्त 1 से 5
06 कार्यालय प्रति

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

Annexure R/2

2

(56)

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाडमेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12

बाड़मेर दिनांक 24.02.2014

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठक दिनांक 11.03.2014 को स्थान शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) में समय 1130 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगा–

04 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आसुसिंह निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

05 श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, अध्यापक रा.उ.प्रा.वि.पादरड़ी पो. सिं.हरनियान

06 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर–344001

प्रतिलिपि–

07 श्री नजेखा पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)

08– श्री जयगोपाल पाण्डेय, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा

09 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत्त पीआरआई, बाड़मेर

10 –श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर

11 सभी सम्बन्धित [illegible]

12 कार्यालय प्रति

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

Annexure-R/3

3

57

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाडमेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 25.03.2014

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्ध ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठक दिनांक 10.04.2014 को स्थान शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) में समय 1100 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगो–

01 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आसुसिंह निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
02 श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, अध्यापक रा.उ.प्रा.वि.पादरड़ी पो. सिं.हरनियान
03 श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री मांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान
04 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
05 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर–344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)
02 श्री जयगोपाल पाण्डेय, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा
03 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत पीआरआई, बाड़मेर
04 श्रीमान् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी धोरीमन्ना(बाडमेर) -- कृपया क्र. सं. 2 पर दर्ज सरकारी गवाह को उक्त [illegible] में समय पर उपस्थित होने के लिये [illegible] करें।
05 श्रीमान् अधीक्षक [illegible]
06 सभी सम्बन्धित [illegible]
07 कार्यालय प्रति

[illegible]

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/4

58

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाडमेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 06.05.2014

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावाली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठक दिनांक 20.05.2014 को स्थान शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) में समय 1100 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगे–

01 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आंसुसिंह निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
02 श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, अध्यापक रा.उ.प्रा.वि.पादरड़ी पो. सिं.हरनियान
03 श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री गांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान
04 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
05 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर–344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेंखा पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)
02 श्री जयगोपाल पाण्डेय, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा
03 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत पीआरआई, बाड़मेर
04 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर
05 सभी सम्बन्धित [illegible]
06 कार्यालय प्रति

[illegible]

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmar Division, Barmer-344001

R/5

5

59

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाडमेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 13.06.2014

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावाली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठक दिनांक 24.06.2014 को स्थान निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाडमेर के कार्यालय में समय 1100 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगेा–

01 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आसुसिंह निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
02 श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, अध्यापक रा.उ.प्रा.वि.पादरड़ी पो. सिं.हरनियान
03 श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री मांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान
04 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
05 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
06 श्री अमराराम, हाल डाक सहायक प्र.डा.बाडमेर
07 श्री प्रेमचन्द सोलंकी हाल उपडाकपाल बाडमेर आरएस

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर--344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेखा पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)
02 श्री [illegible] पाण्डेय, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा
03 श्री शकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत पीआरआई, बाड़मेर
04 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर – [illegible] पर दर्ज गवाहों को समय पर [illegible]
05 सभी सम्बन्धित उपरोक्त 1 से 7
06 कार्यालय प्रति

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर-344001

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/6 6 (60)

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाडमेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 31.07.2014

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावाली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठक दिनांक 12.08.2014 को स्थान उपडाकघर गुडामालानी में समय 1000 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगा–

01 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आसुसिंह निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
02 श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, अध्यापक रा.उ.प्रा.वि.पादरड़ी पो. सिं.हरनियान
03 श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री मांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान
04 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
05 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर–344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)
02 श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पीआरआई बाडमेर
03 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत पीआरआई, बाड़मेर
04 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर
05 सभी सम्बन्धित उपरोक्त 1 से 7
06 कार्यालय प्रति

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर–344001

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाड़मेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 03.09.2014

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावाली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठक दिनांक 16.09.2014 को स्थान शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) में समय 1200 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगा–

01 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आसुसिंह निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
02 श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, अध्यापक रा.उ.प्रा.वि.पादरड़ी पो. सिं.हरनियान
03 श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री मांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान
04 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
05 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाड़मेर–344001

प्रतिलिपि–

06 श्री नजेखा पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)
07 श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पीआरआई बाड़मेर
08 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत पीआरआई, बाड़मेर
09 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर
10 सभी सम्बन्धित उपरोक्त 1 से 5
11 श्रीमान् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी धोरीमन्ना(बाड़मेर) – कृप्या क्र. सं. 2 पर दर्ज सरकारी गवाह को उक्त बैठक में समय पर उपस्थित होने के लिये पाबन्द करें।
12 कार्यालय प्रति

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाड़मेर–344001

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Offices
Barmer Division, Barmer-344001

R/8 98 (62)

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाड़मेर –344001

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/14–15
बाड़मेर दिनांक 11.04.2015

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में आगामी जांच बैठक दिनांक 22.04.2015 को स्थान शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान (गुडानालानी) में समय 1200 बजे रखी जाती है। इस जांच बैठक में श्री नजेखां को दिए आरोप पत्र में वर्णित निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया जायगा–

01 श्री वीरसिंह पुत्र श्री आसुसिंह निवासी पादरडी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
02 श्री प्रभूरान चौधरी पुत्र श्री मांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान
03 श्री बादूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूरान जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
04 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

नोट–इस प्रकरण में पहले से ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अतः आरोपित ग्रामीण डाक सेवक एवं उसके बचाव सहायक को यह हिदायत दी जाती है कि वह हर हालत में इस बैठक मे उपस्थित होवे अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी बैठक की कार्यवाही जारी रहेगी अर्थात एक तरफा कार्यवाही की जायेगी। कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाड़मेर–344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेखा पुट ऑफ डयूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी)
02 श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पीआरआई बाड़मेर
03 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत्त पीआरआई, बाड़मेर
04 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर
05 सभी सम्बन्धित उपरोक्त 1 से 4
06 कार्यालय प्रति

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाड़मेर–344001

[illegible] 11/04/2015
प्रतिलिपि– [illegible] कार्यवाही हेतु
(1) [illegible] श्री वासुदेव सोनी [illegible]
(2) श्री वासुदेव सोनी [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Offices
Barmer Division, Barmer-344001

P/9 8 63

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाड़मेर-344001

ज्ञापन संख्या- जांच/सिन्धासवा हरनियान/11-12
बाड़मेर दिनांक 07.05.2015

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठके निम्नानुसार रखी जाती है-

स्थान- शाखा डाकघर सिंधासवा हरणियान(गुडामालानी) दिनांक 25.05.2015 समय 1200बजे

गवाह जिनका परीक्षण किया जाना है-

01 श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री मांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान

02 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

03 श्री [illegible] पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

स्थान- कार्यालय निरीक्षक डाक मध्य उपखण्ड बाडमेर दिनांक 26.05.2015 समय 1000बजे

गवाह जिनका परीक्षण किया जाना है-

01 श्री विनय कुमार खत्री हाल सहायक अधीक्षक डाक मुख्या. जोधपुर

02 श्री अमरामराम तत्कालीन हाल डाक सहायक प्रधान डाकघर बाडमेर

03 श्री प्रेमचंद सोंलकी हाल डाक सहायक बाडमेर

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

नोट - इस प्रकरण में पहले से ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अतः आरोपित ग्रामीण डाक सेवक एवं उसके बचाव सहायक [illegible] में अवश्य उपस्थित होवे अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में बैठक की कार्यवाही जारी [illegible] कार्यवाही की जायेगी कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
मध्य उपखण्ड बाडमेर-344001

प्रतिलिपि-

01 [illegible] पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)

02 श्री [illegible] सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पी.आर.आई. बाड़मेर

03 श्री [illegible]लाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत्त पी.आर.आई, बाड़मेर

[illegible] अधीक्षक डाकघर बाड़मेर B.R.O.

[illegible]

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/10 18 (64)

[illegible] निरीक्षक डाकघर बाला[illegible]

क्रमांक [illegible] सिन्धासवा हरनियान/[illegible]
बाड़मेर दिनांक 23.06.20[illegible]

श्री नजेखा [illegible] ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा [illegible] सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) [illegible] ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 20[illegible] नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठके निम्नानुसार रखी जाती है--

<u>स्थान-- कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर दिनांक 01-07-2015 समय 1100</u>

<u>गवाह जिनका परीक्षण किया जाना है--</u>

01 श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री नागाराम निवासी सिंधासवा हरनियान
02 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
03 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान
04 श्री विनय कुमार खत्री हाल सहायक अधीक्षक डाक मुख्या. जोधपुर
05 श्री प्रेमचंद सोंलकी हाल डाक सहायक बाड़मेर

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

<u>नोट -- इस प्रकरण में पहले से ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अतः आरोपित ग्रामीण डाक सेवक एवं उसके बचाव सहायक इस बैठकों मे अवश्य उपस्थित होवे अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में बैठक की कार्यवाही जारी रहेगी अर्थात एक तरफा कार्यवाही की जायेगी कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है।</u>

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
बालोतरा--344001

प्रतिलिपि--

01 श्री नजेखा पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)
02 श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पीआरआई बाड़मेर
03 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत पीआरआई, बाड़मेर
04 श्रीमान् प्रवर अधीक्षक डाकघर जोधपुर
05 ~~श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर~~
06 ~~सभी सम्बन्धित गवाह~~
07 कार्यालय प्रति

Endst. No. बी/[illegible]/2015-16 बाड़मेर दिनांक [illegible]
प्रतिलिपि:- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
(1) श्री सुरेश कुमार [illegible] [illegible] श्री प्रेमचन्द सोलंकी) [illegible] [illegible] [illegible]
(2) श्री प्रेमचन्द सोलंकी [illegible] [illegible] उपस्थित होवे।
(3) श्री वासुदेव सोनी - PRI [illegible] [illegible] होवे।
(4) डाकपाल [illegible] [illegible] सोनी [illegible] [illegible] करें।
(5) कार्यालय प्रति
C/F [illegible]

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/11 11/10 (68)

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर बालोतरा –344022

ज्ञापन संख्या– जांच / सिन्धासवा हरनियान / 11–12
~~बाड़मेर~~ बालोतरा दिनांक 24.07.2015

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठके निम्नानुसार रखी जाती है–

स्थान– कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर दिनांक 11-08-2015 समय 1400

गवाह जिनका परीक्षण किया जाना है–

01 श्री प्रभूराम. चौधरी पुत्र श्री मांगाराम निवासी सिंधासवा हरनियान

02 श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट, निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

03 श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल निवासी पादरड़ी पोस्ट सिन्धासवा हरनियान

04 श्री विनय कुमार खत्री हाल सहायक अधीक्षक डाक मुख्या. जोधपुर

उपरोक्त सभी गवाहों को इस पत्र द्वारा उपरिथति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी अपने बचाव सहायक के साथ उपरोक्त नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे तथा उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति सुनिष्चित करे।

नोट – इस प्रकरण में पहले से ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अतः आरोपित ग्रामीण डाक सेवक एवं उसके बचाव सहायक बैठक मे अवश्य उपरिथत होवे अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी बैठक की कार्यवाही जारी रहेगी कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
वालोतरा–344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेंखा पुट ऑफ ड्यूटी श ाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)

02 श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पीआरआई बाड़मेर

03 श्री शंकरलाल खत्री, बचाव सहायक एवं सेवानिवृत्त पीआरआई. बाड़मेर

04 श्रीमान् प्रवर अधीक्षक डाकघर जोधपुर

05 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर

[illegible]

[illegible] कार्यालय प्रति

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/12

68 / 12

जांच / सिन्धासवा हरनियान / 11-12 सिन्धासवा हरनियान दि. 15-10-2013

डेली आर्डर शीट नं. 10 15-10-2013

प्रकरण - श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी) के विरुद्ध ~~नियम~~ नियम-10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही

आज दिनांक 15-10-2013 को सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी) शाखा डाकघर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रस्तुत प्रकरण में जांच बैठक रखी गई। आज की बैठक में आरोप पत्र में वर्णित निम्न गवाहों का परीक्षण किया जाना था - ① श्री वीरसिंह पु. आसुसिंह ② श्री चुन्नीलाल पु. अणदाराम चौधरी ③ श्री बाबूलाल पु. सालूराम चौधरी ④ श्री अन्नाराम पु. लालाराम मेघवाल ⑤ श्री बिजलाराम पु. बाबूलाल चौधरी सभी सम्बन्धित को सम्मन मिल चुका है।

आज की जांच बैठक में निम्न उपस्थित हुए -

01 श्री नजेखाँ पुट ऑफ ड्यूटी जीडीएस
02 श्री वीरसिंह चौधरी पु. ~~अ... चौधरी~~ आसुसिंह
03 श्री चुन्नीलाल पु. श्री अणदाराम चौधरी
04 श्री बाबूलाल पु. सालूराम
05 श्री अन्नाराम पु. लालाराम मेघवाल
06 श्री ~~बिजलाराम~~ ~~पु.~~ पुनुराम चौधरी पु. मांगाराम
07 श्री ठाकरलाल बचाव सहायक

आज उपस्थित सभी गवाहों ने सामूहिक रूप से कहा कि वे आज बयान देना नहीं चाहते हैं। आगे की बैठक में बयान देने के बारे में विचार करेंगे। लिहाजा आज की कार्यवाही ~~...~~ खत्म की जाती है। आगे की जांच बैठक हेतु तिथि पुनः सूचित की जायेगी।

नजेखाँ (नजेखां) आरोपित ग्रा.डा.से.

(ठाकरलाल) बचाव सहायक

(जय गोपाल पाण्डे) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(देवाराम सुथार) जांच कर्ता अधिकारी

एक प्रति प्राप्त की। नजेखाँ (नजेखां)

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/13 13 (67)

जांच/सिन्धासवा हरनियान/11-14 सिन्धासवा हरनियान 11-03-2014

डेली आर्डर शीट नं. - 11

प्रकरण- श्री नजेखाँ पुत्र ऑफ ड्यूटी ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान (गुड़ामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही

—x—x—x—

आज दिनांक ~~[illegible]~~ 11-03-2014 को सिन्धासवा हरनियान (गुड़ामालानी) शाखा डाकघर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार इस प्रकरण में जांच बैठक रखी गई। आज बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए-

01 श्री जयगोपाल पाण्डेय प्रस्तुत कर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा।
02 श्री नजेखां पुत्र ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल

बचाव सहायक श्री शंकरलाल खत्री आज की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। आरोपित ग्रा.डा.से. ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उपस्थित नहीं होंगे। अतः पेशी आगे रखी जाये।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने बताया कि गवाहों से वार्ता करने पर बताया कि जीरे की फसल पक जाने से वे इस काम में व्यस्त हैं तथा श्री चुन्नीलाल चौधरी अध्या. स्कूल में ड्यूटी लगी होने के कारण उपस्थित नहीं हुए।

लिहाजा आज कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगली बैठक की सूचना पुनः प्रसारित की जायेगी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अगली बैठक में सभी सरकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

एक प्रति प्राप्त की
नजेखा
(नजेखां)

नजे खां	(अनुपस्थित)	11/3/14	
(श्री नजेखां)	(श्री शंकरलाल)	(श्री जयगोपाल पाण्डेय)	(देवाराम कुमार)
आरोपित जीडीएस	बचाव सहायक	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	जांच अधिकारी

एक प्रति प्राप्त की
(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

Rl14

14

(18)

जांच/सिणधरी हरसाणी/11-12   सिणधरी हरसाणी दिनांक 10.04.

प्रकरण- श्री नेरखाँ पुत्र ऑफ इसूरी प्रा.शा.से. शाखा डाकपाल सिणधरी हर. (गुड़ामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही

—x—x—

आज दि. 10-04.2014 को सिणधरी हरसाणी (गुड़ामालानी) श पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार इस प्रकरण में जांच बैठक रखी गई। आज की में निम्नलिखित उपस्थित हुए —

01 श्री जयगोपाल पारीक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा
02 श्री नेरखाँ पुत्र ऑफ इसूरी शाखा डाकपाल
03, श्री चुन्नीलाल चौधरी अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. पादरी
04. श्री प्रभुराम चौधरी निवासी सिंधालना हरसाणी

बचाव सहायक श्री शंकरलाल खत्री आज की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। आरोपित जी.डी.एस. ने बताया कि बचाव सहायक के बहिन का दिनांक 08.04.14 को मृत हो जाने से पेशी आगे रखने का निवेदन किया। पूर्व पेशी दिनांक 11-03-14 को भी सहायक अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उपस्थित नहीं हुए। चूंकि यह प्रकरण में बहुत विलम्ब हो रहा है। इसलिये उपस्थित गवाहों के बयानों का परीक्षण आवश्यक है तथा गवाह भी बार-2 आने से परेशानी महसूस कर रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने भी गवाहों के परीक्षण का निवेदन किया। लिहाजा आरोपित जीडीएस को आज अपने बचाव सहायक की अनुपस्थिति में अपना बचाव स्वयं करने के आदेश जांच अधिकारी द्वारा दिये गये।

परन्तु आरोपित जीडीएस ने बार-2 निवेदन किया कि उसे एक मौका और दे आये। भविष्य में होने वाली बैठक में बचाव सहायक की अनुपस्थिति में अपना बचाव करने के लिये वह पूरी तैयारी करके आयेगा तथा अपना बचाव स्वयं करेगा।

अतः उसे यह अंतिम मौका दिया जाता है। भविष्य में बचाव सहायक की अनुपस्थिति में आरोपित जीडीएस अपना बचाव स्वयं करने के लिये पूर्ण तैयारी के साथ प्रस्तुत होवे।

आज की बैठक में कोई कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हो पाई। अगली बैठक की सूचना पुनः प्रसारित की जायेगी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अगली बैठक में सभी सरकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

एक प्रति प्राप्त की
(नेरखाँ)
नेरखाँ

(चुन्नीलाल चौधरी)
(जयगोपाल पारीक)

(श्री नेरखाँ)
आरोपित जीडीएस

(प्रभुराम)
(चौधरी)

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

A/15

13
15
69

<u>डेली आर्डर शीट सं. 14</u>

जांच / सिन्धासवा हरनियान / 11-12   सिन्धासवा हरनियान दि 20-05-14

प्रकरण- श्री नजेखां पुर ऑफ ड्यूटी ग्रा. डा. से. शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुड़ामालानी) के विरुद्ध नियम -10 के अन्तर्गत जांच।

—×—

आज दि. 20.05.2014 को सिन्धासवा हरनियान (गुड़ामालानी) शा.डा.घरों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार इस प्रकरण में जांच बैठक रखी गई। आज की बैठक में निम्नलिखित हुए -

01 श्री जयगोपाल पाण्डेय प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा

02 श्री शंकरलाल खत्री बचाव सहायक

श्री शंकरलाल खत्री बचाव सहायक ने बताया कि श्री नजेखां का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्हें गुड़ामालानी चिकित्सालय में लेकर गये हैं। अत: पेशी की तारीख आगे रखी जाये।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने बताया कि गवाहों ने फोन पर बताया कि वे सभी बयान देने के लिये उपस्थित हो सकते हैं बशर्ते कार्यवाही हो। परन्तु आज नजेखां के उपस्थित नहीं होने से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी।

लिहाजा आज की बैठक में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अगली बैठक की सूचना पुन: प्रचारित की जायेगी। अगली बैठक में भी यदि दोषी कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तो बचाव सहायक Authority letter के साथ उपस्थित होवे ताकि इस मामले में अनावश्यक विलम्ब न हो व साथ ही गवाहों को भी परेशानी न हो।

प्रतिलिपि प्राप्त की

-- अनुपस्थित --
(श्री नजेखां)
आरोपित कर्मचारी

(श्री शंकरलाल)
बचाव सहायक

(श्री जयगोपाल पाण्डेय)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

20/5/14
(देवाराम कुमार)
जांच अधिकारी

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/16 16/16

(70)

डेली आर्डर शीट नं. 15

क्रमांक – जांच/सिन्धासवा हरनियान/11-12 दि. 24.06.2014

प्रकरण– श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रा.डा.से. शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

—x—x—

आज दि. 24.06.2014 को निरीक्षक डाकघर मध्य उपखण्ड बाड़मेर कार्यालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार इस प्रकरण में जांच बैठक रखी गई। आज की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए–

(1) श्री नजेखाँ पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सि. हरनियान
(2) श्री शंकरलाल खत्री बचाव सहायक
गवाह (3) श्री प्रभूराम चौधरी पुत्र श्री मांगाराम नि. सि. हरनियान
" (4) श्री प्रेमचंद सोलंकी उपडाकपाल बाड़मेर आर एस
" (5) श्री अमराराम डाक सहायक प्रधान डाकघर बाड़मेर

आज की बैठक में श्री जयगोपाल पाण्डेय प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षक डाक बालोतरा के अनुपस्थित रहने से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अगली बैठक की सूचना पुनः प्रचारित की जायेगी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मय रिकार्ड समय पर उपस्थित होवे तथा गवाहों की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	– अनुपस्थित –	(हस्ताक्षर)
(श्री नजेखां)	(श्री शंकरलाल खत्री)	(श्री जयगोपाल पाण्डेय)	(देवाराम सुथार)
आरोपित जीडीएस	बचाव सहायक	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	जांच अधिकारी

(हस्ताक्षर) Amara Ram.

(हस्ताक्षर) प्रेमचंद

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Offices
Barmer Division, Barmer

Pl17

~~15~~ 17 (74)

डेली आर्डर शीट नं.16

क्रमांक - जांच / सिन्धासवा हरनियान /11-12 दि. 12-08-14

प्रकरण- श्री नजेरखां पुत्र ऑफ ड्यूटी ग्रा.डा. से. शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच बाबत।

—/—/—

आज दि. 12.08.14 को ~~पिछले~~ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार इस प्रकरण मे जांच बैठक रखी गई। आज की बैठक मे निम्नलिखित उपस्थित हुए।

1. श्री नजेरखॉं पुत्र ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सि. हरणियान
2. श्री शंकरलाल खत्री बचाव सहायक
3. श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुत कर्ता अधिकारी एवं जनसम्पर्क निरीक्षक बाड़मेर जिन्हे अधीक्षक डाकघर बाड़मेर के पत्रांक एफ 6-1/09-10 दि. 17.7.14 के द्वारा श्री जयगोपाल पांडेय निरीक्षक डाकघर बालोतरा के स्थान पर नामित किया गया।

श्री वासुदेव सोनी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने बताया कि सरकारी गवाहों से उनके द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो सभी गवाहों ने अपनी व्यक्तिगत/सामाजिक एवं सरकारी कार्य की व्यवस्ता के कारण आज बैठक कार्यवाही में उपस्थित होने मे असमर्थता जाहिर की।

श्री वासुदेव सोनी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने अगली बैठक मे सभी (5) सरकारी गवाहों की उपस्थिति परिस्थितियों के मध्यनजर रखते हुए शाखा डाकघर सिन्धासवा हरणियान में रखने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया।

अगली बैठक की सूचना पुन: सूचित की जायेगी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अगली बैठक मे सभी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

नजेरखॉं
एक प्रति प्राप्त की
नजेरखॉं
(नजेरखां)

नजेरखॉं (श्री नजेरखां) आरोपित जीडीएस	(श्री शंकरलाल खत्री) बचाव सहायक	(श्री वासुदेव सोनी) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	(देवाराम ...) जांच अधिकारी

एक प्रति प्राप्त की
(वासुदेव सोनी)

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/18 18 (72)

<u>डेली आर्डर शीट सं. 14</u>

क्रमांक – जांच / सिन्धासवा हरनियान / 11-12 दि। 16-09-2014

प्रकरण – श्री मनेखां पुत्र श्री इकूरी खां शा.डा.पा. सिन्धासवा हरनियान (गुड़ामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच बाबत।

आज दि. 16.09.2014 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सिन्धासवा हरनियान ग्राम पंचायत मे इस प्रकरण मे जांच बैठक रखी गई। सभी सम्बन्धितो को पंजीकृत डाक द्वारा समन भेजा जा चुका है। आज की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए –

1. श्री मनेखां पुत्र श्री इकूरी खां पीपीएस शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान
2. श्री शंकरलाल खत्री बचाव सहायक
3. श्री वासुदेव सोनी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं सहायक अधीक्षक बाड़मेर
4. श्री चुन्नीलाल चौधरी सरकारी गवाह

श्री चुन्नीलाल चौधरी अभियोजन के बयान लिये गये जिसे SW-3 मार्क किया गया। इसके साथ ही निम्न दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये।

1. SD-5 पुनर्कथन श्री चुन्नीलाल दिनांक ...
2. SD-6 RD पासबुक खाता सं. 5096419

गवाह श्री चुन्नीलाल चौधरी (SW-3) को दस्तावेज SD-5 व SD-6 दिखाते हुए मुख्य परीक्षण किया गया जिसमे उन्होंने उक्त दस्तावेजों के सही होने की पुष्टि करते हुए बताया कि दस्तावेज SD-5 में A से B हस्ताक्षर उसी के है तथा C से D उसी के द्वारा अंकित किया है। साथ ही दस्तावेज SD-6 में A से B जो कि दिनांक ~~19-12-2008, 12-01-2009, 21-03-2009~~, 15-03-2009, 15-04-2009, 15-05-2009 को RD खाता सं. 5096419 में उक्त किस्तें प्रत्येक 200/- रु जमा करने की पुष्टि की। साथ ही बताया कि जमा किस्ते उसने स्वयं शाखा डाकघर में श्री मनेखां शाखा डाकपाल को जमा करवाने हेतु दी थी तथा श्री मनेखां स्वयं ने ही पासबुक में इन्द्राज किये जमा करने की प्रविष्टी की तथा अपने हाथ से ही तारीख मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये थे। अन्तिम किस्त दिनांक 15-05-09 को जमा करने के बाद मनेखां ने पासबुक ... (illegible) ...)

श्री चुन्नीलाल चौधरी का ... (illegible) ... परीक्षण भी किया गया।

अगली बैठक की सूचना ... (illegible) ... अधिकारी आगामी बैठक मे सभी गवाहों को उपस्थित सुनिश्चित ... (illegible) ... श्री श्रीराम सोनी को भी ... (illegible) ... को उपस्थित होने हेतु सूचित करें। ... (illegible) ...

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

R/13 13 17

(73)

ग अधीक्षक महोदयजी
डाकघर बाड़मेर
जिला बाड़मेर 344001

डेली आर्डर शीट सं- 19

क्रमांक- जांच / सिन्धासवा हरनियान / 11-12 दि. 22-04-2015

प्रकरण- श्री नजेखाँ पुत्र ऑफ डिप्टी शा डा पा सिन्धासवा हरणियान (गुडामाला) के विरुद्ध नियम -10 के अन्तर्गत जांच बाबत्)

—x—x—

आज दि. 22-04-2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) शाखा डाकघर में इस प्रकरण में जांच बैठक रखी गई। सभी संबंधितों को पंजीकृत पत्र द्वारा समन भेजा जा चुका था। आज की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए—

01. श्री वासुदेव सोनी प्रस्तुतकर्ता एवं [illegible] जन सम्पर्क निरीक्षक बाड़मेर
02. श्री वीरसिंह पु० आसुसिंह (SW-4)

आज की बैठक में श्री नजेखां आरोपी GDS व उसका बचाव सहायक श्री शंकरलाल खत्री उपस्थित नहीं हुए। दि. 24.07.2014 के बाद जारी प्रत्येक समन में यह स्पष्ट लिखा जा रहा है कि इस प्रकरण में पहले से ही बहुत विलम्ब हो चुका है अतः आरोपी ग्रा डा से व उसके बचाव सहायक हर हालत में बैठकों में उपस्थित होवे तथा यदि वे अनुपस्थित रहे तो भी उनकी अनुपस्थिति में भी बैठक की कार्यवाही जारी रहेगी अर्थात् एक तरफा कार्यवाही की जायेगी कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है।

आज उपस्थित हुए सरकारी गवाह श्री वीरसिंह ने निवेदन किया कि वह इस प्रकरण में बार-2 आकर परेशान हो गया है कभी नजेखां नहीं आता तो कभी उसका वकील अतः आप जो पूछना चाहे वो पूछताछ कर ले

श्री वासुदेव सोनी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने भी अपना पक्ष रखते हुए निवेदन किया कि उक्त सरकारी गवाह श्री वीरसिंह का परीक्षण किया जावे कारण कि आरोपी GDS व उसके बचाव सहायक को समन के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके है तथा आरोपी द्वारा जांच को विलम्बित करने [illegible] [illegible] आचारहीन दुर्व्यवहार ([illegible]) के आरोप लगाये गये जो कि [illegible] [illegible] द्वारा भी जारिन किये जा चुके है [illegible] श्री वीरसिंह के [illegible] [illegible] किये जावें।

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer 344001

P/20 20 (74)

क्रमांक – जांच/ [illegible] /11-12

प्रकरण – श्री नजेखाँ पुत्र श्री [illegible] ग्रा.डा.पा. [illegible] हरसियान (गुडामालानी) के विरूद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

—×—×—

आज दि 25/05/2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार [illegible] हरसियान (गुडामालानी) शाखा डाकघर में इस प्रकरण में जांच बैठक रखी गई सभी संबंधितों को पंजीकृत पत्र द्वारा सम्मन भेजा जा चुका था। आज की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए-

01 श्री वासुदेव सोनी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं [illegible] निरीक्षक बाड़मेर
02 श्री नजेखाँ पुत्र श्री [illegible] ग्रा.डा.पा. सि. हरसियान

आज की बैठक में न तो बचाव सहायक उपस्थित हुए व न ही कोई सरकारी गवाह। लिहाजा कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि सरकारी गवाहों से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर गवाहों ने बताया कि वे आज व्यक्तिगत कार्य से बाहर गये हुए हैं अतः आज उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इस पर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने उन्हें कल दिनांक 26/05/15 को बाड़मेर में [illegible] आयोजित बैठक में भी अन्य गवाहों के साथ आज उपस्थित नहीं होने वाले गवाहों के परीक्षण की अनुमति मांगी गई। लिहाजा कल की बैठक में उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

कल की बैठक दि. 26/05/15 को बाड़मेर में कार्यालय निरीक्षक [illegible] उपखण्ड में आरोपित [illegible], बचाव सहायक एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मय गवाहों के उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि प्राप्त की
(नजेखाँ)

(नजेखाँ)	([illegible])	(वासुदेव सोनी)	([illegible])
आरोपित कर्मचारी	बचाव सहायक	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	जांच अधिकारी

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

78

18 21

डेली आर्डर शीट-22

क्रमांक- जांच सिन्धासवा हरनियान/11-12 बाडमेर दि 01-

प्रकरण- श्री नजेखाँ पुत्र ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

—x—x—

आज दि. 01-07-2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर के कार्यालय में रखी गई। सभी संबंधितों को सम्मन भेजा जा चुका था। आज की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए -

01. श्री वासुदेव शोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
02. श्री प्रेमचंद सोलंकी हाल उपडाकपाल बाडमेर कलेक्ट्रेट (SW-1)
03. श्री नजेखाँ Put off Duty शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी)

श्री नजेखाँ ने कार्यवाही के दौरान एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उसने लिखा कि उसका बचाव सहायक श्री शंकरलाल खत्री आज की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं अतः जांच कार्यवाही रोकी जाये। तब उसे श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाडमेर के पत्रांक एफ 6-1/09-10 दि. 03-06-2015 की प्रति दिखाई गई जिसमें श्री नजेखाँ द्वारा बचाव सहायक बदलने के प्रार्थना पत्र दिनांक 29-05-2015 के प्रत्युत्तर में उन्हें अवगत कराया गया था कि प्रशासनिक कारणों से श्री भूराराम को बतौर बचाव सहायक नामित किया जाना संभव नहीं है तथा इस स्टेज पर उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया था।

तब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त नीति अधीक्षक डाकघर बाडमेर के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि जब इनका प्रार्थना पत्र लगभग एक माह पूर्व श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाडमेर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था तो इसे श्री भूराराम के अलावा किसी अन्य की सहमति [illegible] के साथ बतौर बचाव सहायक नामित करने हेतु प्रार्थना की जानी चाहिये थी। आज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में श्री नजेखाँ द्वारा श्री शंकरलाल खत्री [illegible] का हवाला दिया है। उन्हें यह [illegible] बचाव सहायक को [illegible] कराने [illegible] [illegible] जाने वाले [illegible] अवगत कराया गया कि आज परीक्षण किये जाने वाले गवाहों [illegible] जिरह कर सकते हैं।

[illegible]

अधीक्षक डाकघर
बाडमेर खण्ड बाडमेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer-344001

(78)

R/21

21/2 ~~20~~

(2)

SD-23 प्रार्थना पत्र दि 17-05-2010 श्री नजेखाँ

SD-24 प्रधान डाकघर बाड़मेर VCR रसीद सं. A5840/17-5-10

SD-23 में A से B तक श्री प्रेमचंद सोलंकी द्वारा दिया गया रिमार्क मय हस्ताक्षर एवं पदनाम मोहर को मार्क किया गया।

उक्त दोनों दस्तावेज दिखाते हुए सरकारी गवाह श्री प्रेमचंद सोलंकी के अलग से बयान लिये गये जिसे SW-6 मार्क किया गया।

इसी दौरान कार्यवाही के प्रति परीक्षण के समय जांच कार्यवाही बीच में छोड़ कर श्री नजेखाँ आरोपित ए.डी.एस. चले गये।

मिसल दस्तावेज क्रमांक SD-23 व SD-24 प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को सुपुर्द किये गये।

आज की बैठक उपरोक्त कार्यवाही के साथ समाप्त की जाती है। अगली बैठक की सूचना पुन: प्रसारित की जायेगी।

(- जांच कार्यवाही बीच में छोड़ चले गये -)	(-अनुपस्थित-)	[signature]	[signature]
(नजेखाँ)	(शंकरलाल)	(वासुदेव सोनी)	(देवाराम कुमार)
आरोपित ए.डी.एस.	बचाव सहायक	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	जांच अधिकारी

[signature]
Prem Chand Solanki

[signature]
अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

22/1

डेली आर्डर शीट - 23

क्रमांक - जांच/सिन्धासना हरजियान/11-12 बाड़मेर दि 11-08-15

प्रकरण - श्री नजेखाँ ग्रुप ऑफ डिप्टी शाखा डाकपाल सिन्धासना हरजियान (गुडामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

=xx= =xx=

आज दि. 11.08.2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर में बैठक रखी गई। सभी संबंधितों को समय भेजा जा चुका था। आज की बैठक मे निम्नलिखित उपस्थित हुए -

01. श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

02. श्री विनय कुमार खत्री ~~निरीक्षक~~ सहायक अधीक्षक डाक जोधपुर

आज निम्नांकित दस्तावेजों को मार्क कर रिकार्ड मे लिया गया -

1. SD-25 बयान श्री परशुराम
2. SD-26 बयान श्री बाबूलाल
3. SD-27 बयान श्री अनाराम
4. SD-28 बयान श्री नजेखाँ (8 कुल पृष्ठ)
5. SD-29/1 to 2 SO A/c जुलाई-08 to जुलाई-09 तथा अग-09 to सित-
6. SD-30/1 to 2 RD जर्नल 29-08-91 to 30.09.08 व 11.10.08 से 31.07.09
7. SD-31 RD पासबुक के खाता सं 506422
8. SD-32 —do— 506431
9. SD-33 —do— 506432

आज श्री विनयकुमार खत्री जिन्हें SW-7 मार्क किया गया है, को निम्नलिखित दस्तावेज दिखाते हुए अलग से बयान लिये गये -

(1) SD-1, (2) SD-3, (3) SD-5 (4) SD-7, (5) SD-[illegible]

(6) SD-26 (7) SD-27 (8) SD-[illegible] (9) SD-[illegible]/1 [illegible]

(10) SD-30/1 to 2 (11) SD-31, (12) SD-32 (13) [illegible]

आज [illegible]

आरोप पत्र [illegible]

आवश्यक [illegible]

[illegible] दिलाना [illegible] (Sksp)

[illegible] → [illegible]

[illegible]

Recorded (SW-7)

उप अधीक्षक डाकघर बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Offices Barmer Division, Barmer-344001

R/22 22/2 (78)

पृ.सं (2)

का निवेदन किया –

01. श्री प्रभुराम पुत्र श्री मांगाराम नि. सिन्धासबा हरसियान

02. श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री सालूराम जाट नि.-पादरड़ी

03. श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाराम मेघवाल नि. पादरड़ी

प्रस्तुत अधिकारी का निवेदन स्वीकार कर लिया गया।

चूंकि दि. 24.7.15 द्वारा भेजे गये समन में बैठक का समय 11.08.15 को 1400 बजे रखा गया था। जांच की कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरु हो गई थी। जो [illegible] 1800 बजे पूर्ण हुई थी। इस बीच लगभग 1700 बजे श्री नजेखां आरोपी कर्मचारी उपस्थित हुए तथा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अपने बचाव सहायक श्री शंकरलाल की बीमारी का हवाला देते हुए नये बचाव सहायक की अनुमति का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा न तो प्रस्तावित बचाव सहायक का नाम सूचित किया व न ही उसका सहमति पत्र पेश किया। उसके नियोक्ता का भी नाम सूचित नहीं किया गया।

श्री नजेखां को कार्यवाही में बैठने हेतु कहा गया किन्तु वे बैठे नहीं तथा न ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मात्र प्रार्थना पत्र टेबल पर छोड़ कर चला गया।

अब इस प्रकरण में किसी सरकारी गवाह का परीक्षण बकाया नहीं है अतः तक की हुई जांच कार्यवाही बाबत आरोपित कर्मचारी अपने बयान में [illegible] को प्रस्तुत करें। अपना [illegible] परीक्षण लिखित में आगामी बैठक [illegible]

अतः आगामी बैठक दि. 26-[illegible]-2015 [illegible] बचाव सहायक व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी [illegible] सूचित करें। [illegible] समय [illegible] को [illegible] SD.73 प्रस्तुतकर्ता अधिकारी [illegible] [illegible] करोगे।

अधीक्षक डाकघर बाड़मेर-344001
Superintendent of Post Office
Barmer Division, Barmer-344001

<–अनुशासन–>

D-886/15
3/12/15

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

BENCH AT JODHPUR

MISC. APPLICATION NO. 207 /2015

IN

ORIGINAL APPLICATION 0290/00330/2015

APPLICANT	V/S	RESPONDENT
Naje Khan		Union of India & Ors

INDEX

S.No	PARTICULARS		PAGE
1.	Misc. Application		1-3
	Affidavit		4
2.	Annexure -MA/1	Copy of Order dated 10-9-2015.	5-7
3.	Annexure-MA/2	Copy of Letter dated 30-11-2015.	8
4.	Annexure-MA/3	Copy of Daily Order Sheet 26 dt.17-11-2015	9-11

Note : One extra set of paper book shall be submitted as and when required by court.

Place : Jodhpur

(S.P. Singh)Adv.

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BENCH AT JODHPUR

MISC. APPLICATION NO.--267--/2015

IN

ORIGINAL APPLICATION NUMBER 330/2015

APPLICANT :-

Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, Aged about 55 years, b/c- Muslim R/o- Vill + Po - Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District-Barmer (Office Address:- Worked as GDSBPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.)

----- Applicant

V E R S U S

1. Union of India, through
   the Secretary, Government of India,
   Ministry of Communication, Department of Post.
   Dak Tar Bhawn, New Delhi.
2. Chief Postmaster General
   Rajasthan Circle Jaipur.
3. Postmaster General,
   Western Region, Jodhpur.
4. Superintendent of Post Offices
   Barmer Division, Barmer.

------Respondents

3 DEC 2015 886

MISC. APPLICATION FOR GRANT OF INTERIM RELIEF AS APPOINTMENT OF DEFENCE ASSISTANT AND TAKING DOCUMENTS ON RECORD U/S 22 OF ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ACT 1985

May it please your lordships:-

1. That the applicant has filed Original Application No. 330/2015 and intends to move this Misc. Application for grant of interim relief and there is a great hope to be successful in getting relief being his case a prima face and balance of convenience also lies in his favour as well there will be irreparable loss if interim relief is not granted, which cannot be compensated in terms of money.

2. That the applicant is placed under put off and the disciplinary proceeding is contemplated. According to Rule-14, an employee can engage his defence assistant in disciplinary proceedings. The applicant submitted the name of Bhura Ram Chaudhary and the same was denied by competent authority and this Hon'ble Court vide order dated 10-9-2015, directed to give name of other defence assistant as he could not be able get his defence assistant within two weeks. So after two weeks he submitted the name of his defence assistant and his consent but the respondent denied to engage any defence assistant. The copy of order dated 10-9-2015 is submitted herewith and marked as **Annexure-MA/1**.

3. That the applicant submitted the name of defence assistant other than Bhura Ram Chaudhary but the respondent denied to engage any Defence Assistant in the garb of wrong interpretation of the order passed by this Hon'ble Court. This Hon'ble did not bar for any engagement of defence assistant after expiry of two weeks. The respondent did not consider the extenuating circumstances and the action proves nothing but glaring example of arbitrariness and violation of principle of natural justice. The applicant has legal right to take help of his defence assistant in his case, reason being employed on the post of GDS who has no knowledge of rule and regulations. The copy of consent letter dated 30-11-2015 is produced herewith and marked as **Annexure-MA/2.**

C.A.T. Jodhpur
3 DEC 2015
881

4. That the inquiry officer clearly mentored which is evident from Daily Order Sheet dated 17-11-2015 that he will not allow to take help of defence assistant and stated the reason that the Hon'ble CAT Jodhpur has given two weeks time which is expired and this

3

It is, therefore, most humbly and respectfully prayed that during the inquiry/disciplinary proceedings the respondent may kindly be directed to appoint/engage Defence Assistant to assist the applicant in his case in accordance with law.

It is, therefore, most respectfully prayed that your lordships, may be pleased to allow this Misc. Application and annexed documents may kindly be permitted to take on record and be pleased to grant interim relief as prayed.

Any other order or direction, which deems fit & proper may kindly be also passed in favour of applicant.

VERIFICATION:-

Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, Aged about 55 years, b/c- Muslim R/o- Vill + Po - Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District-Barmer (Office Address:- Worked as GDSBPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.), do hereby verify the contents of para 1 to 5 are true to our personal knowledge and nothing has been concealed or suppressed.

नाजेखा
(DEPONENT)

Place : Jodhpur
Date : 3-12-2015.

Identified by

(S.P. Singh)
Advocate.

Najekhan Solely affirmed before me on 29/11/2015

3 DEC 2015
888

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BENCH AT JODHPUR
MISC.APPLICATION NO............../2015

IN

ORIGINAL APPLICATION NUMBER...330/2015

APPLICANT	**V/S**	**RESPONDENS**
Naje Khan		Union of India & Ors

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF MISC APPLICATION

I, Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, Aged about 55 years, b/c- Muslim R/o- Vill + Po - Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District- Barmer (Office Address:- Worked as GDSBPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.), do hereby solemnly affirm as under:-

1. That I am applicant in this case and am well conversant with facts & circumstances of this application.

2. That my counsel under my instruction has drafted this Misc. Application for grant of interim relief and taking documents on record. The same has been explained to me and I have understood the same. The contents of para 1 to 4 are true to my personal knowledge and nothing has been concealed or suppressed.

VERIFICATION

नाजेखां
(DEPONENT)

I, Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, Aged about 55 years, b/c- Muslim R/o- Vill + Po - Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District- Barmer (Office Address:- Worked as GDSBPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.), do hereby verify on oath that the contents of para 1 to 2 of my above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing has been concealed therein and no part of it is false. So help me God.

Annex- MA/1

5

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

BENCH AT JODHPUR

ORIGINAL APPLICATION 0290/00...332../2015

Naje Khan, S/o Shri Satey Khan, Aged about 55 years, b/c- Muslim R/o- Vill + Po - Singhsawa Harniayan, via- Gudamalani, District-Barmer (Office Address:- Worked as GDSBPM Singhsawa Harniayan, Post office under Barmer HO, presently placed on put off duty.)

----- Applicant

V E R S U S

1. Union of India, through
   the Secretary, Government of India,
   Ministry of Communication, Department of Post.
   Dak Tar Bhawn, New Delhi.
2. Chief Postmaster General
   Rajasthan Circle Jaipur.
3. Postmaster General,
   Western Region, Jodhpur.
4. Superintendent of Post Offices
   Barmer Division, Barmer.

------Respondents

DETAILS OF APPLICATION

Particulars of orders against which this original application is made:

The hostile and discriminatory action of the respondent has compelled to file this OA, because the respondent did not change the inquiry officer despite of clear evidence produced bias of inquiry officer and there is provision that the inquiry officer shall be replaced on allegation of bias by virtue of Rule-14(8) of CCS (CCA) 1965. The applicant submitted his request to appoint Defence Assistant but the same is also rejected vide order dated 3-6-2015. The copy of letter dated 3-6-2015 is produced herewith and marked as **Annexure-A/1.**

Subject in brief:- DISCIPLONARY INQUIRY

(प्रक्रिया) नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत वि:

stry | Orders of the Tribunal

O.A. No. 290/00330/15
Date of Order : 10/09/2015

Mr S.P. Singh present for applicant.
Mr Nimesh Suthar proxy counsel present for
Mr K.S. Yadav, counsel for respondents.

Heard on I.R. Counsel for applicant submitted that the applicant's request for engagement of Shri Bhura Ram Chaudhary, Sub Postmaster as Defence Assistant in disciplinary proceeding has been rejected vide communication dated 03.06.2015 (Annex. A/1). Therefore, he prays that the respondents may be directed to provide him reasonable opportunity to engage another person as Defence Assistant and further that the inquiry may also be stayed in view of the biases as brought out in the OA.

Per contra, counsel for respondents opposed the prayer for interim relief and submitted that application of the applicant for appointing Shri Bhura Ram Chaudhary as Defence Assistant was rejected on 03.06.2015 and thereafter he has not taken any steps to appoint new Defence Assistant and he has rather straightaway preferred the OA against the said order as well as the inquiring in the disciplinary proceedings.

Considered the aforesaid contentions and perused the record. It is seen from Annex. A/1 dated 03.06.2015 that the engagement of Shri Bhura Ram Chaudhary as Defence Assistant was rejected on the administrative ground that

7

the post office of Bayatu where Shri Bhura Ram is working as SPM receives approx 25,000 Pension Moneyorder Booking per month which need to be disposed of in time. Further, Shri Bhura Ram Chaudhary is already Defence Assistant in two other matters. Though as per rules, Defence Assistant can be engaged in five cases but the aforesaid order on the given grounds seems justified and reasonable more so when the Defence Assistant being sought from is from a station other than the place of inquiry.

In-view of above position, there appears no ground to stay the inquiry at this stage but it is considered just and proper to grant the applicant reasonable time for engaging a new Defence Assistant. Therefore, a maximum of 2 weeks' time from today is given to the applicant to finalize the name of his new Defence Assistant and inform the same to respondents and respondents may proceed with the inquiry accordingly.

Put up the matter on 24/09/2015.

[Meenakshi Hooja]
Administrative Member

CERTIFIED TRUE COPY
Dated 11/9/2015

अनुभाग अधिकारी (न्याय.)
Section Officer (Judl.)
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
Central Administrative Tribunal
जोधपुर न्यायपीठ, जोधपुर
Jodhpur Bench Jodhpur

COMPARED & CHECKED

8

Annx.-MA/2

स्वीकृति पत्र

श्रीमान
जाँच अधिकारी
सहा. निरीक्षक डाक ( ) बालोतरा.

मैं प्रकाशचन्द बोथरा सेवानिवृत डाक सहायक, श्री अजेरखां s/o सद्देखां पूर्व शाखा डाकपाल सिन्धा वाया हरनियाल, गुड़ामालानी बाड़मेर के विरुद्ध चल रही Rule-10 की कार्यवाही में बचाव सहायक के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

वर्तमान में मेरे पास मात्र Rule-14 की एक जाँच हेतु बचाव सहायक की नियुक्ति है। वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।

30.11.15

(P. C. Bothra)
Retd. P.A. Churu HO

THIS ANNEX IS TYPED/PHOTOCOPY FROM ITS ORIGINAL.

PK
Attd
6

डेली आर्डर शीट - 26

(1)

क्रमांक - जांच / सिन्धासवा हरणियान / 11-12   बाड़मेर   दिनांक 17-11-15

प्रकरण - श्री नजेखां पुत्र ऑफ डिपुटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

—×—×—

आज दिनांक 17-11-2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर में बैठक रखी गई। इसमें निम्न उपस्थित हुए -

(1) श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं जनसम्पर्क निरीक्षक बाड़मेर

(2) श्री नजेखां, पुत्र ऑफ डिपुटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी)

आरोपित G.D.S. व उसके बचाव गवाहों (चार) को पूर्व में समन जारी किये जा चुके हैं। आरोपित G.D.S. के ने अपने किसी बचाव गवाह को प्रस्तुत नहीं किया।

श्री नजेखां के आरोपित G.D.S. ने आज पुनः अपने बचाव सहायक के रूप में श्री प्रकाशचंद बोथरा सेवानिवृत्त डाक सहायक का नाम प्रस्तुत किया परन्तु साथ में श्री प्रकाशचंद बोथरा की कोई सहमति नहीं थी।

माननीय CAT जोधपुर ने श्री नजेखां द्वारा दायर OA No. 290/00330/2015 (नजेखां बनाम भारत संघ) में दिनांक 10-09-2015 को श्री नजेखां को श्री भूराराम के अतिरिक्त किसी अन्य बचाव सहायक का नाम नामित करने के लिये निर्णय की तिथि से दो सप्ताह का समय दिया था।

श्री नजेखां द्वारा निर्धारित समय भीतर नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रांक जांच / सिन्धासवा हरणियान / 11-12 दि 25.09.15 द्वारा फिर श्री श्री नजेखां को 05.10.2015 तक नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत करने का अवसर दिया। परन्तु श्री नजेखां द्वारा पुनः माननीय CAT बेंच जोधपुर के निर्णय की अवहेलना करते हुए पुनः श्री भूराराम उपडाकपाल बायतु का नाम प्रस्तुत किया। जिसमें नाम श्री 05.10.15 के बजाय 07.10.15 को पंजीकृत पत्र द्वारा मिला।

इस सम्बन्ध में श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा गया। श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर ने भी अपने पत्रांक एफ 6-1/09-10 दिनांक 12-10-15 द्वारा यह मार्गदर्शन दिया कि "CAT के आदेशानुसार श्री नजेखां को श्री भूराराम के बजाय अन्य नाम प्रस्तावित करना था लेकिन उन्होंने वापस श्री भूराराम का नाम प्रस्तावित किया जो

[signature] ...11-15

मान्य नही है। इसके साथ ही CAT के आदेश के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

श्री नजेरखाँ आरोपित CAS द्वारा आज नये बचाव सहायक के नाम का अपना प्रार्थना पत्र (जिसमें श्री प्रकाशचन्द बोथरा की सहमति साथ में नही थी) पर भली भांति विचार किया। साथ ही माननीय CAT बेंच जोधपुर के OA No. 290/00330/2015 के दिनांक 10-09.2015 के निर्णय के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया गया।

माननीय CAT बेंच जोधपुर ने OA No. 290/00330/2015 में दिनांक 10-09-15 को निर्णय की तारीख से अधिकतम 2 सप्ताह का समय नये बचाव सहायक का नाम शामिल करने के लिये समय दिया था। इसके उपरान्त भी नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत करने के लिये 05-10-15 तक का समय दिया फिर भी, पंजीकृत पत्र जो कि 07.10.15 को प्राप्त हुआ, श्री धूराराम का बचाव सहायक के बतौर नाम प्रस्तुत किया।

उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए श्री नजेरखाँ द्वारा आज प्रस्तुत नये बचाव सहायक का नाम इस स्टेज पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अत: श्री नजेरखाँ अपना बचाव स्वयं करें।

श्री नजेरखाँ ने अपने बचाव गवाहों के लिये पांच नाम दिये थे। पिछली बैठक दिनांक 14.10.15 में श्री सभी के समन भेजे गये थे। इसमें से मात्र एक पंजीकृत पत्र जो कि श्री नजेरखाँ को अपने बचाव गवाहों के साथ प्रस्तुत होने के निर्देश दिये गये थे। उक्त समन पंजीकृत पत्र RR782U7261 8IN के द्वारा भेजा गया था जिस पर दिये रिमार्क के अनुसार "प्रापकर्ता के घर बार बार जाने व फोन पर सूचना देने के बावजूद नही मिलने व रजिस्ट्री लेने नहीं आने के कारण प्रेषक को लौटाई जाती है" के साथ पुन: प्राप्त हुई थी।

दिनांक 14.10.15 की बैठक में भी बचाव गवाह श्री जबरमल जाट जो कि शाखा डाकपाल सिन्धासवा के पद पर कार्य कर रहे हैं ने भी बताया कि इसने श्री नजेरखाँ को 14.10.15 की बैठक की सूचना फोन पर दे दी थी।

(हस्ताक्षर)

17-11-15

<कार्यवाही छोड़ चले गये>

(श्री नजेरखाँ)
आरोपित GDS

(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(देवाराम सुथार)
जांच अधिकारी

M

(3)

आज की बैठक के सम्बन्ध मे समन सभी सम्बन्धितो को भेजा
जा चुका था। तथा श्री नजेखॉं भी अपने बचाव गवाहो को साथ मे न
लाकर अकेला आया। आज हुए विचार विमर्श से यही सामने आया कि श्री
नजेखॉं येन केन प्रकारेण प्रकरण को विलम्बित करना चाहता है। इससे
ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई भी बचाव गवाह पेश करने मे असमर्थ
है। दि. 16.10.15 की बैठक मे भी एक गवाह श्री अवरमल ने भी लिखित मे
बचाव गवाह बनने से इन्कार करते हुए भविष्य मे नही बुलाने का निवेदन
किया था।

फिर भी श्री नजेखॉं को एक अन्तिम अवसर देते हुए अपने बचाव
गवाहो को दिनांक 24-11-2015 को समय 11 बजे (1100) स्थान कार्यालय
~~[illegible]~~ श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर को लेकर प्रस्तुत होवे। यदि श्री
नजेखॉं दिनांक 24-11-2015 को अपने बचाव गवाहों के साथ नियत समय व
नियत स्थान पर प्रस्तुत नही हो पाता है तो बचाव गवाहो को
Drop कर दिया जायेगा तथा फिर इससे अगले स्तर (Stage) पर
जांच जारी रहेगी।

डेली आर्डर शीट पर हस्ताक्षर करने के समय श्री नजेखॉं कार्यवाही
छोड़कर चले गये फलस्वरूप आर्डर शीट पर श्री नजेखॉं के हस्ताक्षर नही करवाये जा सके।

<कार्यवाही छोड़ चले गये>
(नजेखॉं)
आरोपित GDS

(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(देवाराम सुथार) 17-11-15
जांच अधिकारी

प्रतिलिपि :- श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर को मय श्री नजेखॉं द्वारा आज की बैठक
में प्रस्तुत आवेदन पत्र दि 17-11-2015 की प्रतिलिपि।

Tlc 9 Annex. A/3

डेली आर्डर शीट – 26

क्रमांकः– जांच / सिन्धारता हरणियान / 11–12 बाडमेर दिनांकः 17.11.15

प्रकरणः– श्री नजेखा पुट ऑफ डियूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान 'गुडामालानी' के विरूद्ध नियम–10 के अन्तर्गत जांच।

आज दिनांक 17.11.2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमनुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाडमेर में बैठक रखी गई। इसमें निम्न उपस्थित हुए : –

1– श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं जनसम्पर्क निरीक्षक बाडमेर।

2– श्री नजेखां, पुट ऑफ डयूटी शाखा डाकपाल, सिन्धासवा हरणिया (गुडामालानी)

आरोपित जीडीएस व उसके बचाव गवाहों (चार) को पूर्व में सम्मन जारी किऐ जा चुके है। आरोपित जीडीएस के ने अपने किसी बचाव गवाह को प्रस्तुत नही किया।

श्री नजेखां आरोपित जीडीएस ने आज–पुनः अपने बचाव सहायक के रूप में श्री प्रकाशचंद बोथरा सेवानिवृत डाक सहायक का नाम प्रस्तुत किया परन्तु साथ में श्री प्रकाशचंद बोथरा की कोई सहमति नही थी।

माननीय CAT जोधपुर ने श्री नजेखां द्वारा दायर OA No.291/00330/2015 (नजेखां बनाम भारत संघ) में दिनांक 10.09.2015 को श्री नजेखां को श्री भूराराम के अतिरिक्त किसी अन्य बचाव सहायक का नाम नामित करने के लिये निर्णय की तिथि से दो सप्ताह का समय दिया था।

श्री नजेखां द्वारा निर्धारित समय भीतर नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत नही करने पर पत्रांक जांच / सिन्धासता हरणियान / 11–12 दिः 24.09.2015 द्वारा अपठित भी थी नजेखां को 05.10.2015 तक नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत करने का अवसर दिया। परन्तु श्री नजेखां द्वारा पुनः माननीय CAT बेंच जोधपुर के निर्णय की अवहेलना करते हुए पुनः श्री भूराराम उप डाकपाल बायतु का नाम प्रस्तुत किया। उक्त हेतु नाम भी 05.10.2015 को बचाव 07.10.15 को पंजीकृत पत्र द्वारा मिला।

इस संबंध में श्रीमान अधीक्षक डाकघर बाडमेर से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा गया। श्रीमान अधीक्षक डाकघर बाडमेर ने भी अपने पत्रांक एफ 6–1 / 09–10 दिनांक 12.10.15 द्वारा यह मार्गदर्शन दिया कि CAT के आदेशानुसार श्री नजेखां को श्री भूराराम के बजाय अन्य नाम प्रस्तावित करना था लेकिन उन्होने वापिस श्री भूराराम का नाम प्रस्तावित किया

– जो कार्यवाही छोड चले गये –	एसडी / –	एसडी / –
श्री नजेखां	वासुदेव सोनी	देवाराम सुथार

लगातार ...2

THIS ANNEX IS ... FROM ... COPY

TC Attd

मान्य नही है। इसके साथ ही CAT के आदेश के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

श्री नजेखां आरोपित जीडीएस द्वारा आज नये बचाव सहायक के नाम का अपना प्रार्थना पत्र (जिसमें श्री प्रकाशचन्द बोथरा की सहमति साथ में नही थी) पर भली भांति विचार किया साथ ही माननीय CAT बेंच जोधपुर के OA No.290/00330/2015 में दिनांक 10.09.2015 को निर्णय की तारीख से अधिकतम 2 सप्ताह का समय नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत करने के लिये 05.10.2015 तक का समय दिया फिर भी पंजीकृत पत्र जो कि 07.10.15 को प्राप्त हुआ, श्री भूराराम का बचाव सहायक के बतौर नाम प्रस्तुत किया।

उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए श्री नजेखां द्वारा आज प्रस्तुत नये बचाव सहायक का नाम इस स्टेज पर स्वीकृत नही किया जा सकता कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः श्री नजेखां अपना बचाव स्वंय करे।

श्री नजेखां ने अपने बचाव गवाहों के लिए पांच नाम दिये थें। पिछली बैठक दिनांक 14.10.2015 में भी सभी को समन भेजे गये थे। उसमें से मात्र एक पंजीकृत पत्र जो कि श्री नजेखां को अपने बचाव गवाहों के साथ प्रस्तुत होने के निर्देश दिये गये थे। उक्त समन पंजीकृत पत्र RR782472618IN के द्वारा भेजा गया था। जिस पर दिये रिमार्क के अनुसार प्राप्तकर्ता के घर बार बार जाने व फोन पर सूचना देने के बावजूद नही मिलने व रजिस्ट्री लेने नही आने के कारण प्रेषक को लौटाई जाती है" के साथ पुनः प्राप्त हुई थी।

दिनांक 14.10.2015 की बैठक में भी बचाव गवाह श्री जवरमल जाट जो कि शाखा डाकपाल सिन्धासवा के पद पर कार्य कर रहे है, ने भी बताया कि उसने श्री नजेखां को 14.10.2015 की बैठक की सूचना फोन पर दे दी थी।

– जो कार्यवाही छोड चले गये –
श्री नजेखां

एसडी/–
वासुदेव सोनी

एसडी/–
देवाराम सुथार

लगातार ...3

THIS ANNEX IS TYPED/PHOTOCOPY FROM ITS ORIGINAL

आज की बैठक के संबंध में समन सभी संबंधितो को भेजा जा चुका था तथा श्री नजेखां भी अपने बचाव गवाहों को साथ मे न लाकर अकेला आया। आज हुए विचार विमर्श से यही सामने आया कि श्री नजेखां येन केन प्रकारेण प्रकरण को विलम्बित करना चाहता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई भी बचाव गवाह पेश करने में असमर्थ है। दिनांक 14.10.2015 की बैठक में भी एक गवाह श्री जबरमल ने भी लिखित में बचाव गवाह बनने से इन्कार करते हुए भविष्य में नही बुलाने का निवेदन किया था।

फिर भी श्री नजेखां को एक अन्तिम अवसर देते हुए अपने बचाव गवाहों को दिनांक 24.11.2015 को समय 11 बजे (11:00) स्थान कार्यालय श्रीमान अधीक्षक डाकघर बाडमेर को लेकर प्रस्तुत होवे। यदि श्री नजेखां दिनांक 24.11.2015 को अपने बचाव गवाहों के साथ नियत समय न नियत स्थान पर प्रस्तुत नही हो पता है तो बचाव गवाहों को ड्रोप कर दिया जायेगा तथा फिर इससे अगले स्तर स्टेज पर जांच जारी रहेगी।

डेली आर्डर शीट पर हस्ताक्षर करने के समय श्री नजेखां कार्यवाही छोडकर चले गये फलस्वरूप आर्डरशीट पर श्री नजेखां के हस्ताक्षर नही करवाये जा सके।

– जो कार्यवाही छोड चले गये –	एसडी/–	एसडी/–
श्री नजेखां	वासुदेव सोनी	देवाराम सुथार

प्रतिलिपि:– श्रीमान अधीक्षक डाकघर बाडमेर को मय श्री नजेखां द्वारा बैठक में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2015 की प्रतिलिपी।

Attested

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE

TRIBUNAL, JODHPUR BENCH, JODHPUR.

MISC. APPLICATION NO. 267/2015

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 330 / 2015

APPLICANT:

Naje Khan

VERSUS

RESPONDENTS:

Union of India &Ors.

REPLY TO THE MISC. APPLICATION ON BEHALF OF

THE RESPONDENTS NO. 1 TO 4

MAY IT PLESE HON'BLE TRIBUNAL;

Presented by Shri ... on 17/12/15
REGISTRAR
CAT, JODHPUR

The answering respondents named above most humbly and respectfully submits as under:

3096

1. That the averments contained in para 1 of the Misc. Application are not admitted and hence denied. As discussed in reply of OA the applicant had misappropriated government money, again he is intentionally not supporting to complete disciplinary inquiry and unnecessarily delayed the matter, which can be clearly established through incoming paras and by these enclosures, so It is humbly requested that interim relief may kindly not be granted to the applicant.

2. That the averments contained in para 2 of the Misc. Application are not admitted and hence denied. The contents raised in this para is far away from the factual position; it can be clearly understand through last paragraph of the Hon'ble Tribunal's order dated

10.09.2015 was offered to the applicant to finalize the name of his new Defense Assistant and to inform the same to the respondents (department) i.e. 24.09.2015.

But the applicant did not furnish the name of his new Defense Assistant during above said period, even though a second chance to get his new Defense Assistant by providing an additional time of two weeks was also provided to the applicant and directed to submit name of his new Defense Assistant till 05.10.2015 vide IO letter dated 24.09.2015.

Even after elapse of above said additional time, the applicant had neither followed the Hon'ble Tribunal's order dt. 10.09.2015; nor IO's instructions, in contradicting to above, he again submitted the consent of Mr. Bhoora Ram Chaudhry in backdate as on

earlier on administrative ground by his controlling authority as well as by the Hon'ble Tribunal vide above said order dated 10.09.2015 and same was sent to the IO on 05.10.2015 containing his backdated application dated 01.10.2015 vide Registered Letter No.RR826035746IN, which has received to the IO on 07.10.2015.

On the other hand, keeping in view the unnecessary delay in inquiry on part of the applicant, when information regarding appointment of his new Defense Assistant was not received from the applicant till the 05.10.2015, next hearing was fixed by the IO at on 14.10.2015 vide letter dated 05.10.2015 and informed the applicant accordingly under Registered Letter No. RR782472621IN, but the applicant had refused to

notice, although the applicant was also informed orally regarding hearing fixed on 14.10.2015 by his other Defense Witness namely Mr. Jabar Mal who is postman of the applicant's residential area, besides that the applicant as well as his Defense Witnesses except Shri Jabarmal remained absent on date of hearing fixed on 14.10.2015 and Mr.Jabar Mal nominated as Defense Witness of the applicant who had appeared in hearing on 14.10.2015 and declined in writing as Defense Witness of the applicant.

Further, a third chance to examine his other four Defense Witnesses was provided by fixing next hearing on 17.11.2015 by the IO vide letter dated 02.11.2015and the applicant as well as his four Defense Witnesses were informed accordingly, but all

they had refused to receive the Registered Letters but the applicant himself had appeared alone in hearing on 17.11.2015 with intention to delay the inquiry. He proposed name of Mr. Prakash Chadra Bothra without consent of Mr. Bothra as to appoint his new Defense Assistant, during proceeding (dated 17.11.2015)with keeping view on the maximum time limit as two week from order issuing date awarded by the Hon'ble Tribunal and due to not submitting the consent of Mr Bothra, the name of Mr. Bothra was not accepted to be appointed as Defense Assistant of the applicant and applicant was directed to defense the case by himself; thereafter it was decided to continue the inquiry and again fourth chance was given to the applicant for examine his Defense Witnesses on next hearing date

hearing dated on 24.11.2015 together with his Defense Witnesses otherwise names of his Defense Witnesses would be dropped and inquiry would continuously be proceed, but the applicant left in the middle of the proceeding dated 17.11.2015. He himself as well as his Defense Witnesses were also remained absent in next hearing dated 24.11.2015.A copy of the order dt. 17.11.2015 is already annexed with the Misc. application as Annexure-MA/3.

There after an application dated 25.11.2015 containing sick & fitness certificate was submitted by the applicant with grievance that on dated 24.11.2015 he was ill, so he could not appear on date of hearing on that day (24.11.2015) and also requested by himself to get a chance of next hearing and submit in writing that,

if a chance were provided, he would surely appear along with his Defense Witnesses.

As the inquiry had already been badly delayed due to non-cooperation of the applicant, in spite of the fact, his request was again accepted and a fifth chance was provided to the applicant by fixing hearing date on 01.12.2015 in which the applicant appeared alone and submitted consent dated 30.11.2015 of Mr. Prakash Chandra Bothra along with application of the applicant himself dated 01.12.2015to allow Mr. Bothra as his new Defense Assistant. The applicant has refused to sign on the consent of Mr. Bothra as well as in order sheet of same day thus his request was not accepted by the IO and as soon as a question was asked by the IO in proceeding the applicant repeated same activity

in the middle of the proceeding of that day (dated 01.12.2015). Due to none appearing of any Defense Witnesses in number of hearings; the names of the Defense Witnesses were dropped and inquiry has been completed. The PO was directed by the IO to submit brief of the inquiry with copy to the applicant within ten days and the applicant was also directed to submit his brief within ten days of the receipt of copy of the brief of the PO.

As detailed above, the applicant was neither obeyed the Honb'le CAT order dated 10.09.2015 nor followed instructions of this department, adversely he intentionally wants to delay the inquiry because of that he was followed more delayed tactics (activities)such as repeated the name of his old Defense Assistant,

proceedings, submitted sick & fitness certificate, remained absent in hearing without submission of prior information, refused to receive the Registered Letters, refused to sign on consent of his Defense Assistant as well as daily order sheets and at the end delayed informed name of his Defense. Thus the contents raised in this para is far away from factual position and not considerable according to law.(Copy of IO letter dated 24.09.2015, Backdated consent of Mr. Bhoora Ram Chaudhry, Backdated application of the applicant, Registered Letter dated 05.10.2015 sent by the applicant, Registered Letter received by the IO on 07.10.2015, IO letter dated 05.10.2015, declination of the Jabarmal dated 14.10.2015, IO letter dated 02.11.2015, refusal of the Defense Witnesses for

25.11.2015 and Order Sheets No. 25, 26, 27 & 28 are attached herewith and Marked as **Annexure R/23 to R/36** respectively.)

3. That the averments contained in para 3 of the Misc. Application are not admitted and hence denied. As detailed in above para 2 and in last paragraph of the Hon'ble Tribunal's order dated 10.09.2015, a maximum time of two weeks was provided to the applicant to finalize the name of his new Defense Assistant, but the applicant had not finalized name of his new Defense Assistant within time limit provided by the Hon'ble Tribunal. An additional time equal to provide by the Hon'ble CAT was provided to the applicant, but the applicant not comply with the order of the Hon'ble CAT as well direction of the IO and

Defense Assistant who had already been rejected on administrative ground by his controlling authority as well as by the Hon'ble CAT vide above said order.

In addition to above, after passing seven weeks additionally from expiry of the time awarded by the Hon'ble CAT and five weeks from expiry of the time awarded by the IO, the applicant has submitted name of his new Defense Assistant which was also without consent and same could not be accepted in accordance with law. When the applicant was felt that the inquiry had not affected by his delaying tactics and reached at final stage, he had submitted consent of the newly Defense Assistant which could not be accepted in accordance with law as such due to none receipt of any name of his new Defense Assistant with proper way,

eleven weeks from expiry of time limit awarded by the Hon'ble CAT.

As such the content raised in this para is far away from the factual position and applicant wants to divert the attention of the Hon'ble CAT as well as delay in proceeding.

4. That the averments contained in para 4 of the Misc. Application are not admitted and hence denied. As discussed in foregoing paras, the applicant wants to delay in inquiry proceeding, so he had followed delayed tactic, such as he had repeated name of his old Defense Assistant and latter in hearing, he submitted name of new Defense Assistant but not submitted consent of concerned person besides he had left in middle of hearing, hence according to law

the name of his new Defense Assistant was not accepted.

It is therefore, most humbly and respectfully prayed that a lot of chances have already been provided to the applicant but the applicant is not co-operating with the department and adversely followed delayed tactics and also not obeyed the Hon'ble CAT order. Now the inquiry has reached at final stage, hence it is most humbly and respectfully prayed that the Misc. Application filed by the Original applicant may kindly be dismissed with cost.

Counsel for the Respondents

(NimeshSuthar)
Addl. Central Govt. Standing Counsel

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
...POST OFFICES

VERIFICATION:-

I, Ramesh Kumar ...., S/o Shri Kesaramji ....aged about 59 years at present working as Supdt. of POs Barmer .... , do hereby verify that the contents of paras of the reply to the Original Application are true and correct to my personal knowledge and belief based on advice of my counsel. Nothing material has been concealed/ suppressed therein and no part of it is false. So help me God.

DEPONENT

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION. BARMER-344001

PLACE:

DATE:

Annexure- R/23

सेवामे,

श्री नजेखां
पुट ऑफ शाखा डाकपाल
सिन्धासवा हरणियान वाया–गुडामालानी
जिला–बाडमेर

क्रमांक – जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12 बालोतरा दिनांक 24.09.2015

विषय – बचाव सहायक को नामित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा CAT Branch Jodhpur में दर्ज OA NO 290/00330/2017 में दिनांक 10.09.2015 को दिये निर्णय अनुसार निर्णय की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर आपके विरूद्व चल रही कार्यवाही में नये बचाव सहायक को नियोजित करने का अवसर दिया है।

परन्तु आपके द्वारा अभी तक नये बचाव सहायक को नामित नहीं किया गया है। अतः आप दिनांक 05.10.2015 तक अपने नये बचाव सहायक व उसके नियंत्रण अधिकारी का नाम, पदनाम व उसकी सहमति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता हैं। यदि आपके द्वारा नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यही माना जायेगा कि आपको बचाव सहायक की आवश्यकता नहीं है तथा कार्यवाही जारी रहेगी।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
बालोतरा–344001

प्रतिलिपि–

01 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर – उनके पत्रांक एफ6–1/ CAT-330/09-10 दिनांक 18.09.2015 के सम्बन्ध मं सूचनार्थ।

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

SEEN

26
9

Annexure C/24

सेवाम्,

श्रीमान् जाँच अधिकारी
पूर्व निरिक्षक
डाकघर बालोतरा

विषय बचाव सहायक लगाने बाबत

महोदयजी, मैं भूरराराम उपडाकपाल बाघलू बलोर बचाव सहायक के रूप मे श्री नसीरखाँ ग्रुप डाक शाखाडाक पाल सिन्धासवा हरनीया (गुडामालनी) के विरुद्ध चल रहे कल 10 को मैं बचाव सहायक बनने को तैयार हूँ तथा बचाव सहायक की सभी योग्यताये रखता हूँ
① मेरे पास अन्य दो मामले है तथा अन्य सभी औपचारिकताये पूरी करता हूँ

भूराराम चौधरी
उपडाकपाल
बाघलू
जिला - बाड़मेर
1-10-15

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION: BARMER-344001

Annexure A/25

स्वयं

श्रीमान देवाराम जी सुथार
जाँच अधिकारी जी एव
निरीक्षक डाक बालोतरा 344022

विषय :- नया बचाव सहायक बाबत्

दिनांक 1.10.2015

मान्यवरजी

नम्र निवेदन है कि आपके द्वारा CAT Brach Jodhur के आदेश NO 290/00330/2017 के दिनांक 10.9.2015 के निर्णय के अनुसार मैं मेरा बचाव सहायक श्री जुरराम जी चौधरी उप डाकपाल बायतु को रखना चाहता हूँ सो श्रीमान से निवेदन कि श्री जुरराम जी को बचाव सहायक रखने की कृपा करावे जी

भवदीय
नजेखां
नजेखां s/o सेरखां
पुर्व ऑफ ड्युटी शाखा डाकपाल
सिन्धासवा हरीयान
खुडमालानी 344031

मैं जुरराम चौधरी उपडाकपाल बायतु श्री नजेखां के विरुद्ध चल रही रूल 10 की प्रस्तावित जाँच में बचाव सहायक बनने को तैयार हूँ तथा सभी औपचारिकताएँ पूरी करता हूँ। जुरराम चौधरी
उपडाकपाल

[signature]

अधीक्षक डाकघर
SUPERINTENDENT OF POST OFFICE
BARMER DIVISION. BARMER-34400

To श्रीमान देवाराम जी कुम्हार
जाँच अधिकारी एवं निरीक्षक
डाक घर बालोतरा
वाया बालोतरा 344022
जिला बाड़मेर (राज.)

RR826035746IN

From
...खां ...सतेरखां
...डुपटी शाखा डाकपाल
...हरतिपाल

Annexure R/26

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर 344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
...BARMER 344001

R/27
Annexure ~~R/26~~

Received on 07/10/17

[illegible]
Counter [illegible]
[illegible]
To:Balotra S.O [illegible]

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर-344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

Annexure R/28
F
RR782472621IN

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर बालोतरा –344022

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 05.10.2015

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठके निम्नानुसार रखी जाती है–

स्थान– कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर दिनांक 14-10-2015 समय 1300 बजे

: इस प्रकरण में बचाव पक्ष के निम्न गवाहों का परीक्षण किया जायेगा –

01 श्री जंबरमल ग्रामीण डाक सेवक वाहक/वितरक हाल शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान

02 श्री जुगराज अध्यापक सैकण्डरी स्कूल सिन्धासवा हरणियान

03 गजू पुत्री श्री पन्नाराम पादड़ी

04 नैन रूपा जटिया सिन्धासवा हरणियान

05 श्री लालाराम चौधरी भाखरपुरा

उपरोक्त सभी बचाव गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी उपरोक्त बचाव गवाहों के साथ नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। साथ ही प्रस्तुतकर्ता अधिकारी समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
बालोतरा–344001

प्रतिलिपि--

01 श्री नजेखा पुट ऑफ डयूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)

02 श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पीआरआई बाडमेर

03 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर

04 सभी सम्बन्धित बचाव गवाह

05 कार्यालय प्रति

13/10

26
12/10 13/10

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

Annexure R/29

सेवा मे,

श्रीमान जांच अधिकारी एवं
निरिक्षक डाक, बालोतरा

विषय: बचाव गवाह से नाम हटवाने बाबत् ।

महोदयजी

निवेदन है कि आपके ज्ञापन सं: जांच/सि.हर./11-12 दिनांक 5.10.15 के अनुसार मुझे आज 14.10.15 की पेशी मे मुझे नजेखां के बचाव गवाह के रूप मे बुलाया है। इस सम्बन्ध मे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मै नजेखां का बचाव गवाह नही बनना चाहता, मुझे नही पता कि मुझे नजेखान ने बचाव गवाह क्यों बनाया, इस सम्बन्ध मे मुझे भविष्य नही बुलाया जावे ।

जबरमल जाट
(जबरमल जाट)
शाखा डाकपाल
शाखा डाकघर सिंधासवा हरनियान
(गुड़ामालानी)

14/10/15
IO & I/C Balotra

PRESENTING P.O.

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

Annexure A/30

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निरीक्षक डाकघर बालोतरा –344022

ज्ञापन संख्या– जांच/सिन्धासवा हरनियान/11–12
बाड़मेर दिनांक 02.11.2015

श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी ग्रामीण सेवक शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी) के विरूद्व ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावाली 2001 के नियम 10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही में अगली जांच बैठके निम्नानुसार रखी जाती है–

स्थान– कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर दिनांक 17.11.2015 समय 1300 बजे

: इस प्रकरण में बचाव पक्ष के निम्न गवाहों का परीक्षण किया जायेगा –

01 श्री जुगराज अध्यापक सैकण्डरी स्कूल सिन्धासवा हरणियान

02 गजू पुत्री श्री पन्नाराम पादड़ी

03 नैना रूपा जटिया सिन्धासवा हरणियान

04 श्री लालाराम चौधरी भाखरपुरा

उपरोक्त सभी बचाव गवाहों को इस पत्र द्वारा उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाता है। आरोपित कर्मचारी उपरोक्त बचाव गवाहों के साथ नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित होवे। साथ ही प्रस्तुतकर्ता अधिकारी समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें।

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
बालोतरा–344001

प्रतिलिपि–

01 श्री नजेंखा पुट ऑफ डयूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान(गुडामालानी)

02 श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं पीआरआई बाडमेर

03 श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर

04 सभी सम्बन्धित बचाव गवाह

05 कार्यालय प्रति

क्रमांक -बी/विविध/2015-16 बाड़मेर दिनांक 5-11-2015

प्रतिलिपि :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. (अंकित) पोस्टमास्टर बाड़मेर - वे श्री वासुदेव सोनी जनसम्पर्क निरीक्षक (डाक) बाड़मेर को कार्यालय व्यवस्था पर समय पर भारमुक्त करें।
2. श्री वासुदेव सोनी जनसम्पर्क निरीक्षक (डाक) बाड़मेर।
3. श्री देवा राम सुथार, जाँच अधिकारी एवं निरीक्षक डाकघर बालोतरा।
4. एफ. शाखा मंडल कार्यालय बाड़मेर
5. कार्यालय प्रति

अधीक्षक डाकघर,
बाड़मेर मण्डल बाड़मेर -344001

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

Annexure R/31

नोट: प्राप्तकर्ता ने लेने से इन्कार
वापिस भेजा

भारतीय डाक विभाग

पंजीकृत पत्र

(6)

प्राप्तकर्ता– श्री जुगराज अध्यापक
सैकण्डरी स्कूल सिन्धासवा हरणियान
वाया गुडामालानी जिला बाड़मेर

जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
बालोतरा–344022

Received back on 23/11/15
23/11/15

NF 18/11/15

RR782470625IN

नोट: प्राप्तकर्ता ने लेने से इन्कार वापिस
भेजा

Received back on 23/11/15
23/11/15

भारतीय डाक विभाग

पंजीकृत पत्र

(5)

प्राप्तकर्ता– मंजू पुत्री श्री पन्नाराम
पोस्ट– सिन्धासवा हरणियान
वाया गुडामालानी जिला बाड़मेर

प्रेषक –
जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
बालोतरा–344022

RR782470617IN

NF 18/11/15

वापिस भेजा

Received back on 23/11/15

भारतीय डाक विभाग

पंजीकृत पत्र

प्राप्तकर्ता– श्री नैनारूपा जटिया
सिन्धासवा हरणियान
वाया गुडामालानी जिला बाड़मेर

NF 18/11/15

प्रेषक –
जांच अधिकारी एवं निरीक्षक डाक
बालोतरा–344022

RR782470603IN

(6)

22/11

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर-344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

Annexure R/32

सेवा में

श्रीमान देवाराम जी सुथार
जाँच अधिकारी एवम् निरीक्षक
डाकघर बालोतरा

विषय :- 24-11-15 को बैठक में उपस्थित नहीं होने बाबत्

मान्यवर जी

नम्र निवेदन है कि मैं नजेखाँ पुर आकडुपथी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनिमाक निवेदन करता हूँ कि दिनांक 24-11-15 को जो आपके आदेशानुसार बैठक रखी गई थी जिसमें बचाव गवाहो के ब्यान करने थे मगर मेरी तबीयत दिनांक 23-11-2015 को एक दम खराब होने के कारण दिनांक 24-11-2015 को बैठक में उपस्थित नहीं हो सका इसलिए निवेदन करता हूँ कि आगे बैठक की तारीख रखी जावे। और दो दिन का मेडीकल आपके सेवामें भेज रहू अगली बैठक में बचाव गवाहो के बयान अवश्य करवा दूगा जी।

नजेखाँ भवदीय
नजेखाँ S/o सेतेखा
पुर आकडुपथी शाखा डाकपाल
सिन्धासवा हरनिमाल
गुडामालानी 344031
बाड़मेर

दिनांक
25-11-15

RR823407770IN
27-11-15 (Gudamalani)

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

... on 30/11/2015

From

नोजेखाँ s/o सेतखाँ
पुर आफ ड्यूटी शाखा डाकपाल
सिन्धासवा हरनियान
वाया- गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर 344

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर:344001
... OF POST OFFICES

Annexure 8/33

डेली आर्डर शीट - 25

क्रमांक- जांच/सिन्धासवा हरणियान/11-12 बाड़मेर दि 14.10.15

प्रकरण- श्री नजेखाँ पुत्र ऑफ डियूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

—x—x—

आज 14.10.15 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर में बैठक रखी गई। इसमें निम्न उपस्थित हुए—

(1) श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं जनसम्पर्क निरीक्षक बाड़मेर

(2) श्री जबरमल शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी)

इस बैठक में श्री नजेखां आरोपित GDS उपस्थित नहीं हुआ। श्री जबरमल शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान ने बताया कि श्री नजेखां के नाम पंजीकृत पत्र सं RR782472618IN बालोतरा दिनांक 08.10.15 आई थी। नजेखां के घर पर उक्त RL बांटने कई बार गया, फोन पर भी सम्पर्क किया, उसकी पत्नी को भी बताया परन्तु नजेखां उक्त पंजीकृत पत्र लेने नहीं आया।

श्री जबरमल शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान द्वारा बताया गया कि इसने श्री नजेखां को फोन पर व उसके घर पर भी दि 14.10.15 को होने वाली पेशी के बारे मे बता दिया था। चूंकि नजेखां ने बचाव गवाह के रूप में श्री जबरमल का भी नाम लिखा था इस कारण उन्हें भी 14.10.15 की पेशी मे उपस्थित होने के लिये समन मिला था।

श्री जबरमल शा डा पा सिन्धासवा हरणियान ने लिखित में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह नजेखां का बचाव गवाह नहीं बनना चाहता है। साथ ही इसने बताया कि उसे नहीं पता कि नजेखां ने उसे बचाव गवाह क्यों बनाया। उसे भविष्य मे बचाव गवाह के रूप मे नहीं बुलाया जावे।

आज की बैठक में अन्य बचाव गवाह उपस्थित नहीं हुए न न ही श्री नजेखां उपस्थित हुए। लिहाजा उन्हें एक अवसर और दिया जाता है कि अगली बैठक मे उपस्थित होवे।

अगली बैठक की सूचना पुनः प्रसारित की जायेगी।

अनुपस्थित —

(नजेखां)
आरोपी GDS

(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(देवाराम कुमार)
जांच अधिकारी

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

Annexure A/34

डाक आदेश रजि. - 26

(1)

क्रमांक - जांच / सिन्धासवा हरणियान / 11-12 बाड़मेर दिनांक 17-11-15

प्रकरण - श्री नजेखां पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

—x—x—x.

आज दिनांक 17-11-2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर में बैठक रखी गई। इसमें निम्न उपस्थित हुए-

(1) श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं जनसम्पर्क निरीक्षक बाड़मेर

(2) श्री नजेखाँ, पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान (गुडामालानी)

आरोपित GDS व उसके बचाव गवाहों (चार) को पूर्व में समन जारी किये जा चुके हैं। आरोपित GDS के ने अपने किसी बचाव गवाह को प्रस्तुत नहीं किया।

श्री नजेखां ने आरोपित GDS ने आज पुन: अपने बचाव सहायक के रूप में श्री प्रकाशचंद बोथरा सेवानिवृत डाक सहायक का नाम प्रस्तुत किया परन्तु साथ में श्री प्रकाशचंद बोथरा की कोई सहमति नहीं थी।

माननीय CAT जोधपुर ने श्री नजेखां द्वारा दायर OA No. 290/00330/2015 (नजेखां बनाम भारत संघ) में दिनांक 10-09-2015 को श्री नजेखाँ को श्री भूराराम के अतिरिक्त किसी अन्य बचाव सहायक का नाम नामित करने के लिये निर्णय की तिथि से दो सप्ताह का समय दिया था।

श्री नजेखां द्वारा निर्धारित समय भीतर नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रांक जांच / सिन्धासवा हरणियान / 11-12 दि 24.09.15 द्वारा फिर भी श्री नजेखाँ को 05.10.2015 तक नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत करने का अवसर दिया। परन्तु श्री नजेखां द्वारा पुन: माननीय CAT बेंच जोधपुर के निर्णय की अवहेलना करते हुए पुन: श्री भूराराम उपडाकपाल सेवानिवृत्त का नाम प्रस्तुत किया। उक्त हेतु नाम भी 05.10.15 के बजाय 07.10.15 को पंजीकृत पत्र द्वारा मिला।

इस सम्बन्ध में श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा गया। श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर ने भी अपने पत्रांक सम 6-1/09-10 दिनांक 12-10-15 द्वारा यह मार्गदर्शन दिया कि "CAT के आदेशानुसार श्री नजेखां को श्री भूराराम के बजाय अन्य नाम प्रस्तावित करना था। लेकिन उन्होंने वापिस श्री भूराराम का नाम प्रस्तावित किया जो

<- कार्यवाही छोड़ चले गये -> (श्री नजेखां) (वासुदेव सोनी) (देवाराम कुमार) 17-11-15 जांच अधिकारी

SUPDT. OF POSTS, BARMER DN. BARMER 17 11 15
अधीक्षक डाकघर, बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर 344001 SUPERINTENDENT OF POST OFFICES BARMER DIVISION, BARMER-344001

मान्य नहीं है। इसके साथ ही CAT के आदेश के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

श्री नजेखाँ आरोपित GDS द्वारा आज नये बचाव सहायक के नाम का अपना प्रार्थना पत्र (जिसमें श्री प्रकाशचन्द बोथरा की सहमति साथ में नहीं थी) पर भली भांति विचार किया साथ ही माननीय CAT बेंच जोधपुर के OA NO. 290/00330/2015 के दिनांक 10-09-2015 के निर्णय के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया गया।

माननीय CAT बेंच जोधपुर ने OA NO. 290/00330/2015 में दिनांक 10-09-15 को निर्णय की तारीख से अधिकतम 2 सप्ताह का समय नये बचाव सहायक का नाम नामित करने के लिये समय दिया था। इसके उपरान्त भी नये बचाव सहायक का नाम प्रस्तुत करने के लिये 05-10-15 तक का समय दिया फिर भी, पंजीकृत पत्र जो कि 07.10.15 को प्राप्त हुआ, श्री भूराराम का बचाव सहायक के बतौर नाम प्रस्तुत किया।

उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए श्री नजेखाँ द्वारा आज प्रस्तुत नये बचाव सहायक का नाम इस स्टेज पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता कारण कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः श्री नजेखाँ अपना बचाव स्वयं करें।

श्री नजेखाँ ने अपने बचाव गवाहों के लिये पांच नाम दिये थे। पिछली बैठक दिनांक 14.10.15 में भी सभी के समन भेजे गये थे। इसमें से मात्र एक पंजीकृत पत्र जो कि श्री नजेखाँ को अपने बचाव गवाहों के साथ प्रस्तुत होने के निर्देश दिये गये थे। उक्त समन पंजीकृत पत्र RR782497261 8IN के द्वारा भेजा गया था जिस पर दिये रिमार्क के अनुसार "प्रापतकर्ता के घर बार-बार जाने व फोन पर सूचना देने के बावजूद नहीं मिलने व रजिस्ट्री लेने नहीं आने के कारण प्रेषक को लौटाई जाती है" के साथ पुनः प्राप्त हुई थी।

दिनांक 14.10.15 की बैठक में भी बचाव गवाह श्री जबरमल जाट जो कि शाखा डाकपाल सिन्धासवा के पद पर कार्य कर रहे हैं, ने भी बताया कि उसने श्री नजेखाँ को 14.10.15 की बैठक की सूचना फोन पर दे दी थी।

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर-344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

कार्यवाही छोड़ चले गये

(श्री नजेखाँ)
आरोपित GDS

(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

17.11.15
(देवाराम सुथार)
जांच अधिकारी

आज की बैठक के सम्बन्ध में समन सभी सम्बन्धितों को भेजा जा चुका था। तथा श्री नजेखाँ भी अपने बचाव गवाहों को साथ में न लाकर अकेला आया। आज हुए विचार विमर्श से यही सामने आया कि श्री नजेखाँ येन केन प्रकारेण प्रकरण को विलम्बित करना चाहता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई भी बचाव गवाह पेश करने में असमर्थ है। दि. 14.10.15 की बैठक में भी एक गवाह श्री जबरमल ने भी लिखित में बचाव गवाह बनने से इन्कार करते हुए भविष्य में नहीं बुलाने का निवेदन किया था।

फिर भी श्री नजेखाँ को एक अन्तिम अवसर देते हुए अपने बचाव गवाहों को दिनांक 24-11-2015 को समय 11 बजे (1100) स्थान कार्यालय श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर को लेकर प्रस्तुत होवे। यदि श्री नजेखाँ दिनांक 24-11-2015 को अपने बचाव गवाहों के साथ नियत समय व नियत स्थान पर प्रस्तुत नहीं हो पाता है तो बचाव गवाहों को इससे अगले स्तर (stage) पर Drop कर दिया जायेगा तथा फिर जांच जारी रहेगी।

डेली आर्डर शीट पर हस्ताक्षर करने के समय श्री नजेखाँ कार्यवाही छोड़कर चले गये फलस्वरूप आर्डर शीट पर श्री नजेखां के हस्ताक्षर नहीं करवाये जा सके।

← कार्यवाही छोड़ चले गये →
(नजेखाँ)
आरोपित GDS

(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

17.11.15
(देवाराम सुथार)
जांच अधिकारी

प्रतिलिपि - श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर को मय श्री नजेखाँ द्वारा बैठक में प्रस्तुत आवेदन पत्र दि 17-11-2015 की प्रतिलिपि।

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
DIVISION, BARMER-344001

Annexure Q/35

क्रमांक – जांच / सिन्धासवा हरजियान / 11-12 . बाड़मेर दि. 24-11-2015

प्रकरण – श्री नजेरखां पुत्र ऑफ डियूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरजियान (गुडामालानी) के विरुद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

—x—x—x—

आज दि. 24.11.2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर मे जांच बैठक रखी गई। बैठक का समय 1100 बजे रखा गया था परन्तु 1330 बजे तक इन्तजार करने के बावजूद न तो श्री नजेरखां आरोपित GDS उपस्थित हुए व न ही उसके बचाव गवाह।

आज की बैठक मे श्री वासुदेव सोनी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपस्थित हुए।

ज्ञापन सं. जांच / सिन्धासवा हरजियान / 11-12 दि 02.11.15 द्वारा श्री नजेरखां आरोपित GDS के बचाव गवाहों के भेजे गये समन में से निम्न तीन समन प्राप्तकर्ताओं यानि बचाव गवाहों के लेने से इन्कार करने के कारण अवितरीत रहने से वापिस लौट कर आ गये.

① श्री नैनारूपा जाटिया सिन्धासवा हरजियान (गुडामालानी)
② गजू पुत्री श्री पन्नाराम पादड़ी – (सिन्धासवा हरजियान)
③ श्री गुणराज अध्यापक सैकण्डरी स्कूल सिन्धासवा हरजियान (गुडामालानी)

डेली आर्डर शीट-26 दि. 17.11.15, जिसमें श्री नजेरखां आरोपित GDS इस पर हस्ताक्षर करने के समय कार्यवाही छोड़कर चले गये थे, को आरोपित GDS को पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा गया था। शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरजियान के अनुसार उक्त RL सं RR834907595IN श्री नजेरखां को वितरीत हो चुकी है। यह सूचना शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरजियान ने मोबाइल फोन पर दी है।

डेली आर्डर शीट-26 के द्वारा आरोपित GDS को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि दि. 24.11.15 की बैठक में अपने बचाव गवाहों के साथ नियत समय व स्थान पर उपस्थित होवे अन्यथा बचाव गवाहों को Drop कर दिया जायेगा।

तीन बचाव गवाहों द्वारा समन लेने से इन्कार करना, एक बचाव गवाह द्वारा उपस्थित होकर स्वयं नाम वापिस लेना, तथा आज भी न तो आरोपित GDS व न ही उसके किसी बचाव गवाह का उपस्थित होना यही दर्शाता है कि आरोपित के पक्ष में कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। वह येन-केन प्रकारेण जांच को विलम्बित करना चाहता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए बचाव गवाहों को Drop किया जाता है।

अनुपस्थित – (नजेरखां) आरोपित GDS

(वासुदेव सोनी) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

24/11/15 (देवाराम कुमार) जांच अधिकारी

अधीक्षक डाकघर, बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर-344001 SUPERINTENDENT OF POST OFFICES DIVISION: BARMER-344001

C.C. only ... 24/11/15

लगातार (2)

इस जांच प्रकरण में अब आरोपित ग्रा.डा.से. के विरुद्ध जा रहे सबूतों पर जांच स्वयं आरोपित ग्रा.डा.से. से प्रश्नोत्तर कर की जाती है।

इस हेतु अगली बैठक दि. 01-12-2015 को समय 1100 बजे स्थान- कार्यालय अधीसड डाकघर बाड़मेर में रखी जाती है। श्री नजेखां आरोपित ग्रा.डा.से. समय पर नियत स्थान पर उपस्थित होवे अन्यथा इस प्रकरण में जांच आगामी स्टेज पर जारी रखी जायेगी।

— अनुपस्थित —
(श्री नजेखां)
आरोपित GDS

(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुत कर्ता अधिकारी

(देवाराम कुमार)
जांच अधिकारी

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
DIVISION, BARMER-344001

Annexure R/36

डेली आर्डर शीट - 28

क्रमांक - जांच / सिन्धासवा हरणियान / 11-12 बाड़मेर दि. 01-12-2015

प्रकरण - श्री नजेखां पुत्र अंगु खियूरी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरणियान के विरूद्ध नियम-10 के अन्तर्गत जांच।

आज दि 01.12.2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर में जांच बैठक रखी गई जिसमे निम्नलिखित उपस्थित हुए -

(1) श्री वासुदेव सोनी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी - [signature] 1.12.15

(2) श्री नजेखां आरोपित GDS - नजेखां 1-12-15

डेली आर्डर शीट नं. 27 जो कि श्री नजेखां आरोपित GDS को पंजीकृत पत्र द्वारा (सं. RR834912079IN) दि. 24.11.15 के द्वारा भेजी गई थी, चूंकि उक्त पंजीकृत पत्र पावती सहित की पावती वितरण के पश्चात ~~कार्यालय~~ ~~के~~ जांच अधिकारी के पास लौटकर नहीं आई, जो श्री नजेखां ने गुड़ामालानी उपडाकघर से दि 26-11-2015 को प्राप्त करना स्वीकार किया।

दि. 24.11.2015 की जांच बैठक में श्री नजेखां उपस्थित नहीं हुए थे, इस सम्बन्ध में उनका दि. 23.11.2015 से 24.11.15 दो दिन का रोग प्रमाण पत्र मय आरोग्य प्रमाण पत्र पंजीकृत पत्र RR823407770IN दिनांक 27-11-2015 बुकिंग कार्यालय गुड़ामालानी के द्वारा भेजा गया जो कि जांच अधिकारी को दिनांक 30-11-2015 को मिला।

रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र के साथ लिखे पत्र में श्री नजेखां ने लिखा कि दि. 23.11.15 को अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं सका इसलिये आगे बैठक रखी जावे तथा अगली बैठक में गवाहों के बयान अवश्य करना दूंगाजी।

श्री नजेखां द्वारा प्रस्तुत रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र विचार विमर्श किया गया। श्री नजेखां ने ~~को~~ दिनांक 24-11-15 की बैठक में अपनी अनुपस्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं भिजवाई तथा रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र दोनों एक साथ दिनांक 27-11-2015 को प्रेषित किये।

नजेखां (नजेखां) [signature] (वासुदेव सोनी) [signature] 1/12/15 (देवाराम सुथार)

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

लगातार. 2

जबकि पूर्व बैठक दि. 24.11.2015 की डेली आर्डर शीट सं. 27 दिनांक 24-11-15 को आरोपित GDS को वितरीत हो चुकी है। इस प्रकार पूर्व बैठक की डेली आर्डर शीट वितरीत (प्राप्त) होने के पश्चात् आरोपित GDS द्वारा अपना रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र दि. 27-11-15 को प्रेषित किया।

श्री नजेखां द्वारा प्रेषित रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र के साथ लिखे पत्र पर विचार विमर्श किया गया जिसमे उन्होने अगली बैठक मे अपने बचाव गवाहों के बयान करवाने का जिक्र किया। चूंकि पूर्व बैठक में बचाव गवाहों व आरोपित GDS के उपस्थित नहीं होने से Drop कर दिया गया था। फिर भी आरोपित को अपने बचाव का पूर्ण मौका देते हुए उनके विरुद्ध जा रहे सबूतों पर आवश्यक प्रश्न पूछने से पहले उनके बचाव गवाहों को आज की बैठक में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

श्री नजेखां द्वारा आज की बैठक में किसी भी बचाव गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि उन्होंने स्वयं अपने पत्र मे लिख रखा था कि अगली बैठक में बचाव गवाहों के बयान करवा दूंगा। इस प्रकार श्री नजेखां अपने बचाव गवाहों को प्रस्तुत करने मे असफल रहे।

जांच की अगली कड़ी में, जैसा कि डेली आर्डर शीट 27 दि. 24.11.15 में स्पष्ट निर्देशित कर रखा कि आरोपित GDS से उनके विरुद्ध जा रहे सबूतों पर आवश्यक प्रश्न पूछे जायेगें, पर कार्यवाही की जाती है।

इसी बीच श्री नजेखां ने अपने बचाव सहायक के लिये श्री पी.सी. बोहरा का नाम मय सहमति पत्र के प्रार्थना पत्र पेश किया। आरोपित द्वारा उक्त पेश बचाव सहायक के सहमति पत्र पर भी उन्होंने (श्री नजेखां) ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। जबकि उन्हें डेली आर्डर शीट सं. 26 दिनांक 17-11-15 के द्वारा माननीय CAT बेंच जोधपुर के OA NO. 290/00330/2015 दि. 10.09.2015 के फैसले, जिसमें कि उन्हें निर्णय दि. 10.09.15 के दिन से दो सप्ताह के भीतर बचाव सहायक का नया

← कार्यवाही बीच में छोड़कर चले गये →
(नजेखां)

(वासुदेव सोनी)

(देनाराम कुमार) 01/12/15

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION, BARMER-344001

लगातार —3

नाम नामित करने हेतु समय दिया था फिर भी उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् श्री नजेखाँ द्वारा पुन: श्री भूराराम का नाम बतौर ~~सहायक~~ बचाव सहायक के प्रस्तुत किया जबकि उक्त निर्णय में माननीय CAT ने श्री भूराराम के अतिरिक्त किसी अन्य को बतौर बचाव सहायक नामित करने के निर्देश थे। साथ ही इस स्टेज पर जांच कार्यवाही रोकने का कोई आधार नहीं है" के निर्देश थे।

श्री नजेखां द्वारा आज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उक्त माननीय CAT के निर्णय के मध्य नजर रखते हुए नये बचाव सहायक के रूप में श्री पी.सी. बोथरा का नाम, चूंकि नया बचाव सहायक नामित करने की स्वीकृत अवधि लगभग दो माह से भी अधिक व्यतीत हो चुकी है, स्वीकृत करना संभव नहीं है जैसा कि डेली आर्डर शीट सं. 26 दि 17-11-15 में भी उल्लेखित है।

अत: जांच कार्यवाही जारी रखी जाती है।

आज की आगे की कार्यवाही में श्री नजेखाँ आरोपित GDS से मात्र जांच अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध आ रहे सबूतों के आधार पर साबित हो रहे आरोपों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने थे। जांच अधिकारी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया (प्रश्नावली प्रपत्र संलग्न है) किन्तु श्री नजेखाँ द्वारा उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा कार्यवाही छोड़कर चले गये।

इस प्रकरण में अब जांच पूर्ण हो गई है। कारण कि श्री नजेखाँ को अपने बचाव का पूरा मौका देने पर भी न तो बचाव गवाहों को प्रस्तुत किया व न ही उसके विरुद्ध ~~आ रहे~~ साबित हो रहे आरोपों का जांच अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिया गया।

अत: प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ~~को~~ दस दिन के भीतर अपना सार (Brief) जांच अधिकारी को प्रेषित कर उसकी प्रति आरोपित GDS को पंजीकृत पावती से प्रेषित करें। आरोपित GDS सार (brief) प्राप्ति के दस दिन के भीतर अपना पक्ष रखते हुए अपना सार (brief) जांच अधिकारी को प्रस्तुत करें।

← कार्यवाही बीच में छोड़ चले गये →
(श्री नजेखाँ)
आरोपित GDS

(हस्ताक्षर)
(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(हस्ताक्षर) 01/12/15
(देवाराम सुथार)
जांच अधिकारी

अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
BARMER DIVISION: BARMER-344001

श्री नजेखाँ आरोपित ग्रा.डा. से. (पुट ऑफ ड्यूटी शाखा डाकपाल सिन्धासवा हरनियान (गुडामालानी) के विरुद्ध चल रही ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली- 2001 के नियम-10 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही के दौरान उनके विरुद्ध पाये गये सबूतों पर पूछे गये आवश्यक प्रश्न —

स्थान — कार्यालय अधीक्षक डाकघर बाड़मेर दि. 01.12.2015

—— x —— x —— x —— x —— x —— x ——

प्रश्न-01. श्रीमान् अधीक्षक डाकघर बाड़मेर के ज्ञापन सं. एफ 6-1/9-11 दि. 18-11-2010 के अनुसार आपके विरुद्ध ~~विरचित~~ विरचित आरोपों के समर्थन में अनुबन्ध- द्वितीय के अनुच्छेद-प्रथम (I) में वर्णित आवृत्ति जमा खातों की राशि खाताधारकों से प्राप्त की पासबुकों में जमा की प्रविष्टि की। उन पर तारीख मुहर लगाई। अपने हस्ताक्षर किये और पासबुकें सम्बन्धितों को लौटा दी। आप द्वारा इन जमाओं की प्रविष्टियां न तो शाखा डाकघर आवृत्ति जमा जर्नल में की और न ही इन राशियों को शाखा डाकघर लेखे में हिसाब में ली।

इन आरोपों का सम्बन्धित रिकार्ड, गवाहों के बयान/परीक्षण से साबित होना पाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं ?

उत्तर —

← श्री नजेखाँ आरोपित GDS द्वारा उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा कार्यवाही छोड़कर चले गये। →

← कार्यवाही बीच में छोड़ कर चले गये →

(श्री नजेखाँ)
आरोपित GDS

(हस्ताक्षर)
(वासुदेव सोनी)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(हस्ताक्षर) 01/12/2015
(देवाराम सुथार)
जांच अधिकारी

RR494205576IN
01-12-15

(हस्ताक्षर)
अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर खण्ड, बाड़मेर.344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
DIVISION, BARMER-344001

ADVOCATES WELFARE FUND STAMP 25 Rs. 1629223

कोर्ट फी COURT FEE Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

अधिवक्ता संघ
बाड़मेर

No. AB/ 25020

अभिभाषक – पत्र

सेवामें, 04 290/00330/15

श्रीमान् CAT, Jodhpur

Naje Khan बनाम UOI & Ors

प्रकरण संख्या .... पेशी दिनांक ....

मैं/हम/फर्म Naje Khan S/o Shri Safey Khan .... जाति Muslim

निवासी Vill+Po - Singhsawa Harniyan तहसील .... जिला Barmer

श्रीमान् S.P. Singh / Shanno Rizvi Advocates

को उपरोक्त मुकदमे में अपनी और से पैरवी हेतू अधिवक्ता नियुक्त करते है तथा इन्हें हमारी ओर से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्य करने हेतु अधिकृत करते है :- प्रकरण में हमारी और से वाद/ वादोत्तर / अपील / प्रत्यावेदन/पुनरीक्षण/निष्पादन कार्यवाही/परिवाद/आपेक्ष प्रस्तुत करना तथा अदम पैरवी में प्रकरण निरस्त होने अथवा एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु अपने हस्ताक्षरों आवेदन प्रस्तुत करना न्यायलय में रकम जमा कराना एवं वापस लेना तथा प्रकरण में समझौता करना,पंच निर्णय हेतु पंच नियुक्त करना या विशेष शपथ से प्रकरणों को निस्तारित करवाना एंव प्रकरण वापस लेना/ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के अनुसार हमारी ओर से बयान देना एवं प्रकरण में हमारी ओर से सभी प्रकार की पैरवी (act or plead) करना एवं दुसरा वकील नियुक्त करवाना तथा हमारी ओर से अभिवचनों को सत्यापित करना । वकील साहब का इस प्रकरण में अन्तिम न्यायलय तक सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो हमे करने का अधिकार है । इस प्रकार में पैरवी हेतु हमने वकील साहब से [illegible] मेहनताना तय कर ....रूपये नकद अदा किये है तथा शेष राशि रू. .... [illegible] साहब कहेंगे, प्रकरण के निर्णय ये पूर्ण कर दी जायेगी । उपरोक्त मेहनताना इस न्यायल[illegible] [illegible]य होने तक (निर्णय चाहें समझौता से या पंच निर्णय से अथवा विशेष शपथ से हो) [illegible]ारित होने पर या अपील में या पुनः प्रेषित (Remand) होने पर इस न्यायलय अथवा दूस[illegible]ालय का मेहनताना अलग से हमारे द्वारा अदा किया जायेगा । हमारी और प्रकरण में प्रत्येक सुनवाई तिथि पर उपस्थिति नहीं रहने की स्थिति में वकील साहब को बिना नोटिस दिये मुकदमा छोड़ने का अधिकार रहेगा । न्यायालय में हमारी रकम जमा होगी तो वकील साहब को उसमें से बकाया मेहनताना एवं अन्य खर्चा लेने का हक रहेगा । सुनवाई स्थगन या अन्य स्थितियों में न्यायालय द्वारा दिलाये गजे हर्जे की राशि पर वकील साहब का अधिकार होगा जिसका मेहनताने से (हमारे से) सम्बन्ध नहीं होगा ।

कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

इति दिनांक 22/8/2015.

Accepted

605

[signatures]

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BENCH AT JODHPUR

ORIGINAL APPLICATION 0290/00............../2015

APPLICANT	**VERSUS**	**RESPONDENTS**
Naje Khan		Union of India & Ors

SUB : PRAYED FOR GRANT OF INTERIM RELIEF

PRAYED FOR HEAR THE CASE TODAY DT.24-8-2015

Matter pertains to permission to engage Defence Assistant.

May it please your lordships:

1. That the matter being urgent in nature may kindly be heard today dated 24-8-2015 because inquiry proceeding is being started tomorrow onwards.
2. That the defence assistant appointed earlier is very old aged and fallen sick frequently, resulted he is not attending the inquiry proceeding and he has written to competent authority that he could not attend and another defence assistant can be appointed.
3. That Bhura Ram has given his consent to present his case before inquiry officer and intimated that he has in hand only two cases whereas at a time 5 cases can be taken, but his consent is rejected.
4. That the applicants can not keep his position in perfect and proper manner and there is provision under Rule-14 (d) to engage defence assistant but denial of defence assistant is violation of the principle of natural justice.

Therefore the matter may kindly be heard today dated 24-8-2015 in convenience of this Hon'ble Court.

Date 24.8.2015

(SP. Singh)Adv. Counsel for the Applicant

के.प्र.अ. (प्रक्रिया) नियमावली के नियम 22 के अधीन निःशुल्क प्रति

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL BENCH

AT JAIPUR.

ORIGINAL APPLICATION NO. 333 /2010.

APPLICANT :

Sakha Ram S/o Shri Moola Ram, Age 37 years,
R/o Village Nadana Bhata, Via Khod,
Tehsil & District Pali.

Versus

1. Union of India through the Secretary Min. of Communication Postal Deptt. Dak Bhawan New Delhi
2. The Sr. Superintendent of Post Offices, Jodhpur.
3. The Superintendent of Post Office, Pali.
4. The Assistant Superintendent, Posts, Pali Sub-Division, Pali - Inquiry Officer.
5. Shri B.S. Rajpurohit, Inquiry Officer, Assistant Superintendent, Posts, Pali Sub-Division, Pali.

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जोधपुर न्यायपीठ जोधपुर

DETAILS OF APPLICATION

1. **Particulars of order against which this Original Application is made :**

Against the order-sheet No.2 dated 29.9.2010 in Disciplinary Enquiry under Rule 10 of the Rules, 2001 against the applicant passed by the Enquiry Officer and against the letter dated 13.9.2010 issued by Assistant Superintendent, Posts, Sub-Division Pali, Pali

....Cont.

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JODHPUR BENCH JODHPUR
COPY OF ORDER DATED: 29-11-10 PASSED
IN OA No.333/2010

OA No. 333/2010
(Sakha Ram vs. Union of India & Ors.)
Date of Order: 29.11.2010

Mr. Rakesh Arora, counsel for applicant.

Heard learned counsel for the applicant. Issue notice to the respondents. The applicant shall take out the notices by 'Dasti' and serve the same upon the respondents and produce appropriate evidence of having served it on all the respondents before seven days. The respondents are allowed to file a short reply on the prayer for interim relief. They can also file a detailed reply within four weeks and the applicant can file rejoinder within two weeks thence. Meanwhile, the enquiry in question shall remain stayed for a period of 14 days. Post the matter for further hearing on the interim relief on 08.12.2010.

Sd/-
[Sudhir Kumar]
Administrative Member

Sd/-
[Dr. K.B. Suresh]
Judicial Member

COMPARED & CHECKED

CERTIFIED TRUE COPY
Dated 29-11-10

नोडल अधिकारी (न्याय.)
Section Officer (Judl.)
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
Central Administrative Tribunal
जोधपुर न्यायपीठ, जोधपुर
Jodhpur Bench Jodhpur

nlk

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

JODHPUR BENCH

Near Rajasthan High Court Campus, JODHPUR - 342 006

No. 1674 Date 25/8/15

By hand
Dasti
Regd.A.D.
Speed Post

NOTICE

FOR APPEARANCE AND PRODUCTION OF RELEVANT RECORDS

(Under Rule 29 of the Central Administrative Tribunal Rule of Practice, 1993)

Original Application No. 290/00330/2015

Applicant (s)	Respondent (s)
Naje Khan.	Vs M/O Communication.
Represented by Advocate	Represented by Advocate
Shri S.P. Singh.	Shri

To R-1

Union of India through the Secretry.
Government of India, Ministry of Communication
Department of Post Dak Tar Bhawan, New Delhi.

Whereas an application filed by the above named applicant(s) under Section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985, as in the copy annexed hereinto, has been registered and upon preliminary hearing, the Tribunals has directed that you should be given an opportunity to show cause why the application should not be admitted, or why it should not be disposed of at the stage of admission itself, and if admitted, why it should not be disposed of at the subsequent stage without any further notice. In order to contest the application, you may file your reply alongwith the documents in support thereof and after serving copy of the same on the applicant or his Legal Practitioner within 30 days of the receipt of the notice, and appear before this Tribunal either in person or through a Legal Practitioner/presenting Officer appointed by you in this behalf.

Therefore, notice is hereby given to you to appear ALONG WITH THERE RELEVANT RECORDS before this Bench of the Tribunal in person or through a Legal Practitioner/Presenting Officer in this matter at 10-30 a.m. of the 10th day of Sept 2015. If you fail to appear, the application will be heard and disposed of in you absence without any further notice to you.

Given under my hand and seal of the tribunal this 25th day of Augt 2015

Note : The case not admitted on...........

(By order of this Tribunal)

Encl. : Copy of application & its Annexures

Page Nos. 1 to 31

D.K. Sharma
25/8/2015

For : REGISTRAR

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

JODHPUR BENCH

Near Rajasthan High Court Campus, JODHPUR - 342 006

No. 1675 Date 25/8/15

By hand
Dasti
~~Regd.A.D.~~
~~Speed Post~~

NOTICE

FOR APPEARANCE AND PRODUCTION OF RELEVANT RECORDS

(Under Rule 29 of the Central Administrative Tribunal Rule of Practice, 1993)

Original Application No. 290/00330 /2015

Applicant (s)
Alaje Khan.

Respondent (s)
Vs M/o Communication.

Represented by Advocate
Shri S. P. Singh.

Represented by Advocate
Shri ....

To
Chief Post master General Rajasthan Circle Jaipur. R-2

Whereas an application filed by the above named applicant(s) under Section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985, as in the copy annexed hereinto, has been registered and upon preliminary hearing, the Tribunals has directed that you should be given an opportunity to show cause why the application should not be admitted, or why it should not be disposed of at the stage of admission itself, and if admitted, why it should not be disposed of at the subsequent stage without any further notice. In order to contest the application, you may file your reply alongwith the documents in support thereof and after serving copy of the same on the applicant or his Legal Practitioner within 30 days of the receipt of the notice, and appear before this Tribunal either in person or through a Legal Practitioner/presenting Officer appointed by you in this behalf.

Therefore, notice is hereby given to you to appear ALONG WITH THERE RELEVANT RECORDS before this Bench of the Tribunal in person or through a Legal Practitioner/Presenting Officer in this matter at 10-30 a.m. of the 10th day of Sept 2015. If you fail to appear, the application will be heard and disposed of in you absence without any further notice to you.

Given under my hand and seal of the tribunal this 25th day of Augt 2015.

Note : The case not admitted on......................

Encl. : Copy of application & its Annexures

Page Nos. 1 to 31

(By order of this Tribunal)

P.K. Sharma
25/8/2015

For: REGISTRAR

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

JODHPUR BENCH

Near Rajasthan High Court Campus, JODHPUR - 342 006

No. 1626　　　Date 25/8/15

By hand
~~Dasti~~
~~Regd.A.D.~~
~~Speed-Post~~

NOTICE

FOR APPEARANCE AND PRODUCTION OF RELEVANT RECORDS
(Under Rule 29 of the Central Administrative Tribunal Rule of Practice, 1993)
Original Application No. 290/00330/2015

Applicant (s)
Alaye Khan.

Respondent (s)
Vs M/O Communication

Represented by Advocate
Shri S. P. Singh

Represented by Advocate
Shri ....

To
Post Master General
Western Region,
Jodhpur.

R. 3

Whereas an application filed by the above named applicant(s) under Section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985, as in the copy annexed hereinto, has been registered and upon preliminary hearing, the Tribunals has directed that you should be given an opportunity to show cause why the application should not be admitted, or why it should not be disposed of at the stage of admission itself, and if admitted, why it should not be disposed of at the subsequent stage without any further notice. In order to contest the application, you may file your reply alongwith the documents in support thereof and after serving copy of the same on the applicant or his Legal Practitioner within 30 days of the receipt of the notice, and appear before this Tribunal either in person or through a Legal Practitioner/presenting Officer appointed by you in this behalf.

Therefore, notice is hereby given to you to appear ALONG WITH THERE RELEVANT RECORDS before this Bench of the Tribunal in person or through a Legal Practitioner/Presenting Officer in this matter at 10-30 a.m. of the 10th day of Sept 2015. If you fail to appear, the application will be heard and disposed of in you absence without any further notice to you.

Given under my hand and seal of the tribunal this 25th day of Augt 2015

Note : The case not admitted on..........

(By order of this Tribunal)

Encl. : Copy of application & its Annexures
Page Nos. 1 to 31

25/8/2015
For : REGISTRAR

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

JODHPUR BENCH

Near Rajasthan High Court Campus, JODHPUR - 342 006

No. 1677 Date 25/8/15

By hand
Dasti
~~Regd.A.D.~~
~~Speed-Post~~

NOTICE

FOR APPEARANCE AND PRODUCTION OF RELEVANT RECORDS

(Under Rule 29 of the Central Administrative Tribunal Rule of Practice, 1993)

Original Application No. 290/00330/2015

Applicant (s): Alaje Khan

Vs

Respondent (s): M/O Communication

Represented by Advocate
Shri S. P. Singh

Represented by Advocate
Shri ....

To
Superintendent of Post office, Barmer Division, Barmer. R. 4

Whereas an application filed by the above named applicant(s) under Section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985, as in the copy annexed hereinto, has been registered and upon preliminary hearing, the Tribunals has directed that you should be given an opportunity to show cause why the application should not be admitted, or why it should not be disposed of at the stage of admission itself, and if admitted, why it should not be disposed of at the subsequent stage without any further notice. In order to contest the application, you may file your reply alongwith the documents in support thereof and after serving copy of the same on the applicant or his Legal Practitioner within 30 days of the receipt of the notice, and appear before this Tribunal either in person or through a Legal Practitioner/presenting Officer appointed by you in this behalf.

Therefore, notice is hereby given to you to appear ALONG WITH THERE RELEVANT RECORDS before this Bench of the Tribunal in person or through a Legal Practitioner/Presenting Officer in this matter at 10-30 a.m. of the 10th day of Sept 2015. If you fail to appear, the application will be heard and disposed of in you absence without any further notice to you.

Given under my hand and seal of the tribunal this 25th day of Augt 2015

Note : The case not admitted on..........

(By order of this Tribunal)

Encl. : Copy of application & its Annexures
Page Nos. 1 to 31

25/8/2015
For : REGISTRAR

चौपड़ा ब्रॉदर्स, त्रिपोलिया, जोधपुर। ☎0291-2623919

आदेशिका शुल्क

(फर्द तलबाना)

सेवा में,

आदालत श्री CAT, Jodhpur

मुकद्दमा नम्बर OA No. 290/00330/2015

तारीख 16/9/2015

Naje Khan बनाम UOI & ors

दावा

अनवान सदर में तलबाना स्टाम्प रूपये) पैसे बाबत

पेश है। आदेशिका जारी की जावे।

— T/C of Answers are submitted herewith.

दस्तखत वकील/फरीक

वक्त :

आज S.P. Singh, Adv ने पेश किया, जो शामिल मिसल हो।
27/8/2015

Presented by Shri S.P. Singh
27/8/15

REGISTRAR
CAT, JODHPUR

दस्तखत

ओहदा

1286
27/8/15

1019

not member of welfare fund

अभिभाषक-पत्र
(वकालतनामा)

सेवामें,

श्रीमान् C A T, Jodhpur

~~Rewaram~~ Najekhan vs UOI (Post) बनाम OA 330/2015

OA 290/00330/2015

प्रकरण संख्या.................. पेशी दिनांक

मैं/हम, फर्म ~~CAT~~ (1) Sec, GOI, M/o Comm Dep of Post New Delhi (2) Chief PMG Raj Circle JPR (3) PG Jodhpur (4) SPO, Barmer Div Barmer. (Resp No I to 4)

निवासी................ तहसील................ जिला................

श्रीमान् C KS Yadav, Sr. CGSC

....

को उपरोक्त मुकदमे में अपनी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त करते हैं तथा इन्हें हमारी ओर से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्य करने हेतु अधिकृत करते हैं :— प्रकरण में हमारी ओर से वाद/ वादोत्तर/ अपील/ प्रत्यावेदन/ पुनरीक्षण/ निष्पादन कार्यवाही/ परिवाद/ आक्षेप प्रस्तुत करना तथा अदम पैरवी में प्रकरण निरस्त होने अथवा एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु अपने हस्ताक्षरों से आवेदन प्रस्तुत करना। न्यायालय में रकम जमा कराना एवं वापस लेना तथा प्रकरण समझौता करना, पंच निर्णय हेतु पंच नियुक्त करना या विशेष शपथ से प्रकरण निस्तारित करवाना एवं प्रकरण वापस लेना/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के अनुसार हमारी ओर से बयान देना एवं इस प्रकरण में हमारी ओर से सभी प्रकार की पैरवी (act of plead) करना एवं दूसरा वकील नियुक्त करवाना तथा हमारी ओर से अभिवचनों को सत्यापित करना। वकील साहब को इस प्रकरण में अन्तिम न्यायालय तक सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो हमें करने का अधिकार है।

इस प्रकरण में पैरवी हेतु हमने वकील साहब से .... रुपये मेहनताना तय कर .... रुपये नकद अदा किये हैं तथा शेष राशि रु. .... की अदायगी जब वकील साहब कहेंगे, प्रकरण के निर्णय से पूर्व कर दी जाएगी। उपरोक्त मेहनताना इस न्यायालय में प्रकरण के एक बार निर्णय होने तक (निर्णय चाहें समझौता से या पंच निर्णय से अथवा विशेष शपथ से हो) का होगा। प्रकरण अन्यत्र अंतरित होने पर या अपील में या पुनः प्रेषित (Remand) होने पर इस न्यायालय अथवा दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से हमारे द्वारा अदा किया जाएगा। हमारी ओर से प्रकरण में प्रत्येक सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में वकील साहब को बिना नोटिस दिये मुकदमा छोड़ने का अधिकार रहेगा। न्यायालय में हमारी रकम जमा होगी तो वकील साहब को उसमें से बकाया मेहनताना एवं अन्य खर्चा लेने का हक रहेगा। सुनवाई स्थगन या अन्य स्थितियों में न्यायालय द्वारा दिलाये गये हर्जे की राशि पर वकील साहब का अधिकार होगा, जिसका मेहनताने से (हमारे से) सम्बन्ध नहीं होगा। इति दिनांक ....

(आर० के० कुमार)
अधीक्षक डाकघर
बाड़मेर मण्डल, बाड़मेर-344001

NOTE: Counsel for Respondent is not member for Advocates welfare fund

OA NO 330/15
Next date 1/12/15

अभिभाषक-पत्र
(वकालतनामा)

सेवामें,

श्रीमान् CENTRAL ADM. TRIBUNAL, JODHPUR

राजेश बनाम भारत संघ

प्रकरण संख्या OA 00330/2015 पेशी दिनांक 1.12.15

मैं/हम, फर्म Supridend for Post R.K. Mathur Barmer for all Res 1 to 4

निवासी .... तहसील .... जिला ....

श्रीमान् K.S. Yadav, Nimesh Suthar. Addl. CGSC

को उपरोक्त मुकदमे में अपनी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त करते हैं तथा इन्हें हमारी ओर से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्य करने हेतु अधिकृत करते हैं :- प्रकरण में हमारी ओर से वाद/वादोत्तर/अपील/प्रत्यावेदन/पुनरीक्षण/निष्पादन कार्यवाही/परिवाद/आक्षेप प्रस्तुत करना तथा अदम पैरवी में प्रकरण निरस्त होने अथवा एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु अपने हस्ताक्षरों से आवेदन प्रस्तुत करना। न्यायालय में रकम जमा कराना एवं वापस लेना तथा प्रकरण समझौता करना, पंच निर्णय हेतु पंच नियुक्त करना या विशेष शपथ से प्रकरण निस्तारित करवाना एवं प्रकरण वापस लेना/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के अनुसार हमारी ओर से बयान देना एवं इस प्रकरण में हमारी ओर से सभी प्रकार की पैरवी (act of plead) करना एवं दूसरा वकील नियुक्त करवाना तथा हमारी ओर से अभिवचनों को सत्यापित करना। वकील साहब को इस प्रकरण में अन्तिम न्यायालय तक सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो हमें करने का अधिकार है।

इस प्रकरण में पैरवी हेतु हमने वकील साहब से Govt order रुपये मेहनताना तय कर .... रुपये नकद अदा किये हैं तथा शेष राशि रु. As per की अदायगी जब वकील साहब कहेंगे, प्रकरण के निर्णय से पूर्व कर दी जाएगी। उपरोक्त मेहनताना इस न्यायालय में प्रकरण के एक बार निर्णय होने तक (निर्णय चाहें समझौता से या पंच निर्णय से अथवा विशेष शपथ से हो) का होगा। प्रकरण अन्यत्र अंतरित होने पर या अपील में या पुनः प्रेषित (Remand) होने पर इस न्यायालय अथवा दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से हमारे द्वारा अदा किया जाएगा। हमारी ओर से प्रकरण में प्रत्येक सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में वकील साहब को बिना नोटिस दिये मुकदमा छोड़ने का अधिकार रहेगा। न्यायालय में हमारी रकम जमा होगी तो वकील साहब को उसमें से बकाया मेहनताना एवं अन्य खर्चा लेने का हक रहेगा। सुनवाई स्थगन या अन्य स्थितियों में न्यायालय द्वारा दिलाये गये हर्जे की राशि पर वकील साहब का अधिकार होगा, जिसका मेहनताने से (हमारे से) सम्बन्ध नहीं होगा। इति दिनांक 9/10/15

Presented by Shri ... K.S. Yadav

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, JODHPUR BENCH, JODHPUR

Form no. 11

(see rule 62)

ADVOCATES WELFARE FUND STAMP 25 Rs. 1305533

P.P.S.

Next date 1/12/15

ORIGINAL APPLICATION NO. 330/15

APPLICANT/S:- **VERSUS** **RESPONDENTS**

NAJE KHAN UNION OF INDIA & ORS.

MEMO OF APPEARANCE

I, NIMESH SUTHAR, ADDITIONAL CENTRAL GOVERNMENT STANDING COUNSEL, HAVING BEEN AUTHORISED BY GOVERNMENT OF INDIA TO APPEAR IN THE CASES FILED AGAINST UNION OF INDIA BEFORE THIS HON'BLE TRIBUNAL. I HEREBY PUT MY APPEARANCE FOR APPLICANT/S NO. __ TO __/ RESPONDENT/S NO. 1 TO 4 AND UNDERTAKE TO PLEAD AND ACT FOR THEM IN ALL MATTERS IN THE AFORESAID CASE.

PLACE : JODHPUR

DATE: 10/09/2015

Presented by Shri ...... on 3/9/15 REGISTRAR CAT, JODHPUR

SIGNATURE & DESIGNATION OF THE COUNSEL

NIMESH SUTHAR, ADVOCATE

ADDITIONAL CENTRAL GOVERNMENT STANDING COUNSEL

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, JODHPUR

ADDRESS OF THE COUNSEL FOR SERVICE:
NIMESH SUTHAR,
ADVOCATE,
C/O SH. RAMESHWAR LAL RATHI,
"RATHI BHAWAN",
BHAGAT SINGH MARG, NEAR CHARAN HOSTEL,
NAGORI GATE, JODHPUR.

दाखिल क्रमांक 1506 दिनांक 3/9/15

भारत INDIA Re1 COURT FEE एक रुपया ONE RUPEE

भारत INDIA Re1 COURT FEE एक रुपया ONE RUPEE

OA listed on 28/1/16

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BENCH AT JODHPUR

MISC APPLICATION NO. /2015

in

ORIGINAL APPLICATION No. 330/2015

APPLICANT V/S RESPONDENT

Sub. MAJE KHAN UOI & Ors.

SUB: (i) PRAYED FOR GRANT OF INTERIM RELIEF AS TO ENGAGE OF DEFENCE ASSISTANT
(ii) PRAYED FOR HEAR THE CASE TODAY DT 3/12/15.

May it please your lordships;

1. That the Hon'ble Court directed ~~to~~ the respondents ~~to~~ that applicant will submit the name of Defence Asst within two weeks.

2. That the Respondents now do not permit to engage Defence Asst despite consent is given by Defence Asst but due to inevitable circumstances he could not be able to get defence Asst within two weeks.

3. That the ~~~~ appointment of Defence Asst is legal right of applicant by virtue of Rule 14 of CCS (CCA) 1965.

Therefore it is prayed that the matter may kindly be heard ~~today~~

dt. 3/12/2015.

As per Hon'ble Court order the case may be listed tomorrow i.e. 4/12/15 if no

2रु कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

ADVOCATES WELFARE FUND STAMP 25 Rs

for Resp No. 1 to 4

FORM NO.12

(SEE RULE 67)

VAKALATNAMA

Next dt: 1/12/15

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, JODHPUR BENCH

OA/RA/CP/PT______ No. 330 of 2015

APPLICANT:- **V/S.** **RESPONDENTS:-**

Naje Khan — Union of India & Ors.

I, Ramesh Kumar Suthar SPOs, Barmer

applicant in the above application do hereby appoint and retain Shri Nimesh Suthar, advocate to appear, plead and act for me in the above application and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect thereof including contempt of court petitions and review application arising there from and application for return of documents, enter into compromise and to draw any money payable to me in the said proceedings.

PLACE: JODHPUR

DATED:

1/12/15

Executed in my presence
Signature with Date

(R.K. Suthar)

Signature of the Party

अधीक्षक डाकघर बाड़मेर-344001
SUPERINTENDENT OF POST OFFICES BARMER DIVISION, BARMER

Accepted

NIMESH SUTHAR
ADVOCATE
Rathi Bhawan, Bhagat Singh Marg, Nagori Gate
JODHPUR.

NIMESH SUTHAR
ADDL. CENTRAL GOVT. STANDING COUNSEL
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL JODHPUR

Nimesh Suthar
1/12/15